खण्ड-171, अंक-2
मंगलवार, 21 चैत्र, शक संवत् 1878
(10 अप्रैल, 1956 ई0)

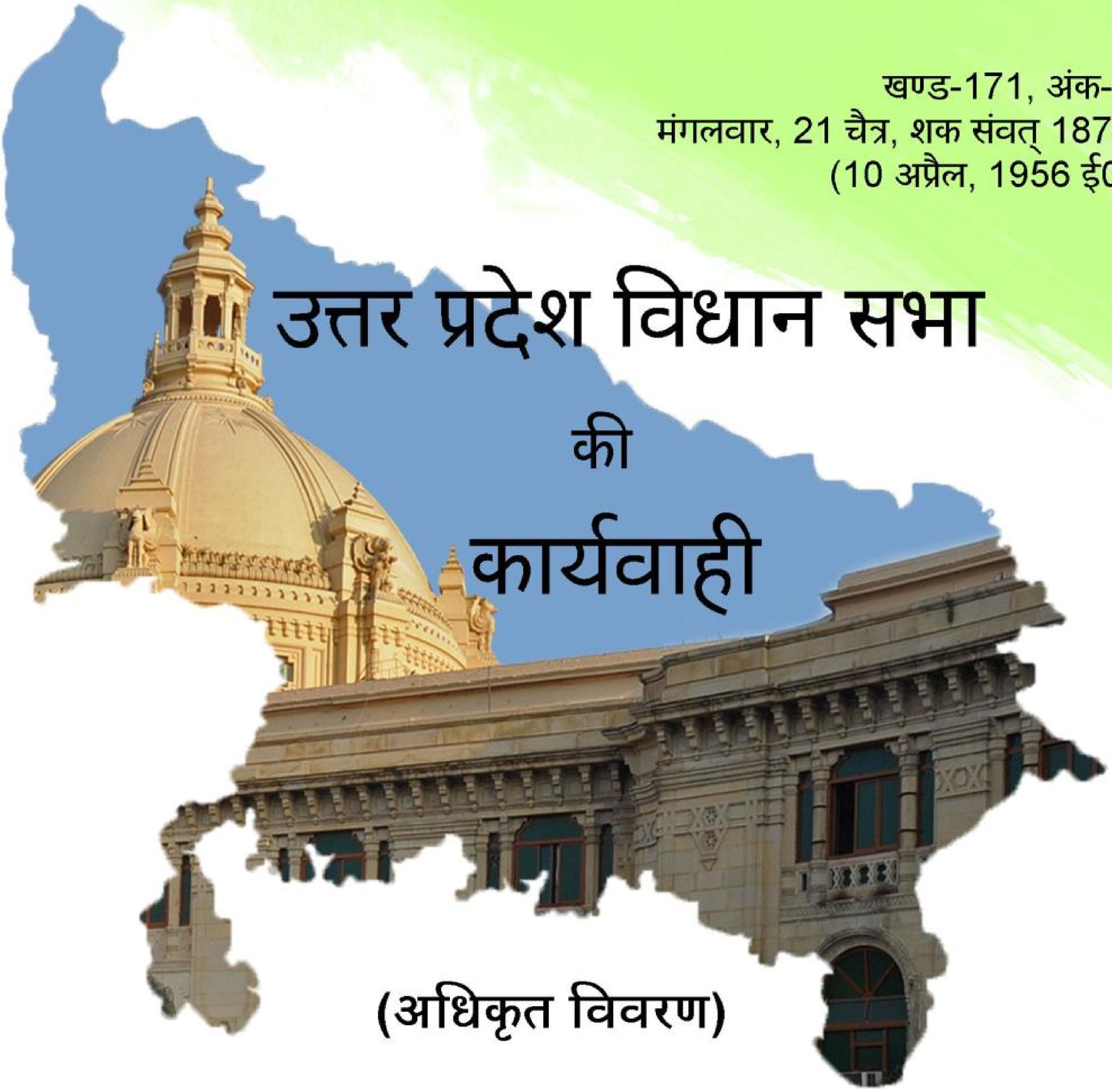

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 171 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार , श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास ,श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
जिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री

जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ला, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरद्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महवीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मून्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकीहादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य ,श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख ,श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री
रानसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप भारतीय ,श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती

विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह , राजा
व्रजभूषण मिश्र ,श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न,शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र , श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर,
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के परगनाधीश एवं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालतों में दफा १४५ के मुकदमें

*१—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के परगनाधीश एवं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में मार्च सन् ५४ से सितम्बर, सन् ५५ तक कितने मुकदमें दफा १४५ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत चल रहे हैं।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मार्च, १९५४ से सितम्बर, १९५५ तक परगनाधीश घोसी के यहां २१७ और जुडीशियल मजिस्ट्रेट घोसी के यहां ६३ मुकदमें दायर हुये जो सब फैसल हो चुके हैं।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सब से पुराने मुकदमे कितने हैं?

श्री सैयद अली जहीर—सवाल नहीं उठता।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास अक्तूबर, सन् ५५ में अदालतों द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने के विरुद्ध कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि यह जो १४५ के मुकदमें चल रहे हैं वह अदालतों में डेढ़ साल से भी अधिक रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मैंने दरियाफ्त नहीं किया कि कितने दिन से ये मुकदमें चल रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछा गया उसका जवाब यही है कि अब सब फैसल हो गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री फिर से बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि १५-१०-५५ को उनके पास इस प्रकार की दरख्वास्त दी गयी थी कि अदालतों में १४५ के मुकदमों में देरी की जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—मालूम नहीं। कम से कम किसी ऐसी दरख्वास्त का मेरे दफ्तर में पता नहीं चलता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, इस दरख्वास्त की कापी मेरे पास है और दरख्वास्त देने वाले के साथ मैं खुद माननीय मंत्री जी के साथ गया था। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि १५-१०-५५ को जो मन्त्री जी को दरख्वास्त दी गई, यह दरख्वास्त देने वाले राजनारायण तिवारी हैं। क्या उस दरख्वास्त की जांच कराई गयी? यदि हां, तो किसके द्वारा जांच की गई और उसका नतीजा क्या निकला?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न के जवाब की बात उत्पन्न नहीं होती। फिर से इस विषय की जांच करने के लिये आप पूछ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी जो दरख्वास्त श्री राजनारायण तिवारी ने १५-१०-५५ को दी थी जिसमें उन्होंने अदालतों में बेकार तरीके से देरी करने के लिए शिकायत की है, उसकी जांच कराने की फिर से व्यवस्था करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—अगर आप यह दरख्वास्त दोबारा भेज देंगे तो मैं जरूर जांच कराऊंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १४५ के मुकदमें जो अदालतों में चलते हैं, क्या यह सही है कि जब तक वे मुकदमें फैसल नहीं होते तब तक वे खेत बोये नहीं जाते हैं और परती पड़े रहते हैं?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मेरे ख्याल में हर केस के हिसाब से होता होगा। कहीं परती पड़े रहते होंगे और कहीं पर बोये भी जाते होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि १४५ के मुकदमें जो हैं इनमें इसी-लिये देरी होती है कि मैजिस्ट्रेट लोग और कामों में लगे रहते हैं और इनका जल्दी फैसला नहीं कर पाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो राय की बात है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

*४-५—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६-७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*८-९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

हल्द्वानी तहसील में चुनाव सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण

*११—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या यह सही है कि तहसील हल्द्वानी की ग्राम सभा लोहरिया साल मल्ला में पंचायती नामिनेशन पत्र भेजने पर कोई धोखादेही या फर्जी कार्यवाही होने की शिकायत जिले के अधिकारियों को मिली ?

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—जी हां, मिली थी । जांच कराने पर निराधार निकली ।

*१२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय उपमन्त्री, पंचायत विभाग, १८ दिसम्बर, को हल्द्वानी गये थे और स्थानीय जनता का कोई डेपुटेशन उनसे मिला था जिसमें चुनाव के सम्बन्ध में उनसे शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उन्होंने उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । उप-मन्त्री को कुछ सज्जन उनके दौरे के समय हल्द्वानी में मिले थे और चुनाव के विषय में शिकायत की थी । वह सब शिकायतें चुनाव याचिका का विषय हो सकती थीं अतः उनको चुनाव याचिका दाखिल करने का परामर्श दे दिया था ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या उपमन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डेपुटेशन मिला था उसने किसी कर्मचारी के बारे में कोई शिकायत की थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—विशेष कर्मचारी के विषय में तो मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन हां, कुछ कर्मचारियों के विषय में शिकायतें चुनाव के दौरान की आयी हैं और वह भी क्योंकि चुनाव याचिका का विषय बन सकती हैं । इसलिये परामर्श बहुधा यही दिया गया कि चुनाव याचिका वह दाखिल कर दें ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या कर्मचारियों के विषय में यदि कोई शिकायत आयी तो उसकी जांच विभाग द्वारा करायी गई ? यदि हां, तो किस के द्वारा करायी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसमें दो बातें हैं। एक तो यह कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध चुनाव के सम्बन्ध में कोई शिकायत है जो चुनाव याचिका में आ सकती है तो चुनाव याचिका में वह विषय आयेगा ही। उस विषय पर जब निर्णय हो जायगा और तब अगर कोई अधिकारी उसमें दोषी पाया जायगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। दूसरे कुछ ऐसी भी शिकायतें आती हैं जिनका चुनाव याचिका से सम्बन्ध नहीं होता और वह अधिकारियों की कार्यवाहियों से सम्बन्धित होती हैं। उनकी जांच करायी जाती है और जो एक विभागीय जांच कराने का तरीका है उसी के द्वारा करायी जाती है।

*१३-१४—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१६—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१९—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२०—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१-२२—श्री रामलखन मिश्र—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।

रायबरेली जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों एवं पुलों का निर्माण

*२३—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग किन-किन सड़कों तथा पुलों का निर्माण द्वितीय पंच वर्षीय योजना में करने जा रहा है?

निर्माण उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रायबरेली जिले की निम्नलिखित सड़कों का निर्माण तथा पुनः निर्माण सम्मिलित है किन्तु इस योजना का प्रतिवर्ष पुनरावलोकन किया जायगा तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन भी किये जायंगे। इस जिले में किसी पुल का निर्माण योजना में सम्मिलित नहीं है।

स्थानीय सड़कों का पुनः निर्माण

लालगंज समरपहा सड़क	१ मील ४ फर्लांग
भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण तथा सुधार	१० मील

नई सड़कों का निर्माण

लालगंज रालपुर सड़क	८ मील ४ फर्लांग।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लालगंज, सिसरी, भजपुरा सड़क भी इस योजना के अन्तर्गत ली जा रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यदि लालगंज-लालपुर की सड़क के बीच का कोई भाग है तो लिया जा रहा है अन्यथा नहीं।

श्री रामशंकर द्विवेदी (जिला रायबरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सड़क जायस से सलोन जाती है उस में सई नदी पर कोई पुल बनाने का विचार है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न २३ श्री देवदत्त मिश्र ने पूछा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—मैंने पूछा कि जो जमीन ऐक्वायर की गयी है इस पर कितने मकान इस समय मौजूद हैं जिनको नोटिस दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—तादाद इस वक्त नहीं मालूम ।

*२६—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२७-२८—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती रेलवे स्टेशन से पक्का बाजार जाने वाले बाहरी राजपथ पर रोशनी का अभाव

*२९—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती रेलवे स्टेशन से पक्का बाजार जाने वाली बाहरी राजपथ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जहां तक सरकार को सूचना मिली है कथित सड़क पर रोशनी की व्यवस्था का कई बार प्रयत्न किया गया है ।

*३०—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि रोशनी की पूरी व्यवस्था न होने के कारण अंधेरी रात में बाहरी सड़क से चलने वाले यात्रियों को स्थानीय पुलिस रोक देती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार को मिली सूचना के अनुसार केवल सन्देहात्मक व्यक्तियों को ही रोका जाता है, और उनसे पूंछ तांछ की जाती है ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि रेलवे स्टेशन से पहले और दूसरे मील के बीच में सरकार के जितने भी प्रयत्न हुये वह अब तक असफल रहे और रोशनी की कोई व्यवस्था अब तक नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रयत्न सरकार के तो होते नहीं । नगरपालिका जरूर प्रयत्न करती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नगरपालिका के कुछ प्रयत्न असफल रहे, क्योंकि जो रोशनी का इंतजाम करती है, वही चोरी चले जाते हैं ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अंधेरी रात में रेलवे स्टेशन से उतरने के पश्चात् जब तक ४,५ सवारी वाले साथ न चलें तब तक पुलिस आगे जाने की आज्ञा नहीं देती ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह हो सकता है कि ऐसा हो । यहां सरकार को इस बात की सूचना नहीं है । किन्तु यह बात अवश्य है कि उस रास्ते पर बहुत से अवांछनीय व्यक्ति घूमा करते हैं और इसीलिये पुलिस उनकी देख-भाल करती रहती है और कुछ लोग पकड़े भी गये हैं ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सड़क से दो फर्लांग की दूरी के ऊपर खेतों से विद्युत् प्रकाश रेखा गुजरती है ?

श्री अध्यक्ष—आप अपनी भाषा ऐसी रखिये जो समझ में आ जाय । आप फिर से प्रश्न दुहरा दें ।

श्री रामलखन मिश्र—रेलवे स्टेशन से पक्का बाजार को जो सड़क जाती है उससे दो फर्लांग की दूरी पर ही बिजली के खम्भे प्रकाश देते हैं। मेरे प्रश्न पूछने का आशय यह है कि क्या सरकार इस सड़क के ऊपर भी बिजली लगाने की कोशिश भविष्य में करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—नगरपालिका वहां की जो बिजली कम्पनी है उससे पत्र व्यवहार कर रही हैं। पत्र व्यवहार का अभी कुछ नतीजा नहीं निकला है, लेकिन वह कोशिश कर रहे हैं इस बात की कि बिजली वहां लग जाय।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या पुलिस जो कि यात्रियों की वहां देखभाल करती है वह क्या रोशनी की हिफाजत नहीं कर सकती जो कि लगायी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में बावजूद पुलिस की हिफाजत के वह चोरी चली जाती है।

गृह समस्या से सम्बद्ध सदन द्वारा पारित संकल्प पर कार्यवाही

*३१—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १९ फरवरी, १९५४ को गृह समस्या से संबंधित जो संकल्प इस सदन में पारित हुआ था उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—गृह समस्या के सम्बन्ध में सदन में पारित किये गये संकल्प पर कार्यवाही हो रही है। इसके लिये एक हाउसिंग विभाग स्थापित किया गया है। पहले शहरों में कार्य शुरू किया गया क्योंकि वहां मकानों की समस्या अधिक जटिल है। Subsidized Industrial housing Scheme के अन्तर्गत १३,४२६ मकान बन चुके हैं, ७,४७८ बन रहे हैं। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १७,५५० मकान बनवाये जायेंगे। इससे आशा की जाती है कि शहरों में मकानों की कमी २० प्रतिशत दूर हो जायेगी। यह मकान साफ अच्छे व स्वास्थ्यपूर्ण हैं।

ग्रामों में अभी तक कोई खास योजना चालू नहीं की जा सकी है। केन्द्रीय सरकार में ऐसी योजना बनायी जा रही है और उसके आने पर उसी के अनुसार काम शुरू किया जायगा। इस समस्या का अध्ययन जैसा कि सदन को ज्ञात है Planning Seminar में जो कि अभी-अभी हुआ है किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही कोई सुचारु योजना बनायी जा सकेगी ?

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किसान और मजदूरों के मकानों की समस्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ कर दी जायेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं यह अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जितनी आर्थिक सहायता वहां से मिल सकती है उसी के अनुसार कोई योजना बन सकती है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्लानिंग से मीनार में मुख्य-मुख्य कौन सी बातों पर विचार किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्लानिंग सेमीनार में सभी बातों के ऊपर विचार किया गया और जो यह गृह निर्माण की बात है इस पर भी विचार किया गया, ग्रामों में किस तरह से इसको किया जाय इस पर भी विचार किया गया वहां किस तरह से मैटीरियल मिल सकते हैं इस पर भी विचार किया गया और जैसा कि सेमीनार में विचार ही होता है कोई अन्तिम निर्णय तो हुये नहीं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी जब तक देहाती गृह-योजना नहीं तैयार होती तब तक देहातों के अन्दर टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में लो इनकम हाउसिंग स्कीम को प्रोत्साहन देने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—जहां तक टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया का सम्बन्ध है उनको तो उसमें सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन जो स्कीम है, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है किसी व्यक्ति को जो उधार दिया जाता है वह या तो कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से दिया जाता है या लोकल बाडीज के जरिये से दिया जाता है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विधेयक जैसा कि सदन के सम्मुख प्रस्तुत था उसमें शहर गांव का कोई भेद नहीं था ? गांवों में अब तक मकान नहीं बनाये जा सके और शहरों में २० फीसदी बनाये जायेंगे, तो गांवों में मकान बनाने में क्या कठिनाई थी ?

श्री अध्यक्ष—इसमें तो संकल्प शब्द है ?

श्री रामचन्द्र विकल—संकल्प ही था जो पास हुआ था सदन से । उसमें शहर गांव की कोई व्याख्या नहीं थी । शहरों में २० फीसदी बनाये जा सकेंगे तो गांवों में बनाने में क्या कठिनाई उनको पड़ेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसमें संदेह नहीं कि जो संकल्प यहां आया था उसमें कोई शहर गांव का कोई भेद नहीं था और न सरकार के दृष्टिकोण में है । यह जो मकान बने हैं ये खासकर मजदूरों के लिये बने हैं जोकि सब्सीडाइज इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार से रुपया मिला था और मजदूर अभी तक वही सम्मिलित किये गये हैं, जो फैक्ट्री ऐक्ट में आते हैं । चुनांचे जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं और जहां इन मकानों की अधिक आवश्यकता थी वह शहरों में ही थी । दूसरे एक स्कीम लो इनकम हाउसिंग ग्रुप के नाम से है उसमें कोई शहर गांव का भेद नहीं है, जहां के लोग उसमें रुपया लेना चाहते हों वह कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से रुपया ले सकते हैं दरख्वास्त देकर । और कोई खास भेद नहीं है ।

*३२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला बोर्ड देवरिया को बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ दिया गया धन और उसके व्यय का ब्योरा

*३३—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष सन् १९५४–५५ और ५५–५६ में सरकार ने जिला बोर्ड देवरिया कितना को धन बाढ़पीड़ित क्षेत्र में खर्चा करने के लिये दिया ?

श्री कैलाशप्रकाश—वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में सरकार ने जिला बोर्ड देवरिया को बाढ़ से क्षति ग्रस्त सड़कों, भवनों आदि की मरम्मत के लिये कोई अनुदान नहीं दिया सन् १९५५–५६ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बोर्डकी सड़कों भवनों तथा अन्य अचल सम्पत्ति की मरम्मत के लिये ५०,००० रु० का अनुदान बोर्ड को दिया गया है ।

*३४—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार उन खर्चों का ब्योरा देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ५४–५५ ने जला बोर्ड की तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र आया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जहां तक सरकार की सूचना है, उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि सन् ५४–५५ में भी देवरिया जिले में बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा था ? यदि हां, तो सरकार ने उस साल कुछ अनुदान क्यों नहीं दी ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसकी मांग तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और वहां के अधिकारियों के द्वारा आती है। सरकार के पास कोई ऐसी मांग उस वर्ष आयी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो अनुदान ५० हजार का सन् ५५–५६ के लिये दिया गया था उसमें जिला बोर्ड देवरिया की ओर से कितने रुपये की मांग की गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना तो इस वक्त हमारे पास नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह ५० हजार का अनुदान ५५–५६ में स्वीकृत हुआ था उससे कौन-कौन सी सड़कों और भवनों की मरम्मत की गयी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह फैसला तो जिला बोर्ड जिलाधीश की राय से करेगा कि यह रुपया किन-किन सड़कों पर लगाया जाय और किन-किन कामों में इस्तेमाल किया जाय। यह पहले से नहीं बताया जा सकता है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या जिला बोर्डों को जो पैसा दिया जाता है वह निश्चित कामों को बताकर ही दिया जा सकता है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। निश्चित काम तो यह है कि बाढ़ की वजह से जो नुकसान भवनों और सड़कों का हुआ है और जो दूसरे नुकसान हुये हैं उनकी मरम्मत करायी जाय।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि आवश्यक सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—शीघ्र ही उम्मीद है।

*३५—श्री रामसुभग वर्मा—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ऊंचे किये गये ग्राम

*३६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक जौनपुर जिला में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कितने गांव ऊंचे किये जा चुके हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जौनपुर जिला में अब तक ४० बाढ़ग्रस्त ग्रामों का स्थल ऊंचा किया जा चुका है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनका ठेका ठेकेदारों को दिया गया है या गांव के सभापतियों को दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—ज्यादातर कार्य ठेकेदारों के जरिये से होता है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव ऊंचे किये गये हैं और जहां से मिट्टी ली गयी है वहां गड्ढों से पानी का निकास भी बनाया गया है ?

श्री राममूर्ति —चूंकि अब बरसात होगी तो ऐसे गड्ढे सब पट जाया करते हैं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या तहसीलवार कोई लिस्ट आयी है कि कितने गांव ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—तहसीलदार कोई लिस्ट मेरे पास इस वक्त नहीं है लेकिन ४० गांवों में काम हो चुका है और १३५ गांवों में हो रहा है ।

श्री बाबूनन्दन—जो गांव ऊंचे किये गये हैं उनमें अब तक सरकार का कितना रुपया प्रति गांव व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—औसतन् १० हजार रुपया एक गांव पर खर्च होता है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ४० गांवों में से कितने गांव सभा द्वारा ऊंचे किये गये ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

*३७–३८—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—[१६ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ५–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३९—श्री विश्राम राय—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०—श्री गज्जूराम—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४३–४४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६–४८—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

विधान सभा पुस्तकालय भवन के विस्तार की योजना

*५०—श्री शिवकुमार शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा पुस्तकालय भवन (library) के लिये विस्तार तथा नये भवन बनाने पर वह विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

नोट—तारांकित प्रश्न ५० श्री जोरावर वर्मा ने पूछा ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह विचार कब तक कार्यरूप में परिणित हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—उम्मीद है शीघ्र ही हो जायगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी विचार के परिणित हो जाने के कारण जो यह विधान सभा मार्ग है वह कुछ हद तक बन्द हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—नक्शा न मेरे पास है और न मैं बतला सकता हूं कि क्या सूरत होगी इस मार्ग की ।

*५१-५३—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५४-५५—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५६—श्री मन्नीलाल गुरुदेव—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७-५८—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में नदियांव ग्राम के समीप के ताल से फसल को छति

*५९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील के नदियां गांव के पास के ताल से वर्षा ऋतु में हजारों एकड़ भूमि की फसल को क्षति से बचाने के लिये किसी बांध के बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जिला जौनपुर, तहसील मड़ियाहूं में नदियांव ग्राम के समीप के ताल पर बांध बनाने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है, किन्तु जिले के जिन-जिन तालों व नालों से क्षति हुयी है उनका सर्वे किया जा रहा है । तत्पश्चात् पक्की चुनाई का काम आवश्यकतानुसार शुरू किये जाने का विचार है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सर्वे हो रहा है इसमें नदियांव गांव के पास वाला ताल भी शामिल है ?

श्री राममूर्ति—जी हां । सारे ताल जो वहां पर हैं उन सबका सर्वे हो रहा है ।

अल्मोड़ा नगरपालिका पर सरकारी कर्ज एवं बकाया सूद

*६०—श्री ब्रजभूषण मिश्र—अल्मोड़ा नगरपालिका को राज सरकार का कितना कर्ज व उस पर बकाया सूद अदा करना है ?

*६१—क्या राज्य सरकार ने इस कर्ज की किस्तों व पुराने सूद की वसूली के बारे में कोई प्रयत्न किया है ?

*६२—क्या अल्मोड़ा नगरपालिका की वार्षिक आय उसके वर्तमान व्यय के अनुकूल है ?

श्री कैलाश प्रकाश—चूंकि इन प्रश्नों के उत्तर देने के हेतु आवश्यक सूचना अभी एकत्रित नहीं हो सकी है, अतः सूचना एकत्रित हो जाने पर दे दी जायगी ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो महीने से ऊपर उनको यह प्रश्न मिले हुये हो गये, लेकिन इसकी सूचना अब तक क्यों नहीं आ सकी?

श्री कैलाशप्रकाश—यह प्रश्न अल्मोड़ा की नगरपालिका से भी संबंधित है, वहां से आंकड़े लेने पड़ते हैं और फिर यहां के आंकड़ों से मिलाना पड़ता है और उसमें अगर कोई अन्तर रहता है तो उसकी जांच करनी पड़ती है। इन्हीं कारणों से इसकी अंतिम सूचना प्राप्त करने में देरी हुयी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री मेरे इस प्रश्न को सूचना के रूप में मान कर बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इसका उत्तर मिल जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रयत्न यही किया जायगा कि शीघ्रातिशीघ्र इसका उत्तर दिया जा सके।

हमीरपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कृषि योग्य एवं सरकारी साधनों द्वारा सिक्त भूमि

*६३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि कृषि योग्य है और उसमें से कितनी भूमि सरकारी सिंचाई के साधनों द्वारा सींची जाती है ?

श्री राममूर्ति—हमीरपुर जिले की प्रत्येक तहसील में कृषि योग्य भूमि तथा सरकारी साधनों द्वारा सींचने वाली भूमि का ब्योरा निम्नांकित है —

तहसील	कृषि योग्य भूमि	सरकारी साधनों द्वारा सींची हुयी भूमि
राठ	२,१२,०२३ एकड़	५४,७४७ एकड़
मोदहा	३,५४,११७ ,,	३४,०२९ ,,
चरखारी	३,३२,०३७ ,,	१६,५९६ ,,
हमीरपुर	२,१३,८११ ,,	२५,०३८ ,,
महोवा	३,१४,८१४ ,,	१३,९४० ,,

*६४—श्री जोरावर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री नये सिरे से सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्र के कमांड का पुनः बंटवारा करने का विचार रखते हैं ?

श्री राममूर्ति—इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि महोबा तहसील की जो कृषि योग्य भूमि है उसका जिले में तीसरा नम्बर है लेकिन उसका सिंचित एरिया सबसे कम है इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—इसका कारण यह है कि वहां पर सिंचाई के साधन हैं नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी उस एरिया को सिंचित करने के लिये सिंचाई के साधन जुटाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—वैसे अर्जुन बांध बंधा है और कबरई लेक बनी है। उम्मीद की जाती है कि करीब साढ़े ३२ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि जो अर्जुन बांध और कबरई बांध बना है उससे महोबा तहसील की सिंचाई न होकर अन्य तहसीलों की सिंचाई होगी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—यह बात सही है कि दूसरी तहसीलों की सिंचाई होगी। ३२ हजार एकड़ जो बताया गया वह सारी अर्जुन बांध से सिंचाई होगी जिसका ज्यादा हिस्सा दूसरी तहसीलों में होगा। लेकिन हमीरपुर का मामला हमारे सामने है। उसमें बंधियां वगैरह हम बनाने जा रहे हैं और कुछ इस बात की भी कोशिश हो रही है कि अर्जुन बांध का पानी अगर किसी प्रकार हमीरपुर में लाया जा सके तो ले आया जाय।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह सिंचित एरिया दिया गया है यह केवल नहरों द्वारा जिस एरिया की सिंचाई हो रही है वही एरिया दिया गया है या जो कंटूर बंधियां बनी हैं उनसे भी उसमें सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति—सरकारी साधन जितने हैं सब इसमें शामिल हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या महोबा तहसील में सिंचाई के साधनों की कमी को देखकर मंत्री जी इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो कंटूर बंधियां बनें या बांध बनें तो महोबा तहसील को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री राममूर्ति—इस पर विचार किया जायगा। वैसे महोबा के पास एक रिजरवायर बनाया जा रहा है जिससे सिंचाई के साधन वहां और बढ़ जायेंगे।

बान गंगा नहर के उद्घाटन में शामिल होने वाले अतिथियों के लिये स्पेशल ट्रेन तथा बसों का प्रबंध

*६५—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या बानगंगा नहर के उद्घाटन में शामिल होने वाले अतिथियों के लिये स्पेशल ट्रेन तथा बसों का प्रबंध किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले अतिथियों नें स्वयं अपने टिकट खरीदे थे।

सिंचाई व अन्य विभागों में ओवरसियरों के स्थान पर अन-क्वालिफाइड व्यक्तियों की नियुक्ति

*६६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई व अन्य विभागों में ओवरसियरों की जगह गत दो वर्षों में कुछ unqualified व्यक्ति रक्खे गये हैं ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, गत दो वर्षों में, सिंचाई विभाग में १४१ तथा स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग में ३७ unqualified ओवरसियरों की नियुक्ति स्थानापन्न रूप से की गयी है, क्योंकि qualified ओवरसियर उपलब्ध नहीं थे और निर्माण योजनाओं पर काम चालू रखने के लिये दूसरा उपाय नहीं था।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थानों पर वर्क सुपरवाइजर्स भी रखे गये हैं ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, इसके बारे में तो मुझे कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मालूमात की जा सकती है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी अयोग्य ओवरसियर्स की योग्यता बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—ऐसा हिसाब है जैसे हमारे यहां रुड़की कालेज है और लखनऊ में दो इंस्टीट्यूशंस हैं और अलीगढ़ है इनके ओवरसियर्स क्वालीफाइड समझे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां से लोग सर्टीफिकेट ले आते हैं और पंजाब के लोग आ गये हैं जिनके पास प्रमाण पत्र तो नहीं हैं लेकिन काम जानते हैं इसलिये हमने उनको टेम्पोरेरी काम दे दिया है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या मंत्री जी प्रकाश डालेंगे कि ओवरसियर्स की कमी को देखते हुये जो यहां पर सिविल और इंजीनियरिंग कालेजेज हैं उनमें छात्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री राममूर्ति—इसका इंतजाम किया गया है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी इन अनक्वालीफाइड ओवरसियर्स को काम करने के बाद ओवरसियर्स के ऐक्जामिनेशन से ऐक्जेम्प्ट कर देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें अनक्वालीफाईड से मतलब ऐसा है कि कुछ संस्थायें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है जैसे अलीगढ़, रुड़की और लखनऊ, इनके पासशुदा ओवरसियर्स क्वालीफाइड कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ संस्थायें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज नहीं किया है वह उनको सर्टीफिकेट दे देते हैं। इसलिये इस माने में वह अनक्वालीफाइड नहीं हैं बल्कि वह काम भी ठीक करते हैं, उन्होंने इम्तहान भी पास किया है, सर्टिफिकेट भी है लेकिन केवल संस्था को गवर्नमेंट ने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया है है, इस माने में वह अनक्वालीफाईड कहलाते हैं और वह काम बराबर कर रहे हैं ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आनरिकगनाइज्ड संस्थाओं के ओवरसियर्स हैं काम करने के बाद उनको रिकग्नाइज्ड ओवरसियर्स मान लिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—इस माने में मैंने नहीं कहा है कि तनख्वाहें वही मिल रही हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अनक्वालीफाइड ओवरसियर्स हैं उनको स्थायी किया जा रहा है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मैंने अभी निवेदन किया कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी स्पष्ट विचार नहीं किया है।

*६७–६८—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि

*६९—**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी** (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि हुयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां ।

*७०—**श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी**—यदि हां, तो क्या उसके अनुपात से पंचायत मंत्रियों, निरीक्षकों तथा सहायक पंचायत अधिकारियों की भी संख्यायें बढ़ायी जा रही हैं ।

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण पुराने अधिकारियों द्वारा उनकी जांच और देखरेख में परेशानी हो जायगी और निरीक्षण का काम ठीक से नहीं हो पायेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह पंचायत मंत्री और पंचायत निरीक्षक क्षेत्रवार रहते हैं। जो संख्या बढ़ गयी है उससे उनका काम अवश्य बढ़ जायगा किन्तु आशा यह है कि वह उस काम के बढ़ जाने पर भी अपना काम पूरा कर सकेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या ग्राम सभाओं के पंच, ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी और भूमि प्रबंधक समिति के जो सेक्रेटरी हैं, काम को देखते हुये इन तीनों पदों को एक कर देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह प्रश्न तो पहले से विचाराधीन है ।

श्री राम दास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बढ़ी हुयी संख्या बताने की कृपा करेंगे और यह भी बतलायेंगे कि अब कुल कितनी पंचायतें हो गयी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—पहले ३६ हजार और कुछ थीं और अब ७२ हजार और कुछ है।

श्री राम चन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचायत मंत्रियों को और गांव समाज के सेक्रेटरियों को एक में मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब तक रहेगा और इसका अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह कई प्रश्न संबंधित हैं। गांव में भूमि प्रबंधक समिति के सेक्रेटरी और विलेज लेविल वर्कर और विकास के और बहुत से कार्यकर्ता हैं, वह सब इस प्रश्न से संबंधित हैं और इन सब को ले कर इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*७१-७२—**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ७०-७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७३—**श्री तेजासिंह**—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

१९५५ के अन्त तक प्रदेश में पेंडिंग सिविल अपीलें

*७४—**श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ के अन्त में प्रदेश में कुल कितनी सिविल अपील्स पेंडिंग थीं ?

श्री सैयद अली जहीर—१९५५ के अन्त में प्रदेश के हाई कोर्ट में १६,७८२ और सिविल कोर्ट्स में २३,३७१ सिविल अपील्स पेंडिंग थीं ।

श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक से अधिक अवधि इन पेंडिंग केसेज की क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक ख्याल है इसकी सही सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां तक ख्याल है, सन् ५० या उसके लगभग के बाज-बाज केसेज, अपीलें अभी तक फैसल नहीं हुयी हैं।

श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० या उसके लगभग जैसा कि उन्होंने बताया कि उस समय कितने जिला जज थे और सन् १९५५ के अन्त में कितने जिला जज थे ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि प्रतिवर्ष अपीलों की संख्या बढ़ रही है तो उसको कम करने के लये वह क्या प्रबंध कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सवाल इस सदन में कई बार आ चुका है और यह बतलाया जा चुका है कि क्या प्रबन्ध किया है । जैसा कि मैंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि इरादा अब यह है कि काफी तादाद में सिविल जज और मुन्सिफ बढ़ायें जायं । जहां तक हाईकोर्ट का ताल्लुक है वहां के चीफ जस्टिस भी इसके लिये ख्याल कर रहे हैं, काफी अपीलें पड़ी हुयी हैं और वे काफी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह खत्म हों । यह बात सही है कि जो पुरानी बकाया अपीलें थीं उनमें कमी भी हुयी हैं । बहरहाल उसमें कुछ वक्त लगेगा कब्ल इसके कि मुकदमों की जो तादाद है उसमें कमी हो सके ।

श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी—जैसे कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया मैंने इस प्रश्न के विषय में नोटिस दिया था लेकिन वह लौट आया । तो क्या अब उसका जवाब प्राप्त हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रश्न नामंजूर हो चुका है, वह इसलिये नामंजूर हुआ कि आप सिविल लिस्ट से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, आपको सिविल लिस्ट मिलती है । वह चीज उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये वह प्रश्न नामंजूर कर दिया गया ।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन केसेज के डिस्पोजल का क्या विशेष प्रबन्ध किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी हाईकोर्ट में इतनी बढ़ी हुयी अपीलों की तादाद को देखते हुये मेरठ में हाईकोर्ट की शाखा खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में मेरठ में हाईकोर्ट की ब्रान्च खुलने से अपीलों की संख्या में कमी नहीं होगी ।

*७५–७६—**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा)—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७७–७९—**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)—[२ मई, १९५६ के लिये प्रश्न. ३७–३८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

परगना गोदलामऊ के असिंचित भाग की सिंचाई के लिये प्रबंध

*८०—**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर)—विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९५४) के ८ वें मंगलवार के प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना गोदलामऊ के असिंचित भाग की सिंचाई के लिये सरकार क्या प्रबंध करने जा रही है ?

श्री राम मूर्ति—उक्त क्षेत्र में सिंचाई के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग ३० राजकीय नलकूपों के बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नलकूप कब से बनने आरम्भ हो जायेंगे ?

श्री राम मूर्ति—अभी तो केवल प्रस्ताव है ।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन स्थानों पर यह नलकूप बनाने का विचार है वहां का सर्वे कराने का प्रयत्न शीघ्र किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, जब वह प्रस्ताव खत्म हो जायगा और कार्यान्वित हो जायगा तो सर्वे वगैरा सभी कराया जायगा ।

गाजीपुर जिले में प्रत्येक टाउन एरिया को विभिन्न मदों में दिया गया धन

*८१—**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गजीपुर जिले में गत तीन वर्षों में प्रत्येक टाउन एरिया को कितना-कितना धन किस-किस मद में दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर एक तालिका के रूप में रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५० पर)

*८२—**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस टाउन एरिया से सड़क बनाने, खड़ंजा लगाने तथा नालों को ठीक करने के लिये कितने धन की मांग उपर्युक्त समय में की गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह सूचना भी सदस्य महोदय की मेज पर एक तालिका के रूप में रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५१ पर)

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में बूढ़नपुर अम्बारी सड़क को बाढ़ से क्षति तथा बोर्ड द्वारा सरकार से सहायता की प्रार्थना

*८३—**श्री ब्रजबिहारी मिश्र**—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में बूढ़नपुर अम्बारी पक्की सड़क अहरौला के पास दो स्थानों पर तथा अन्य दो स्थानों पर गत बाढ़ से टूट गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां । बूढ़न पुर अम्बारी सड़क गत बाढ़ से चार स्थानों पर कट गयी है ।

*८४—**श्री ब्रजबिहारी मिश्र**—क्या जिला बोर्ड आजमगढ़ ने इस क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने में धनाभाव के कारण अपनी असमर्थता सरकार के सम्मुख प्रकट की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला बोर्ड आजमगढ़ ने गत बाढ़ से क्षति ग्रस्त भवनों तथा सड़कों की मरम्मत के हेतु शासन से अनुदान की प्रार्थना की थी और गत वित्तीय वर्ष में ३,००,००० रु० का अनुदान उसे स्वीकृत किया गया है ।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या सरकर को ज्ञात है कि जिला बोर्ड ने अतिवृष्टि और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये १३ लाख के अनुदान के लिये सरकार से प्रार्थना की थी जिसमें केवल एक लाख रुपया इसी सड़क के लिये मांगा था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, यह बात तो ठीक है कि वहां से जो क्षति की सूचना आयी थी वह १३ लाख से अधिक की थी ।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो रकम अनुदान के रूप में जिलाबोर्ड को दी गयी है उसमें इस सड़क के लिये भी कुछ धन ईयरमार्क कर दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मेरे विचार से ईयरमार्क किसी खास सड़क के लिये नहीं किया जाता ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस सड़क पर खर्च करने के लिये धनराशि जिला बोर्ड को दी गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—कोई ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होती है । यहां से जितना रुपया दिया जा सकता था वह दिया गया । उस रुपये में जहां वे मुनासिब समझेंगे और जहां ज्यादा आवश्यकता समझेंगे वहीं व्यय कर सकते हैं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—जिला बोर्ड की मांग को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार यह समझती है कि जो रुपया बोर्ड को दिया गया है वह क्षति के लिहाज से बहुत कम है ?

श्री कैलाश प्रकाश—क्षति के लिहाज से कम हो सकता है लेकिन जो रुपया सरकार ने उस बोर्ड को दिया है और उसके जो आंकड़े मेरे सामने हैं उनके अनुसार शायद इस जिला बोर्ड को प्रदेश में सबसे अधिक रुपया दिया गया है ।

श्री उमा शंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड ने सरकार से दी हुयी रकम को बाढ़ पीड़ित इलाके में खर्च न करके दूसरी जगह खर्च की है, ऐसे प्रार्थना पत्र सरकार के पास आये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इस मामले पर इस सदन में वक्त लेकर बहस हो चुकी है, जिसमें इन सब बातों का जिक्र हो चुका है । बहरहाल इस मसले को कि कहां मरम्मत की जरूरत है या कहां सड़क बनाना है इसको तो जिला बोर्ड और जिलाधीश मिल कर तय कर सकते हैं । सरकार इस मामले में मुनासिब नहीं समझती कि यहां से आदेश जारी किये जायं कि फलां सड़क बनायी जाय और फलां न बनायी जाय ।

*८५-८६-**श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ**—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला गोंडा में करनेलगंज से परसपुर तक पक्की सड़क के निर्माण में बिलम्ब

*८७—**श्री रघुराज सिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में करनेलगंज से परसपुर तक की पक्की सड़क पर कब से कार्य आरम्भ हुआ, अब तक कितना कार्य हो चुका है और वह कब तक बन जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सड़क पर अगस्त, १९५४ में कार्य प्रारम्भ हुआ और जून, १९५७ तक समाप्त हो जाने की आशा है । अब तक ८ मील में मिट्टी फिकाई, २ मील में पट ईंटा की सोलिंग बिछाने तथा ३ मील में ईंटा की गिट्टी की मध्यम कोटि की कुटाई का कार्य हो चुका है । पुलों की मरम्मत का कार्य भी हो चुका है ।

श्री रघुराज सिंह—क्या यह सही है कि गत ५ वर्षों के बीच में केवल यह ८ मील सड़क गोंडा में दी गयी थी जो अभी तक तैयार नहीं हो सकी है । यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता कि गोंडा में और कोई कार्य हुआ या नहीं । जहां तक दूसरे भाग का सबंध है मेरी सूचना यह है कि इस सड़क का कार्य अगस्त, ५४ में प्रारम्भ हुआ था और अब तक इस पर कार्य हो रहा है । सड़क के कार्य में प्रायः ३ वर्ष लगते हैं । इस दृष्टि से कोई विशेष विलंब इस कार्य में नहीं हुआ ।

सन् १९५४ में विभिन्न बाढ़ पीड़ित जिलों की सड़कों की मरम्मत के लिये दी गयी धनराशि

*८८—**श्री राम सुन्दर पांडेय**—क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन बाढ़ पीड़ित जिलों की सड़कों की मरम्मत एवं उनको पक्की कराने के लिये सन् १९५४ में कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एक तालिका जिसमें यह सूचना दी हुयी है सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५२–१६० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो तालिका दी हुयी है उस तालिका में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ही सब सड़कें हैं या जिला बोर्ड की भी शामिल हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—सम्भव है कि इस में कुछ सड़कें जिला बोर्ड की भी हों, निर्माण विभाग की तो हैं ही।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें बाढ़पीड़ित क्षेत्रों की हैं उन की मरम्मत के लिये जो रुपया खर्च किया गया है उन सड़कों की तालिका किस विभाग द्वारा बनवाई गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वह तालिका तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही तैयार की गयी थी ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह रुपया जो दिया गया वह किस विभाग द्वारा खर्च किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ।

कानपुर में गोविन्दनगर और दर्शनपुरवा के बीच रेलवे पुल के अभाव के कारण दुर्घटनायें

*८९—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में गोविंद नगर और दर्शनपुरवा के बीच रेलवे पुल की व्यवस्था न होने के कारण अक्सर रेलवे लाइन को पार करते समय निकलने वालों की मृत्यु हो जाती है। यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने आदमी वहां रेल से कट कर मर गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । गत १९५३, १९५४ और १९५५ सालों में क्रम से ४, ६ और ३ मृत्युएं इस कारण हुयीं।

*९०—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग को इस सम्बन्ध में लिखा है ? यदि नहीं, तो क्या वे अब लिखेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं । लिखने पर विचार किया जा रहा है ।

*९१—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (अनुपस्थित)—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास बोर्ड ने जब गोविंद नगर में प्लाट बेचे थे, उस समय इस पुल को बनवाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण—जी नहीं। कार्य पूरे होने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के नये असेसमेंट से टैक्स में वृद्धि

*९२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का असेसमेंट जो ५ वर्ष बाद हुआ है उसमें कितना टैक्स बढ़ा है या घटा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इलाहाबाद नगरपालिका ने इमारतों तथा जमीनों का पंचवर्षीय असेसमेंट १९५४–५५ में किया। यह नया असेसमेंट १-४-५५ से लागू हुआ और इसके अनुसार बोर्ड के टैक्सों में पिछले पंचवर्षीय असेसमेंट से ३,०९,६०४ रु० की वृद्धि हुयी।

*९३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड का हिसाब जो इस वर्ष आडिटर ने जांच किया है उसमें बोर्ड के टैक्सों की वसूली के बारे में बोर्ड की गिरती हुयी हालत पर शिकायत लिखी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाश प्रकाश—सन् १९५५ में आडिटर्स ने म्युनिसिपल बोर्ड, इलाहाबाद के १९५४–५५ के एकाउन्ट्स को आडिट किया था। यह आडिट रिपोर्ट अभी सरकार को या म्युनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद को प्राप्त नहीं हुयी है, इसलिये सरकार के लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि आडिट ने बोर्ड के हिसाब की जांच करने के बाद क्या-क्या शिकायतें लिखी हैं ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह टैक्स की बढ़ोत्तरी किस कारण से हुयी ?

श्री कैलाश प्रकाश—बढ़ोत्तरी का कारण तो यह है कि वहां कुछ नये मकान बने, कुछ मकानों के किराये में वृद्धि हो गयी और जिन का पहले कुछ कम असेसमेंट था वह ठीक कर दिया गया, इत्यादि।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जिन मकानों पर गरीबी के कारण टैक्स नहीं लगता था, इस वर्ष उन पर भी लगा दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस की तफसील तो अभी नहीं मालूम कि क्या तब्दीली उस में किस तरह से हुयी है, वह बड़ी तफसीली चीज है, जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं है तब तक नहीं कहा जा सकता कि कहां वह घटा है, कहां बढ़ा है, यह सब रिपोर्ट को देखने पर पता चलेगा।

इलाहाबाद में लो पेड स्टाफ के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा भवन निर्माण

*९४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद में कितने मकान लो पेड स्टाफ के लिये बनाये गये हैं और उसमें कितने मकानों में अब तक लोग रह रहे हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—इलाहाबाद में लो पेड स्टाफ के लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट १२ मकान बनवा रहा है। अभी मकान बन ही रहे हैं इसलिये उनमें लोगों के रहने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में कितने मकान बनाये जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर आप दूसरी योजना के बारे में कह रहे हैं, उसके बारे में तो अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी उस के बारे में तय नहीं हुआ है लेकिन यह पहली योजना के मुताल्लिक ही बन रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मकान जो बन रहे हैं वे कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल से वह जल्द ही दो तीन महीने में बन जायेंगे ?

अतारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा में घाट रामेश्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग मोटर सड़क का निर्माण

१—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अल्मोड़ा में घाट रामेश्वर गंगोली हाट बेरीनाग मोटर सड़क का निर्माण जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत की गई है कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस सड़क के घाट रामेश्वर भाग का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सीमित आकार तथा अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण रामेश्वर-गंगोली हाट -बेरीनाग भाग के निर्माण, कार्य को योजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं है।

पिथौरागढ़ टाउन एरिया में टोल टैक्स लगाने के संबंध में पूछ-ताछ

२—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ टाउन एरिया को टोल टैक्स लगाने की कब तक इजाजत मिल जायेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—पिथौरागढ़ टाउन एरिया में टौल टैक्स सम्बन्धी नियमों का पान्डुलेख सूचनार्थ विज्ञप्ति संख्या १७१९ ए०/२७८ टी०-५४, दिनांक ५, अप्रैल, १९५६ ई० के साथ प्रकाशित करने भेज दिया गया है। तारीख १५ मई, १९५६ के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त उक्त नियम अन्तिम रूप से छापे जायेंगे। तदुपरान्त टाउन एरिया टैक्स लगाने की कार्यवाही करेगा।

३-४—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

५-७—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**—[८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री रामेश्वर लाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जिलाधीश से एक सूचना आई है श्री रामेश्वर लाल जी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे वह इस प्रकार है—

"मुझे यह सूचना देनी है कि मैंने अपना यह कर्त्तव्य समझा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों की अवहेलना के लिये श्री रामेश्वरलाल, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत आज सायंकाल लगभग साढ़े चार बजे गिरफ्तार कया जाय। उन्हें लखनऊ के जिला बन्दीगृह में रखा गया है।"

उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ पर प्राप्त जनमत का संक्षिप्त विवरण

श्री अध्यक्ष—एक सूचना और मैं सदन को देना चाहता हूं कि श्री रामसुमेर जी के उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में प्राप्त मत सदन की मेज पर रखे हैं और जो सदस्य उन्हें देखना चाहें देख सकते हैं। सदस्यों की सुविधा के लिये मतों का सारांश सदस्यों को छपवा कर बांट दिया गया है।

सदन में वह विधेयक उपस्थित हो चुका था और जनमत लेने का निर्णय हुआ था। तो जनमत जो आया उसका संक्षिप्त विवरण छपवा कर सदन की मेज पर रखा गया है। मैंने इस कारण यह सूचना दी है कि और कागजों के साथ कहीं वह मिल जाय और माननीय सदस्य यह समझें कि उसे नहीं बांटा गया।

सदन की अगली बैठक के सम्बन्ध में सूचना

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, यह जानना चाहते हैं हम लोग कि सदन की बैठक कल स्थगित होने के बाद फिर कब सदन बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में लोगों ने कुछ प्रार्थना की थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके बाद जो निर्णय किया हो उसको सूचित कर दें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि इधर कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं—रामनवमी, महावीर जयन्ती, शनिवार और रविवार भी हैं। इन सब को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि अब सदन की अगली बैठक २४ तारीख से हो।

कार्य-क्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रार्थना

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज के क्रमानुसार यह क्रम नम्बर दो जो है अतिरिक्त अनुदानों के सम्बन्ध में यदि इसमें सरकार को कोई आपत्ति न हो तो इसको कल ले लें और कल से जो बहस जारी है राज्य पुनस्संगठन के सम्बन्ध में उसको आज ले लें।

श्री अध्यक्ष—कल मैंने यह मौका दिया था इस बात पर विचार करने के लिए कि उक्त विषय को आज रखें या कल रखें। मेरे पास शाम को यह सूचना आ चुकी थी कि पहले ये अनुदान ले लिये जायंगे और उसके बाद उक्त प्रस्ताव पर बहस जारी रहेगी। मैंने सदन को सूचना दे दी थी और अब मैं समझता हूं कि कोई पुनर्विचार की मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

१९५१-५२ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १६—पुलिस

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों पर जिनके लिए ४ अप्रैल, १९५६ को उत्तर प्रदेश विधान सभा में ४०,०१,८६३ रुपये की मांगें उपस्थित की गयीं थीं, मतदान होगा।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त हुए वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या १६-पुलिस के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को ९,१८८ रुपये की धनराशि दी जाय ।

थोड़े में मैं इसका कारण बतलाये देता हूं । दस्तूर यह है कि पुलिस को जितनी वर्दी की जरूरत होती है उसकी सूचना जनवरी के महीने में पुलिस विभाग की तरफ से डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को दे दी जाती है। फिर डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के टेक्सटाइल कमिश्नर को जो बम्बई में रहते हैं उसकी सूचना भेज देते हैं । फिर टेक्सटाइल कमिश्नर अलग-अलग कारखानों से इंडेंट मंगवाते हैं और उसके बाद जो इंडेंट उनको ठीक जंचता है उससे वर्दी के लिए कपड़ा खरीदते हैं । साधारणतया इसमें दस महीने, बारह महीने बल्कि कभी कभी साल भर से ऊपर लग जाता है और इसी हिसाब से बजट तैयार होता है। तो जब जनवरी में यह आर्डर दिया गया तो यह उम्मीद थी कि अगले साल उसका पेमेंट होगा। लेकिन १९५१ में यकायक कपड़े का एक्सपोर्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने बन्द कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि मिलों के पास कपड़ा ज्यादा इकट्ठा हो गया । उन्होंने इस आर्डर को अगले साल के लिए न छोड़कर फौरन इस आर्डर को एग्जीक्युट कर दिया और टेक्सटाइल कमिश्नर ने खबर दी कि वह वर्दी सब तैयार है उसको ले लें । तो वह वर्दी खरीदनी पड़ी ,जिसकी वजह से सब मिलाकर ३ लाख ४५ हजार ४९ रुपये जितना बजट में रखा गया था उससे ज्यादा खर्च हो गया । बाकी रुपया सेविंग्स से निकल आया ९,१८८ रुपया नहीं निकल सका । उसी के लिए यह मांग सदन के सामने पेश की गयी थी।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग अभी माननीय पुलिस मंत्री जी ने रखी है उसका मैं विरोध करता हूं और इसलिये विरोध करता हूं कि यह तरीका जो है यह नामुनासिब है । जो कुछ व्याख्या और सफाई उन्होंने देने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि एक्सेस बजट में खर्च करने के लिए उतनी ही बात पर्याप्त नहीं है । एक बात तो यह जरूर है कि रकम छोटी है और दूसरी बात उसके सिलसिले में यह भी मैं अर्ज करूं कि वह ऐसे काम में भी खर्च की गई है कि जिस काम में खर्च करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कांस्टेबुलों को वर्दी बनाने के काम में वह रुपया खर्च किया गया है । मैंने जहां तक देखने की कोशिश की यही बात है । तो इस तरह की रकम कुछ और आगे भी खर्च करने का सवाल हमारे सामने आवेगा। तो उस पर मैं समझता हूं कि ऐसी बात हो सकती है कि जिसके लिये सख्त मुखालिफत करने की जरूरत हो लेकिन मैं केवल उस अन्श का इस मामले में विरोध करता हूं कि जो खर्च करने का तरीका है। जिस काम में खर्च किया गया है उस काम का विरोध मैं नहीं करता । मैं समझता हूं कि वह काम ठीक किया गया है और मैं इस मौके पर कुछ विशेष तो उस तरफ ध्यान दिलाने की चेष्टा नहीं करूंगा लेकिन इतनी धृष्टता जरूर करता हूं कि जिस प्रकार से बजट से अधिक रुपया खर्च करके भी कांस्टेबुलों को वर्दी देने की मेहरबानी सरकार ने की उसी तरह से कुछ उनकी और भी आवश्यकतायें हैं जिन आवश्यकताओं की तरफ सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिए । इस वक्त माननीय वित्त मंत्री जी कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वह यह सब सुनने को तैयार नहीं हैं । तो मैं नहीं कहूंगा इन बातों को, लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ प्रारम्भिक आवश्यकतायें उनकी हैं जिनकी तरफ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार का ध्यान जाना चाहिये। इतनी बात कहते हुए उन्हीं बातों को मैं फिर दोहराता हूं जिन बातों को मैंने पहले कहा है।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—यह एक्सेस ग्रान्ट के जो तरीके हैं मैं समझता हूं कि इसके जो बुनियादी कारण हैं उन पर भी हम लोगों को कुछ विचार अवश्य करना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि जितना रुपया लेजिस्लेचर ने पास किया है उससे ज्यादा रुपया खर्च कर देना और उसके लिए साल के आखीर तक कोई सप्लीमेन्ट्री डिमांड न करना और रुपया खर्च कर देने की जो यह कुछ आदत सी हमारे डिपार्टमेंट्स की पड़ गई है उसकी हमें कुछ रोकथाम अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि यह कांस्टीटूयूशनल इर्रेगुलैरिटी है। मैं जानता हूं कि यह खर्च हो गया। कुछ हमारे में बुनियादी दिक्कतें हैं ऐसी जिनकी वजह से यह रुपया खर्च हो जाता है और मैंने पहले भी इस बात की कोशिश की थी और जब पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के सामने यह मसला आया तो उस वक्त भी हमने यह सुझाव दिया था कि सेपरेशन आफ आडिट फ्राम एकाउन्ट्स हो जाय तो शायद यह जो एक्सेस की बातें हो जाती हैं उनमें बहुत कमी हो जायगी और माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम कुछ डिपार्टमेंन्ट्स आडिट और एकाउन्टस को सेपरेट करने जा रहे हैं और उसको देखकर के फिर बाद को यह पता लगेगा कि आया यह सेपरेशन से इन एक्सेसेज और सेविंग्स पर कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो जहां तक कि हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि जिन चीजों के लिये वह खर्च किया गया था उन पर तो हमें कोई एतराज नहीं है पर मैं इस बात पर अवश्य एतराज करता हूं कि हर डिपार्टमेन्ट को इस बात की हिदायत देनी चाहिये कि जितना रुपया लेजिस्लेचर से पास होता है उस पर उनका चेक अवश्य रहना चाहिये साल के अन्त तक, ३१ मार्च तक उनको पता होना चाहिए कि उनके डिपार्टमेन्ट से कहीं उस रुपये से कुछ रुपया ज्यादा तो नहीं खर्च किया जा रहा है जिसकी कि मंजूरी उनको लेजिस्लेचर से दी गई है। अगर उसके ऊपर नहीं देखेंगे अध्यक्ष महोदय तो इसका नतीजा यह होता है कि बहुत सालों के बाद वह रिपोर्ट हमारे सामने आती है। जो आफिसर एक्सेस खर्च कर देता है उसको इस बात का खतरा नहीं है कि यह लेजिस्लेचर कुछ कमेंट भी कर सकेगा। बाद को बहुत दिनों के बाद आयेगा तब इस तरह से उनकी आदत पड़ जाती है कि स्वीकृत तो हो ही जायगा जो चाहे खर्च कर देंगे और यह जो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं उसके खिलाफ पड़ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य चाहूंगा कि जहां वह इस एकसेस ग्रांट की मंजूरी के लिये सदन में ला रहे हैं वहां साथ ही साथ वह पुलिस डिपार्टमेन्ट को हिदायत जारी करेंगे कि इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की जाय कि जितना एमाउन्ट लेजिस्चर से इस सिलसिले में पास किया जाता है उससे अधिक खर्च नहीं होगा। चूंकि अब रुपया खर्च हो गया है और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम ऐसे तरीकों का विरोध करें, हम यही कह सकते हैं कि वह रुपया अब खर्च हो गया है और सरकार की मंजूरी मिल गई है, लेजिस्लेचर की मंजूरी मिल जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके बारे में बतलाया है वह बहुत कुछ ठीक भी है। अभी जैसा उपाध्याय जी ने कहा ग्रांट से एक्सेस खर्च न हो उसके लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

एक व्यवस्था होनी चाहिये और उसके लिये कुछ सुझाव सरकार के पास आये हैं। सेपरेट एकाउन्टस फ्राम आडिट । क्योंकि जब तक चेक्स ऐंड बैलेंसेज की व्यवस्था नहीं होती तब तक यह अन्दाजा नहीं लग सकता कि जितना बजट पास हुआ है उतना ही खर्च हुआ है या उससे ज्यादा । दो बातें होती हैं। एक तो एक्सेस खर्च होता है और दूसरी यह होती है कि विभागों में बहुत बड़ी रकम पड़ी रह जाती है और विभाग के जो सम्बन्धित अधिकारी हैं वे जब देखते हैं कि हमारे पास बहुत सा रुपया बच गया है तो वे अपनी किसी स्कीम में खर्च कर देना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो एक्स्प्लेनेशन काल होता है कि क्यों इतना रुपया मांगा और क्यों इतना रुपया खर्च नहीं किया ? इसलिये माननीय उपाध्याय जी ने जो सुझाव दिया है कि हर एक डिपार्टमेंट में आडिट से एकाउन्ट्स सेपरेट रखा जाय। क्योंकि डिपार्टमेन्ट के अध्यक्षों को पता नहीं रहता कि कितना रुपया उसके पास है और कितना उसको खर्च करना है, यह रहना चाहिये तभी ठीक होगा । क्योंकि जो ग्रान्ट है उससे एक पैसा भी ज्यादा खर्च हो जाना अवैधानिक है और जब तक ऐसी व्यवस्था है जिससे यही निश्चित नहीं होता कि कितना रुपया खर्च होने वाला है या हो गया क्योंकि यह एकाउन्ट तो एकाउन्टेन्ट जेनरल रखता है इसलिये जब तक डिपार्टमेन्ट्स अपनी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक ठीक नहीं हो सकता और सम्भव है कि भविष्य में एकसेस खर्च हो जो अवैधानिक हो । इसलिये उपाध्याय जी ने जो अपने सुझाव दिये हैं मुझे आशा है कि सरकार उस पर विचार करेगी । ताकि भविष्य में इस प्रकारके इंस्टांसेज न आवें । इस प्रकार के जो एक्सेस खर्चे हैं वे बहुत कुछ सामन्तशाही या नवाबों की व्यवस्था के परिचायक हैं और डेमोक्रेसी में ये बातें शोभनीय नहीं हैं।

श्री बेचन राम गुप्त (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, जो अतिरिक्त अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय गेंदासिंह जी ने अपने भाषण में कहा है कि यह तरीका रुपया मांगने का बहुत गलत है। मेरी समझ में नहीं आता कि सिवाय एक्सेस ग्रांट के और कौन सा तरीका हो सकता है जिसके जरिये से रुपया सरकार सदन से मांग सकती है। इस सिलसिले में मैं यह बता देना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान में क्या फर्क होता है। अनुपूरक अनुदान में जब डिपार्टमेन्ट के अधिकारी इस बात का अनुभव करते हैं कि जो एस्टीमेट उनके खर्च का है उससे सारी जरूरियात उनकी पूरी नहीं हो सकती हैं या उनका इस्टीमेट गलत हुआ है उसमें कमी पड़ गई है तो साल खत्म होने से पहले ही वह सप्लीमेंटरी डिमांड के लिये सदन के सामने आते हैं। एक्सेस ग्रांट में जब वे साल भर खर्चा करने के बाद देखते हैं कि कहीं जितना रुपया सदन ने उन को मंजूर किया था उस से बेशी रुपया वहां खर्च कर दिया गया है तो उस के लिये वह सदन में एक्सेस ग्रांट के लिये अनुदान पेश करते हैं। यही दोनों में अन्तर है। पहली में वह साल के पहले इस बात को महसूस कर लेते हैं कि उस में इतने रुपये की कमी है और दूसरे में एक्सेस ग्रांट में साल के अन्त में जब हिसाब जोड़ने पर यह मालूम होता है कि टोटल अनुदान से बेशी रुपया खर्च हो गया है तो वे सदन के सामने एक्सेस अनुदान पेश करते हैं।

माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि यह कांस्टीट्यूशनल इर्रेगुलरिटी है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह से कांस्टीट्यूशनल इर्रेगुलरिटी है। और कोई दूसरा तरीका रुपया मांगने का हो ही नहीं सकता था। जिन-जिन देशों में प्रजातंत्र हुकूमत है उनमें ये तरीके बरते जाते हैं। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी सदन से यह सिफारिश है कि कारण या वाकयात जो भी रहे हों, किन्तु फिर भी मंत्री महोदय ने जो अनुदान मांगा है उसके लिए स्वीकृति प्रदान करें। किन्तु साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं विशेषकर मित्र बेचनराम जी का भाषण सुनने के बाद कि यह समझना कि किसी रूप से, टेक्निकल रूप से अगर हम कांस्टीट्यूशनल या जो नियम बने हुए हैं उनकी अगर पूर्ति कर लेते हैं तो उसी से संतुष्ट करें, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बुराई होगी। एक्सेस खर्च करने के बाद इस सदन से उस एक्सेस की पूर्ति के लिए रजामन्दी मांगना मैं समझता हूं कि उसी प्रकार का होगा जैसे कि आर्डिनेंस पास करने के बाद उस आर्डिनेंस को कानून बनाने को सदन में एक बिल लाया जाय, यह वही बात है। सरकार अपनी तरफ से सब कार्य पूरा कर देगी। पर एक प्रकार से इस सदन के अधिकार की अवहेलना हो रही है। मैं समझता हूं कि शब्द कोई कठोर नहीं और सत्य से भी दूर नहीं है। यदि सरकार को खर्च करने के लिये पैसा चाहिये तो विधि बनी हुई है। पहले मुख्य बजट का अवसर है, उसके बाद सप्लीमेंटरी का अवसर है और एक ही नहीं दो दो सप्लीमेंटरी लिये जाते हैं और लिये गये हैं। फिर भी एक्सेस का खर्च होना, मैं अपने विचार से समझता हूं कि इसमें सरकार की तरफ से और विशेष कर जैसा कि मेरे मित्र उपाध्याय जी ने कहा, इसमें जो डिस्बर्सिंग आफिसर्स हैं उनकी बहुत हद तक गलतियां और कमजोरी साबित होती है। एकाउन्ट और आडिट का सेपरेट होना बहुत ही आवश्यक है और पैसा भी उसमें लगना आवश्यक है और संभवतः शुरू में उसमें काफी लगे, इसी से यह कार्य अभी तक अपनाया नहीं गया, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको कभी न कभी अपनाना आवश्यक होगा।

अधिक न कह कर मैं यह कहूंगा कि इसको स्वीकार कर लिया जाय, लेकिन यह न समझा जाय कि इसमें कोई इर्रेगुलरिटी नहीं हुई है और सदन के लिए यह शोभा की बात है कि सरकार खर्च करने के बाद सदन का उसके लिये मतदान ले।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्सेस ग्रांट का सवाल सदन के सामने पेश है इस सम्बन्ध में अभी माननीय गुप्त जी ने कुछ एक्सेस ग्रान्ट और सप्लीमेंटरी ग्रांट का फर्क समझाने की कोशिश की, लोगों को एक सबक देने की बात कही, लेकिन जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी और उपाध्याय जी ने कहा, इस ग्रान्ट को अपोज करने का कोई प्रश्न नहीं है कि यह पास हो या न हो। यह तो हम जानते हैं कि सरकार सोचती है कि हमारे पास विशाल बहुमत है और उसके आधार पर हम जैसा भी चाहेंगे करा लेंगे। यह उसी का नमूना है कि सप्लीमेंटरी बजट भी लाते हैं और एक्सेस ग्रांट भी पेश करते हैं। कानून की दृष्टि से आप ला सकते हैं और एक्सेस ग्रांट को भी खर्च करके मनवा सकते हैं। कानूनी आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन बजट के बनाने का अगर कोई मतलब है तो सिर्फ यह है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने-अपने साल भर का खर्चा सोच सकें और कभी गलती हो जाय तो सबक ले कर बार बार सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स न लाया करें और खर्च में भी नियंत्रण करें, उतना ही खर्च करें जितना कि बजट पास हो। ज्यादा खर्च न करें और खर्च करते वक्त उनको ध्यान रहे। लेकिन यह जो एक्सेस हो जाती है यह सरकार की ढिलाई के कारण होता है। यह सरकार को भी ध्यान देने की बात है। लेकिन शायद सरकार की ऐसी नीति हो कि हम तो पास करा ही लेंगे, कोई बात नहीं। इसी कारण से एक्सेस ग्रांट आज सदन में पेश है। आज यह प्रश्न नहीं है कि ग्रांट कितनी है और इसे पास करें या न करें, लेकिन प्रश्न यह है कि सदन का अपमान कदम-कदम पर किया जाता है, बगैर किसी मंजूरी के लिए हुए खर्च कर लिया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसेवक यादव]

में प्रोटेस्ट करता हूं और मैं समझता हूं कि विशाल बहुमत में मेरे अपोज करने का कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन चेतावनी देने के लिये माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि यह सन् १९५१–५२ की एक्सेस ग्रान्ट सन् ५६ में प्रस्तुत की गई, इससे ज्यादा मखौल की बात क्या हो सकती है? १९५१–५२ में आपने कुछ पैसा ज्यादा खर्च किया और उसको अब सदन से पास करा रहे हैं। तो इसका सबक देने के लिये मैं समझता हूं सदन को इसका विरोध करना चाहिये और इसको पास नहीं होने देना चाहिये।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सम्बन्ध में कई तरह की बातें कही गयीं, विशाल बहुमत है, सामन्तशाही, इत्यादि इत्यादि। जिन माननीय सदस्यों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है वे जरूर अपने शब्दों का अर्थ समझते होंगे। बहरहाल मैं उन बातों का न तो अर्थ समझा और न प्रासंगिकता समझा। उन बातों का जिक्र करना भी मैं नहीं चाहता।

माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि इस रकम से उनको विरोध नहीं है, जिस काम के लिये यह रकम मांगी जा रही है उस से भी उनको विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके पर रुपया खर्च किया जाता है उस के सम्बन्ध में उनको विरोध है। मैं उनका बहुत अनुगृहीत होता यदि वे हमको कृपा कर बतलाते कि उस सम्बन्ध में खर्च कैसे करना चाहिये था।

माननीय उपाध्याय जी ने जरूर हमको इस सम्बन्ध में कुछ सलाह दी और दो शब्दों में उसी की बाबत कहना चाहता हूं। जहां तक सेपरेशन आफ आडिट ऐंड एकाउन्ट्स की बात है सिद्धान्ततः हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है, लेकिन माननीय उपाध्याय जी जरूर इस बात को जानते होंगे कि अनुमान यह है कि इसमें करोड़ों रुपये का खर्चा है। इसलिये हमारी ही बात नहीं, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इस बात को बहुत पहले माना, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि इस चीज को कर सकते। एक आध छोटे विभागों में प्रयोग के रूप में वे इस काम को कर रहे हैं। हमारा भी विचार होता है कि किसी एक आध बहुत छोटे विभाग में करें और देखें कि यह चीज कैसे होती है, क्या उसका रूप होता है? लेकिन अभी हाल में, कोई महीने भर के करीब की बात है जब श्री चन्दा जी गवर्नमेंट आफ इंडिया के ए० जी० हैं हमारे यहां आये थे एक मीटिंग में, उस मीटिंग के बाद वे मुझसे मिले थे। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि यह चीज की जाय तो अव्वल तो इसमें कई वर्ष लगेंगे और फिर करोड़ों रुपये का खर्च है ही और काफी काशस रहने की जरूरत है। करोड़ों रुपये हमारी खर्च करने की हिम्मत नहीं हो सकती।

जहां तक एक्सेस ग्रान्ट की बात है, मैं इस बात को कहने की हिम्मत करता हूं कि दुनिया में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो इस बात का जिम्मा ले सके कि कभी एक्सेस खर्चा नहीं होगा। हम सब गृहस्थ हैं, हमारा अपना तो कोई इस तरह का जैसा गवर्नमेंट किया करती है वैसा क्रेडिट नहीं होता, हम करोड़ों रुपये कर्ज भी नहीं ले सकते एक गृहस्थ की हैसियत से, लेकिन यह हम सब जानते हैं कि चाहे कितना ही अच्छा हिसाब अपना हम क्यों न बनायें, लेकिन फिर भी ऐसा हो ही जाता है कि ज्यादा खर्च हो जाता है। बहुत ही किफायत के साथ काम करने पर भी कभी-कभी ज्यादा खर्च हो जाता है। फिर जहां करोड़ों का बजट हो वहां के लिये यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता? ७ करोड़ रुपये का पुलिस का बजट है साल का। उसमें ९ हजार का एक्सेस खर्चा हुआ यह सोचने की बात है। कभी कोई इसको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट सीधे किसी को आर्डर नहीं देता, क्योंकि कोई पक्षपात कहता है, कोई कुछ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहता है, कोई कुछ कहता। तो वह डायरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज को आर्डर देता है। वह भी सीधे आर्डर नहीं देता है। वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के टेक्सटाइल कमिश्नर के पास आर्डर भेजता है। टैक्सटाइल कमिश्नर इन्डेंट्स मांगता है। फिर भी आमतौर से एक्सेस होने की जरूरत नहीं पैदा होती है। लेकिन गवर्नमेंट आफ़ इंडिया अगर कोई आर्डर निकालती है तो हमसे पूछ कर नहीं निकालती है। अक्तूबर में टैक्सटाइल कमिश्नर ने कहा कि इस साल पूरी वर्दी नहीं मिलेगी। यकायक नवम्बर या दिसम्बर में गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी एकदम बदल गयी। उन्होंने यह आर्डर निकाल दिया कि हिन्दुस्तान से वह कपड़ा जिसकी वर्दी बनती है बाहर नहीं जायगा। उसका नतीजा यह हुआ कि मिल वालों ने जो कपड़ा बाहर भेजने के लिये बनाया था वह सरप्लस हो गया। नतीजा यह हुआ कि जिस वर्दी को हम उम्मीद करते थे कि ५, ६ महीने बाद मिलेगी और अगले साल उसका पेमेंट होगा वह यकायक गवर्नमेंट आफ इंडिया का आर्डर निकल जाने की वजह से हमारे सिर पर सारे का सारा कपड़ा आ गया, इस वजह से यह खर्चा हुआ। जब तक टेक्सटाइल कमिश्नर साहब हिसाब किताब लगा कर डायरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज को भेजें तब तक साल बीत गया। उस समय न बजट की बात थी न सप्लीमेंटरी बजट पेश हो सकता था। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इसमें किसी तरह की इर्रेगुलरिटी हुई या यह हम देख सकते थे कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, यकायक ऐसी बात हो गयी है। बहरहाल इस बात को सदन ने स्वीकार किया है कि यह चीज जरूरी है। मैं यह कहता हूं इस मांग को पेश करने में गवर्नमेंट की भूल का पता नहीं चलता है, बल्कि उसकी विवशता का पता चलता है। मैं आशा करता हूं सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६–पुलिस के अन्तर्गत ९,१८८ रु० की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—शिक्षा

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या १८—शिक्षा के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को १,६८,१७६ रुपये की धनराशि दी जाय।

इस सम्बन्ध में जो एक्सेस खर्च हुआ है उस के सम्बन्ध में दो कारण कहे जा सकते हैं। पहले को जब हम देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि १९५०–५१ का जो स्टेट का बजट था उसमें स्कालरशिप की संख्या ८,८८,९०० रुपये की थी और १९५१–५२ में स्कालरशिप की संख्या घटकर ३,६८,१०० रुपये कर दी गई थी इसमें छात्र-वृत्ति पाने वालों की संख्या तो कम नहीं हुई है और रुपये की संख्या कम हो गई है। जब हम इस चीज को देखते हैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब छात्रवृत्ति की संख्या कम नहीं हुई और रुपये की संख्या कम हो गई तो प्रश्न सामने यह आया कि विद्यार्थियों की कैसे मदद की जाय, इस पर विचार करना आवश्यक समझा गया। १९५१–५२ के पूर्व मिलिटरी स्कालरशिप पर अधिक व्यय नहीं किया जाता था। आगे कहने का तात्पर्य यह है १९५१—५२ में डिस्ट्रिक्ट सेलर्स ऐंड सोल्जर्स बोर्ड ने इस छात्रवृत्ति का इतना प्रचार किया कि जिला निरीक्षक के पास बहुत से आवेदन पत्र आ गये और डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर्स आफ स्कूल्स स्कुटनी करने के पश्चात् इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना आवश्यक है और उन छात्रवृत्तियों की डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर्स आफ स्कूल्स ने या

[डाक्टर सीताराम]

डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्ट्रेस आफ गर्ल्स ऐजुकेशन ने अध्यादेश, मार्च, १९४२ तथा जुलाई १९४५ के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देने का फैसला लिया। इस प्रकार से मार्च, १९५१ तक के आंकड़े जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा शिक्षा संचालक महोदय के पास नहीं भेजे जा सके। इसलिये सूचना मंगाने पर में देरी हो गई जिससे इनको सप्लीमेंटरी डिमांड्स में न लाकर के एक्सेस डिमांड्स में लाया गया और एक्सेस डिमांड्स उसी समय मांगी जाती है जब कि उसकी पूरी स्क्रूटनी हो जाती है। लेखा परीक्षा के आंकड़े की जांच हो जाने के बाद और नियन्त्रण महालेखा पाल के अधिकारियों द्वारा ऐप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स के संकलन होने के पश्चात् ही ये आंकड़े पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के समक्ष रखे जाते हैं और उसके पश्चात् अनुमति देने के बाद यह रकम सदन के समक्ष पारित करने के लिये प्रस्तुत की गई है और मैं आशा करूंगा कि सदन इसको पारित करेगा।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमें बहुत ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन फिर भी इस हाउस का जो राइट है, जो अधिकार है कि बिना हाउस की स्वीकृति के एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, अगर आवश्यक हो तो फरवरी के महीने में भी हमारे सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स असेम्बली के अन्दर रखे जा सकते हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंटों पर काफी चेक हो, वह अगर यह समझें कि एक्सेस हमें नहीं खर्च करना चाहिये तो इसमें काफी सुधार हो सकता है। क्योंकि यह तो एक कांस्टीटयूशनल इर्रेगुलैरिटी है कि पहले खर्च कर दिया जाय और उसकी स्वीकृति बाद में मांगी जाय। कांस्टीटयूशन में प्रोवाइडेड है कि एक भी पैसा बिना लेजिस्लेचर की स्वीकृति के न खर्च किया जाय। तो यह तो खर्च हो गया और इसके लिये तो हम सैंक्शन दे देंगे और इसमें वजूहात भी ऐसे थे कि वह एस्टीमेट नहीं कर पाये कि कितनी स्टाइपेंड दिया जायगा और वह जरूरत से ज्यादा हो गया। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने भी इस पर काफी बहस हुई थी और उसने इन सारे पहलुओं पर विचार करते हुए इस आइटम पर बहुत सख्त रेजोल्यूशन भी पास नहीं किया है यह समझते हुए कि ऐसी जरूरत थी कि जिसकी वजह से यह किया गया। तो यह कहते हुए कि यह कांस्टीटूशनल इर्रेगुलेरिटी है और डिपार्टमेंट एक्सेस खर्च न करे, यह जो आइटम रखा गया है इसको पास करने के मैं पक्ष में हूं।

श्री जोरावर वर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिद्धान्त की बात है वह तो माननीय उपाध्याय जी ने कह दी। मुझे यह कहना है कि शिक्षा विभाग का जब यह रवैया है कि जुलाई से लेकर मार्च तक वह छात्रों के नाम ही नहीं जान पाये, उनको कितना रुपया स्कालरशिप में देना है इसका ही निर्णय नहीं हो सका तो इससे अधिक हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। जब शिक्षा विभाग की यही नीति है तो यह शिक्षा विभाग दूसरों को क्या शिक्षा देगा? यह एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि उस समय के शिक्षा मंत्री जी ने यह हिम्मत की हो कि इतना रुपया एक्सेस पास कर दिया और उनको छात्रवृत्ति दी लेकिन आज कल तो जनवरी-फरवरी में भी नाम आये और स्कालरशिप रेकमेंड किया जाय तो वह मंजूर नहीं होती है। वह कहते हैं कि रुपया हमारे पास नहीं है और हम रुपया नहीं दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को उस समय के शिक्षा मंत्री जी की तरह साहसी बनना चाहिये। उनको जानना चाहिये कि शिक्षा के सम्बन्ध में छात्रों को रुपया देना कितना अच्छा होता है इस प्रकार "न" करने से अधिकांशतः गरीब और हरिजन छात्र ही सफर करते हैं। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने अभी एक प्रश्न के दौरान में बताया था कि साल भर हो गया और मंत्री जी को मालूम नहीं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिविल इंजीनियरिंग कालेज में कितने लड़के पढ़ते हैं और वह पहले भी पढ़ते थे या नहीं। अगर शिक्षा विभाग इसी तरह से सोता रहा तो यह सरकार कैसे चलेगी, यह ताज्जुब की बात है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि एक्सेस खर्च न होने पाये दूसरे यह भी कि वह समय रहते ही छात्रों की संख्या और कितनी छात्रवृत्ति लगेगी इसकी सूचना मंगवा लिया करें।

†**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, इस एक्सेस ग्रान्ट के द्वारा छात्रवृत्तियों के लिये जो रुपया मांगा जा रहा है, उसके उद्देश्य से, जहां तक छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, उसमें कोई विरोध नहीं। एक्सेस ग्रान्ट का विरोध माननीय उपाध्याय जी ने किया। छात्रवृत्तियां तो मिलना ही चाहिये। शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्तियों को देने में जितनी कमी कर दी जाती है और जिस तरह से छात्रवृत्तियों का वितरण होता है और जो यह देखा जाता है कि किन लोगों को छात्रवृत्ति देनी चाहिये और किन को नहीं, कौन डिजर्व करते हैं और कौन नहीं, इस सम्बन्ध में बहुत सी आक्षेप की बातें कही जाती हैं और यह भी देखा जाता है कि जिनकी आर्थिक आय बहुत कम है और जो लोग डिजर्व करते हैं और जिनकी अप्रोच गवर्नमेंट तक नहीं होती है और जो समाज में निम्नस्तर के लोग हैं और जाति आदि के कारण पिछड़े हुए हैं, जिनके रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास तक स्कालरशिप नहीं पहुंच पाती है और जो अन्य स्कालरशिप हैं उनका तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं और सदन के सामने उस संबंध में प्रश्न भी हुए हैं, अभी हाल ही में श्री फतेहसिंह राणा जी ने एक प्रश्न किया था कि मेरठ स्कालरशिप में, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित नियम हैं, उनको देने में भी एक किस्म की नीति नहीं बरती जाती है। इसलिये जो स्कालरशिप का अनुदान है वह पिछले वर्षों से कम कर दिया जा रहा है। सन् १९५१ में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि स्कालरशिप ८ से घटा कर ३ लाख कर दिया गया। यह सरकार की नीति ठीक नहीं है। इस तरह से गरीब तबके के लोगों को जो लाभ हो सकता है वह इससे लाभ नहीं होगा। वह गरीबों के लड़के पढ़ नहीं पाते हैं। आज इस युग में स्कालरशिप ज्यादा होने चाहिये थे। मेरा तो निवेदन यह है कि हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक फ्री एजुकेशन होना चाहिये और जो गरीब तबके के लड़के हैं उनके लिये स्कालरशिप का प्रबन्ध होना चाहिये। जो निम्नश्रेणी के हैं उनके लिये ज्यादा से ज्यादा स्कालरशिप मिलना चाहिये। यह रुपया बजट में नहीं दिया गया। इसके माने यह हम समझते हैं कि सरकार का यह मत नहीं है कि जो लोग अपने बालकों को नहीं पढ़ा सकते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके लिये ज्यादा से ज्यादा प्राविजन बजट में होना चाहिये था और सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में भी वह अधिक से अधिक रुपया देना चाहिये था। यह एक्सेस ग्रान्ट जो पास होने जा रही है इसके अवसर पर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और आग्रह करूंगा कि छात्रवृत्ति के लिये एक ऐसा नियम बन जाना चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट या तहसील के लेविल पर यह कर दिया जाय कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है उनको अधिक से अधिक छात्रवृत्ति दी जाय। हमारा कहना केवल यह है कि गरीब तबके के लड़कों को अधिक से अधिक छात्रवृत्ति मिल सके तो सोशलिस्ट पैटर्न की सरकार के राज्य में लोग अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

श्री टीका राम (जिला बदायूं)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह जो अतिरिक्त अनुदान मांगा गया है सन् १९५१-५२ के लिये इसको देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। १९५१-५२ से कितने साल हो गये और आज यह रुपया मांगा जा रहा है। यह

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीका राम]

रुपया अभी तक कहां पड़ा रहा और अब क्यों मांगा जा रहा है। मैं समझता हूं कि प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूलों की छात्रवृत्ति की यह हालत है कि अभी प्राइमरी स्कूलों का इमारत तो आधों की नहीं बन पायी है और छात्रवृत्ति का यह हाल है जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र ने बतलाया। यह छात्रवृत्ति तो १९५१-५२ में ही पास करना चाहिये आज तक यह कहां रखी रही। क्या कोई इसको देखने वाला आडिटर नहीं है? क्या यह कुंजड़े का गल्ला है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। यह सरकार बहुत बुरी है जो हमसे ५ साल के बाद इस अनुदान को पास कराने जा रही है। यह अनुदान आप बहुमत के बल पर पास कर रहे हैं। हमको भी उसके सामने झुकना पड़ता है। इसके लिये मुझे दुःख है जब कि बहुमत ऐसे अनुदान को पास करने जा रहा है। इसके लिये हमको भी मजबूर होकर इसको पास करना पड़ता है। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो इस अनुदान की गलती के लिये यह सरकार मुजरिम होती और इसका हिसाब मांगती। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

डाक्टर सीताराम---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे माननीय जोरावर वर्मा, गंगाधर मैठाणी जी और टीकाराम जी के भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जिन आपत्तियों को माननीय सदस्यों ने उठाया है उन पर मुझे अधिक नहीं कहना है, लेकिन जहां गंगाधर मैठाणी जी का प्रश्न है उन्होंने यह आपत्ति उठायी है कि जो विद्यार्थी डिजर्व करते हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जो एक्सेस ग्रान्ट १९५१-५२ की इस समय प्रस्तुत की गयी है चूंकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति दी गयी है। यह छात्रवृत्ति करीब-करीब ३२ प्रकार की है, जो राजाज्ञा सन् १९४२ और १९४५ के अन्तर्गत दी गयी है। इसलिये इन छात्रवृत्तियों में मेरिट भी है और सब तरह की हैं। अगर माननीय सदस्य राजाज्ञाओं को देखने की चेष्टा करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं उनको दिखलाकर उनकी शंकाओं का समाधान कर दूंगा। सदन में समयाभाव है और ३२ तरह की छात्रवृतियों की राजाज्ञाओं को दिखलाने के लिये काफी समय की आवश्यकता होगी। यह आपत्ति करना कि मेरीटोरियस विद्यार्थियों को स्टाइपैन्ड नहीं मिलता है यह बिल्कुल निराधार है। जोरावर जी वर्मा ने कहा है कि हरिजन विद्यार्थी सफर करते हैं, क्योंकि उन्हें स्टाइपेन्ड समय से नहीं मिलता है। परन्तु यह अनुदान हरिजन विद्यार्थियों से सम्बन्धित नहीं है। क्योंकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों में जो और जातियों के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनसे इसका सम्बन्ध है। इसलिये हरिजन विद्यार्थियों का नाम लेना यहां पर उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी मैं माननीय जोरावर वर्मा जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों के कार्यों में जो भी कठिनाइयां हुआ करती थीं उनको दूर करने के लिये सरकार ने इस साल हर जिले में एक-एक अफसर नियुक्त करने की घोषणा सदन में कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि उससे हरिजनों की समस्यायें हल हो जावेंगी। जहां तक माननीय टीकाराम जी के व्याख्यान का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी यह समझ में नहीं आता कि यह रुपया इतने वर्षों तक कैसे पड़ा रहा। जब तक इस रुपये का आडिट नहीं हो जाता और जब तक महासंख्यक महोदय के यहां से और एकाउन्ट्स कमेटी के यहां से पास नहीं हो जाता तब तक वह रुपया सदन के सामने नहीं लाया जा सकता। इसलिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद २०५ के अन्तर्गत इस रुपये को यहां लाया गया है कि सदन इसे पारित करे। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस रुपये को पास किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल सफाई चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने हरिजनों की बात कही। मैंने तो गरीब विद्यार्थियों की बात कही

थी और दूसरी बात मैंने यह कही थी कि यहीं सिविल इंजीनियरिंग स्कूल में गत वर्ष से लड़के पढ़ते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह बहस की बात है।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८, शिक्षा के अन्तर्गत १,६८,१७६ रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—परिवहन विभाग

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त हुए वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ३०, परिवहन विभाग, के अन्तर्गत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल ३८,२४,४९९ रुपये की धनराशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस मांग में दो आइटम हैं एक ८८,६५० रुपये की आपरेशन आफ बस सर्विसेज में है और दूसरी आइटम ३७,३५,८४९ रुपये की परचेजेज आफ स्टाक्स में है जो सेंट्रल वर्कशाप कानपुर की है। ८८ हजार रुपये रोडवेज के हमारे सारे खर्चे का ·०२ परसेंट आता है। कानपुर की वर्कशाप में कुछ बिल थे जो सन् १९५०-५१ में मंजूर हो गये थे लेकिन वास्तव में उनका एडजस्टमेन्ट १९५१-५२ में ऐ० जी० के यहां हुआ। इसलिये ऐक्सेस हुआ और केवल ·०२ परसेंट है। दूसरा आइटम इसलिये हुआ कि सन् ४९ में जब यह मुहकमा बाल्यावस्था में था तो चीजों के खरीदने की लिमिट १५ लाख रुपये की थी। १९४९-५० में मालूम हुआ कि हमारी आवश्यकतायें उससे पूरी नहीं हो सकती हैं और उस लिमिट को २७ लाख करना पड़ा अस्थायी रूप से। फिर भी और अधिक रुपये की जरूरत रही तो ३१ मार्च सन् १९५१ तक ३५ लाख रुपया की लिमिट अस्थायी रूप से उसके लिये मंजूर की गयी है और वही एक्चुअल खर्चा हुआ। लेकन ३१-३-५१ के बाद जब दूसरा साल शुरू हुआ उसमें ओरीजीनल लिमिट १५ लाख की ही रह गयी। जैसे जैसे विभाग बढ़ता गया उसकी आवश्यकतायें भी बढ़ती गयीं। खरीदारी अधिक करना जरूरी था और वह हुयी तो वह १५ लाख की लिमिट में नहीं हो सकती थी। इस साल एक बात और यह हुयी कानपुर का सेंट्रल वर्कशाप सारे के सारे सूबे को सामान देता है। १९५१-५२ में उसने काफी नये रूट लिये और काफी नयी बसेज आयीं। दूसरे कोरिया की लड़ाई के कारण अनसरटेन्टी (अनिश्चितता) थी कि चीजें नहीं मिलेंगी और शायद मंहगी हो जायेंगी। इसलिये खरीदनी पड़ीं। तो इन खरीदारियों से लाभ ही हुआ और यह ऐक्सेस इसलिये किया गया है कि चूंकि यह बिजनेस डिपार्टमेंट है। किसी तरह से अगर पुर्जे नहीं मिलते बाद में या मंहगे मिलते तो ज्यादा मंहगे मिलते, इसलिये ये खरीद लिये गये और उन्हें इस्तेमाल किया गया।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—इन खरीदारियों के लिये सरकार की स्वीकृति थी या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यही मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी लेकिन एक-एक साल के लिये दी। पहले १५ लाख थी, २७ लाख की गयी, फिर ३५ लाख, लेकिन वे अस्थायी थीं। अब अप्रैल १९५४ में ६५ लाख रुपये की लिमिट कर दी गयी है। जो एक्सेस खरीदारियां हुयीं, उनमें यह जरूर है कि कुछ इर्रेग्यूलैरिटी हुयी। लेकिन वह जनता के हित में थी। अब हमने ऐसी हिदायतें कर दी हैं कि लिमिट के अन्दर ही खरीदारियां हों।

*__श्री गेंदा सिंह__—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग का मैं केवल जाब्ते से ही विरोध नहीं करता हूं, बल्कि मैं इसकी मैरिट का भी विरोध कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेदा सिंह]

हमारे सम्मान के मुआफिक बात होगी कि हम इस मांग को अस्वीकार कर दें। स्वयं परिवहन मंत्री जी ने बताने की कृपा की कि क्यों एक बार में यह मांग नहीं मांगी गयी। एक तो यह सप्लीमेंटरी नहीं है, एक्सेस है। एक्सेस मांग का भी हम महीनों तक अन्दाजा करते रहे कि आज इतने रुपये की और कल इतने रुपये की जरूरत है। कतई हमको इस बात का ज्ञान नहीं था कि कोरिया वार आ गयी और उस वार के आजाने के बाद बस सर्विस चलाने के लिये कितने-कितने सामान की जरूरत होगी। और जब उसको महसूस किया तो एक दिन महसूस नहीं किया, महसूस करते रहे वर्ष भर और उसके लिये हमको ३८ लाख कुछ हजार रुपया खर्च करना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मुख्य मंत्री जी ने उस बात को कहा जिसकी वजह से पुलिस में ९ हजार की छोटी रकम के ऐक्सपेंसेज हुये, मैं समझता हूं माननीय परिवहन मंत्री जी को उसको गौर से सुनना चाहिये था और सुनने के पहले भी जब कभी इस पर चर्चा आपस में हुयी हो, जहां तक ज्वाइन्ट रेस्पोंसिबिलिटी का सवाल है, उन्हें यह विचार कर लेना चाहिये कि हाउस के सामने जाकर वे क्या स्टेटमेंट देंगे। एक साहब जो सारे सदन के नेता हैं--माननीय मुख्य मंत्री जी जो कुछ कहते हैं उस पर माननीय परिवहन मंत्री जी को गौर करना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उनकी बात को गौर से सुना या नहीं। उन्होंने ९ हजार की छोटी सी रकम के लिये बताया कि वह परिस्थिति अनफोरसीन थी। पुलिस के लिये वर्दी बनाने की बात थी और टैक्सटाइल कमिश्नर ने कहा था कि कपड़ा जल्दी से जल्दी ले लीजिये, इसी वक्त दिया जा सकता है, आयन्दा नहीं दिया जा सकता। उस वक्त लेजिस्लेचर प्रोरोग होगी। उस वक्त ऐक्सेस रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ गयी। इस बात पर वे गौर करें।

एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी बात कहते हैं और दूसरी तरफ परिवहन मंत्री जी की वह स्वीकारोक्ति है कि साल भर तक कई बार मांगते रहे और साल भर में कई बार यह ज्ञान हुआ कि सेंट्रल वर्कशाप कनपुर में अधिक परचेज की जरूरत है। अब एक ओर पुलिस का बजट ७,३२,८१,७०० रुपये का था, जिसमें से ९१,८८२ रुपये का ऐक्सेस खर्चा हुआ और परिवहन विभाग के ३,१८,६५,२०० रुपये के बजट में ३८,२४,४९९ रुपये का अधिक खर्चा कर लिया गया। जहां तक इर्रेग्युलेरिटी का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। स्वयं परिवहन मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, अतः इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा प्वाइन्ट यह है कि आवश्यकता थी या नहीं थी, इस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूं। इस कोरिया वार का ज्ञान आपके सेंट्रल वर्कशाप को ही था या हिन्दोस्तान भर को था? कानपुर से कोरिया की कितनी दूरी है और दिल्ली से कितनी दूरी है, इसका ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि दिल्ली से वह नजदीक पड़ेगा और कानपुर ज्यादा दूर पड़ेगा लेकिन दिल्ली को ऐसी कोई खबर नहीं हुयी। सेंट्रल का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसको इसकी आवश्यकता मालूम नहीं हुयी कि कोरिया की लड़ाई आ रही है, मंहगी हो जाने का डर है, इसलिये जल्दी से जल्दी खरीद हो जानी चाहिये। सिर्फ कानपुर में मिकेनिकल इंजीनियर साहब को यह ज्ञान हुआ कि कोरिया वार बड़ी खतरनाक है अतः बसों के पुर्जे जल्द खरीद लिये जाने चाहिये, नहीं तो दिक्कत में पड़ जायेंगे। अब यह बहुत ही अच्छे इरादे से हो सकता है। मैं नहीं जानता कि कौन साहब मिकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन उनका यह बहुत ही अच्छा इरादा हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी आदमी के सामने यह सारी परिस्थिति रख दी जाय तो वह सोच सकता है कि इस ३८ लाख की रकम की ज्यादा खरीद फरोख्त करना, जिसका ज्ञान लेजिस्लेचर को न हो मेरी समझ में नहीं आता कि सन् १९५१-५२ में लेजिस्लेचर बैठा या नहीं बैठा। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी इस की जानकारी नहीं थी कि यह ३८ लाख का खर्च हो गया। मैं गवर्नमेंट को आज कुछ नहीं कहता बशर्ते कि जिन लोगों ने इस तरह से

इस रुपये को खर्च किया है उनको डाक में ले जाकर खड़ा कर दे और अगर वह सही खर्च हुआ है और गवर्नमेंट समझती है कि सही खर्च हुआ है तो गवर्नमेंट को क्यों मालूम नहीं हुआ है। अगर वह सही समझती है अब तो उन लोगों को पुरस्कृत करे या अगर गलत है तो वह उन को दंडित करे। अगर उन्होंने ऐसा काम किया है कि जिस से उन्होंने कोरिया वार के सम्बन्ध में अन्दाजा किया और उसकी वजह से उन्होंने सरकार को फाजिल खर्च से बचाया और सरकार का लाभ कराया है और जिन चीजों को खरीदने में फाजिल रुपया खर्च होता उससे बचाया है तो हम इसके लिये तैयार हैं कि इसके लिये उन को पुरस्कृत किया जाय और मंत्री जी को उस चीज को सफाई के साथ सदन में रखना चाहिये और कहना चाहिये कि इस ३८ लाख के व्यय की वजह से सरकार को इतने रुपये की बचत हुयी है। तो उसके हम को भी सन्तोष होगा कि हम उन को पुरस्कृत करें और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, और मेरा खयाल है कि सरकार को अब तक तो इस चीज की खबर हो गयी होगी।

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने भी बड़ी छानबीन के बाद एक लम्बा प्रस्ताव पास किया था और उसके बाद भी अगर सरकार को उस बात की खबर न हो कि उन्होंने पुरस्कृत करने का काम किया है या दंडित करने का काम किया है, तो फिर हमारे लिये क्या चारा है सिवाय इसके कि हम माननीय परिवहन मंत्री जी को ही डाक में ले जाकर खड़ा करें, या तो वह कर्मचारी खड़े हों जो संबंधित हैं, लेकिन अगर माननीय परिवहन मंत्री जी रेस्पांसिबिल हैं तो वे खड़े हों, हम उन्हीं का ट्रायल करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि माननीय परिवहन मंत्री जी के सामने यह ऐसी चीज थी कि जिस के कारण उनका साहस नहीं हुआ कि सदन के सामने आकर कुछ कहें और उन्होंने बेचारे शर्मा जी को फंसा दिया और मैं क्या कहूं। हम मानते हैं कि शिव जी की छोटी मूर्ति और बड़ी मूर्ति सब बराबर हैं, ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है, तो ठीक है उन की ओर से वह जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन हम उन को डाक में खड़ा करने को तैयार हैं और वह सफाई दें कि जिस मुलाजिम ने यह काम किया है उसने यह पुरस्कृत किये जाने के काबिल काम किया है या दंडित होने के लिये। जब तक मंत्री जी इस बात को साफ न करें हमारे लिये कोई फैसला लेना कठिन है, कि उसने यह पुरस्कृत होने का कार्य किया है और दंडित होने का नहीं किया। इस चीज को मंत्री जी प्रमाणित करें और जब तक वह ऐसा नहीं करते हम इस रकम को मंजूर नहीं करेंगे। अगर यह बात साबित हो गयी कि ३८ लाख रुपये से ऐसा काम हुआ है कि जिस से बचत हुयी है तो हमें उसके लिये फरागदिल होना चाहिये और पुरस्कृत भी करना चाहिये और उसको तरक्की देना चाहिये, लेकिन हम यहां घर के मामले तय करने नहीं बैठे हैं कि फरागदिली से अगर गलत चीज भी हुयी है तो उसे जाने दें, हम इसलिये बैठे हैं कि अगर ३८ लाख की यह गड़बड़ी हुयी है, कोई कैसे समझ सकता है कि गड़बड़ी नहीं हुयी है, इसका कोई सबूत नहीं है, यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इसी सदन की बनायी हुयी है और वह बड़ी ही बएतबार कमेटी है। बहुत ही समझदार लोग उसके मेम्बर हैं। इन समझदार लोगों का यह कहना है कि फिर ऐसा काम कभी न करना।

अध्यक्ष महोदय, इसकी यही वर्डिंग थी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का यह कहना था कि इस काम को आगे फिर कभी न करना। अब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो प्रोसीडिंग है उसमें बहुत आर्जू मिन्नत लोगों ने की। हमारे महालेखापाल भी उसमें बैठे थे। उन्होंने कहा कि बड़ा भारी पाप है। इस आदत को छोड़ना चाहिये। हमारा काम यह है कि हम आदत इस तरह की छुड़ा सकते हैं और अगर हम ३८ लाख की मंजूरी नहीं देंगे। तो वह आदत छूट जायगी। इस वक्त हम जानते भी नहीं कि किसने सेंट्रल वर्कशाप में यह खरीद की। हमको मालूम हो जाय तो मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी से कहना चाहूंगा कि उसको बहुत डिटेल्स में जाना चाहिये था।

मुझे ऐसा लगता है कि इसमें खरीद फरोख्त में कुछ ऐसी बातें तै हो गयी थीं कि जो राजकर्मचारी खरीद रहा था वह उस लाभ को संवरण नहीं कर सकता था और इस बात की परवा नहीं

[श्री गेंदा सिंह]

करता था कि यहां की क्या मर्यादा है। बजट में गुंजायश नहीं है और सप्लीमेंटरी में भी डिमांड नहीं की जाती है। डिपार्टमेंट के जरिये सप्लीमेंटरी डिमांड की जानी चाहिये थी। लेकिन वह ऐसा काम कर रहा था कि सदन मंजूरी नहीं दे सकता है। यह मैं कल्पना करता हूं। उसके लिये रास्ता यही था कि जिस तरह से हो इस रकम को निकाल कर खर्चा कर दे। खर्चा करने के बाद सारी जिम्मेदारी वह समझता था कि हमारे परिवहन मंत्री जी ले लेंगे, और जब सारी जिम्मेदारी परिवहन मंत्री जी ले लेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि ट्रेजरी बैंचेज खुद इस बात की परवा नहीं करेंगी कि ३८ लाख की रकम गड्ढे में गयी या कहां गयी, वह इस बात की परवा करेंगी कि परिवहन मंत्री जी की प्रतिष्ठा इसमें इंवाल्व है। चूंकि गवर्नमेंट की प्रतिष्ठा इंवाल्व है, इसलिये ट्रेजरी बेंचेज इस बात की बिलकुल परवा नहीं करेंगी कि यह पब्लिक का पैसा है, वे मंजूरी दे देंगी। वह अधिकारी इस बात को देख रहा था और इस बात को देख कर उसने ये सारी अनियमिततायें कीं और इस सारे रुपये को गड़बड़ में खर्च किया। तो मैं इन बातों को अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में लाते हुये सदन से यह कहना चाहूंगा कि इस रकम को किसी भी हालत में मंजूर न करे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, अब तक तो हमको बजट का अनुभव था और बजट के बाद सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स आया करती थीं। यही दो किस्म के हमको अब तक अनुभव हुए। अबकी बार एक तीसरा अनुभव हुआ, कुछ एक्सेसिव ग्रान्ट्स भी हमारे सामने पेश हुयीं और वह भी सन् १९५१–५२ की, ५ साल के बाद। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस अनुदान को पेश करते हुये माननीय उप-मंत्री जी ने कुछ अपनी दलीलें दीं। मैं यह तो नहीं कहता कि उनमें कोई सार नहीं है परन्तु उससे कम से कम मुझे कोई संतोष नहीं हुआ। मैं यह चाहता हूं कि हमारे सरकारी कर्मचारियों में इस प्रकार की जो एक मनोवृत्ति पैदा होती जाती है कि वे इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे क्या नियम हैं, क्या हमारे फरायज हैं और क्या उनकी शक्ति है, वे अपने मनमाने ढंग से जो चाहते हैं कर लेते हैं और शायद उनको इस बात का विश्वास हो गया है कि हम जो चाहें करें और आखिर में हमारी यह गवर्नमेंट और हमारा यह सदन उनकी हर बात को मान लेगा, यह मनोवृत्ति मान्यवर, मैं समझता हूं हमारे इस प्रदेश के लिये और इस प्रजातंत्र ढांचे के लिये बड़ी खतरनाक है। जहां तक कि इससे पहले की दो ग्रान्ट्स का सम्बन्ध है एक ग्रान्ट ९ हजार की थी। वह बहुत ज्यादा महत्व की बात नहीं है। दूसरी ग्रान्ट एजूकेशन की एक लाख की थी मगर यह ३८ लाख की ग्रान्ट है। इसके अन्तर स्पेयर पार्ट्स को खरीदा गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस साल नये रूट्स खोले गये, नई मोटरें खरीदी गयीं और यह भी उम्मीद थी कि बाजार में शायद पार्ट्स न मिलें। इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। मैं यह चाहूंगा कि थोड़ा फायदा भी हो गया हो तो इस तरह की आदत हमारे डिपार्टमेंट में नहीं पड़नी चाहिये। यह स्पेकुलेशन की बात है। यह भी हो सकता है कि अगर मारकेट डाउन हो गया होता तो ३८ लाख में जो खरीदा था वह २६ लाख में भी हो सकता था। गवर्नमेंट डिपार्डमेंट का काम स्पेकुलेशन करना नहीं है और अगर स्पेकुलेशन किया तो निहायत गलत काम किया। यही नहीं जैसा माननीय गेंदासिंह ने बताया पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने खास तौर से इसके ऊपर ध्यान खींचा था और मुझे याद है कि शायद हाउस में माननीय उपाध्याय जी ने इसका जिक्र किया था। श्रीमन्, मैं उनसे सहमत हूं कि इस ३८ लाख रुपये की इनक्वायरी की जाय कि आखिर जो अधिकार से बाहर किसी कर्मचारी विशेष ने ऐसा काम किया तो क्यों किया। हमारे पास बहुत से साधन थे। अगर आवश्यकता थी और बजट में नहीं था तो अनुपूरक बजट में आ सकता था और अनुपूरक बजट एक बार नहीं बल्कि ऐसे भी मौके आये कि दो–दो बार अनुपूरक अनुदान इस हाउस के सामने आये। तो मुझे इसमें अधिक न कह कर जहां तक इसका सवाल है कि मंजूर करें या न करें, यही कहना है कि मंजूर तो करना ही है क्योंकि रुपया खर्च हो चुका है। अब गड़ी ईंटें उखाड़ने से क्या लाभ? मगर यह जरूर चाहता हूं कि भविष्य में सरकार

इस बात की चेतावनी अपने तमाम विभागों को दे कि सरकार इस तरह की बातों को, और इस तरह के कर्मचारियों के अनधिकृत कार्यों को कभी बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। जहां तक इसका ताल्लुक है मैं भी चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी की जाय कि किन कंडीशंस में स्पेयर पार्ट्स को खरीदा गया और जब उनके खरीदने का अधिकार नहीं था तो कैसे खरीद लिया। और इसके लिये जो दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिये।

अन्त में जहां तक मांग के स्वीकार करने का सवाल है, माननीय गेंदासिंह जी तो कह गये कि मानना नहीं चाहिये। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको मानना चाहिये ही क्योंकि रुपया खर्च तो हो ही चुका।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान में एक्सेस डिमांड को सदन के सम्मुख उपस्थित करने की व्यवस्था है। और किन विशेष परिस्थितियों में अगर एक्सेस खर्च हो जाय तो उसके लिये सदन विचार करके उस एक्सेस डिमांड को स्वीकार भी कर ले। लेकिन इस मौजूदा एक्सेस डिमांड की हालत दूसरे एक्सेस डिमांड जो अभी इस सदन के सम्मुख उपस्थित किये गये उनकी जैसी नहीं है। यह सदन कंसालिडेटेड फंड का कस्टोडियन है। और उसको इस बात के देखने का हक है कि एक-एक पाई उसकी इच्छा और आज्ञा के अनुसार ही खर्च हो। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही एक्सेस डिमांड की बात सामने आनी चाहिये। यह इतनी बड़ी रकम जो मोटर पार्ट्स की खरीद करने के लिये खर्च की गयी उसके लिये माननीय उप मंत्री महोदय ने यह नहीं बतलाया कि यह खरीद किस तारीख को हुयी और सरकार को इसका पता था या नहीं। हमारा ऐसा खयाल है कि यह खरीद बिला सरकार के सैंक्शन के और बिना उसकी जानकारी के हुयी। अगर इस बात को मानकर के हम चलें जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि मांग तो मंजूर करना ही है तब तो फिर एक्सेस डिमांड के लिये हम खुला रास्ता छोड़ देते हैं। फिर तो सरकारी कर्मचारी जो भी रकम जब चाहें खर्च करें और बाद में सरकार उसको सैंक्शन करें। तो फिर इस सदन के लिये तो निश्चय ही उस रकम को स्वीकार करना है, इस बात को मान कर चलना उचित नहीं है। यह हम समझते हैं कि सरकार जो कुछ करती है वह हमारे इस अधिकार को समझ कर करती है कि उसे हमें स्वीकार करने का हक है अथवा नहीं। तो वह जो कुछ जिस तरह से रकमें खर्च होती हैं उसका स्पष्ट रूप से औचित्य सामने रखती है और औचित्य से हमें संतोष प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर औचित्य उसका जो कुछ कहा जाय उससे संतोष न हो तो फिर हमारे लिये यह बड़ी भारी कठिनाई हो जाती है कि हम उसका अनुमोदन किस प्रकार से करें। यह इतनी बड़ी रकम सामान के परचेज में खर्च की गई, जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा, हम इस बात को तो नहीं कहते कि इसका व्यय करने में पैसे का किस प्रकार से उपयोग हुआ, ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन और मसले हमारे सामने ऐसे आ चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि परचेज विभाग से सामान न खरीद करके डायरेक्ट उसी विभाग के अधिकारियों द्वारा खरीद-फरोख्त करने में रुपया अधिक खर्च किया गया है और इस खास रकम को, जो रोडवेज के पार्ट्स परचेज करने में खर्च की गई, कब खर्च किया गया कितनी जल्दी में खर्च किया गया, उससे लाभ हुआ या हानि हुई, इस सबका पूरा ब्यौरा सदन के सामने आना चाहिये। अभी माननीय उपमंत्री महोदय ने यह बताया कि १९४९-५० में भी जो रकम रखी गई थी उससे अधिक पार्ट्स के खरीदने की आवश्यकता पड़ी और शायद २९ लाख रुपया उन्होंने बताया इस तरह से खर्च किया गया। माननीय उपमंत्री जी कह रहे हैं कि लिमिट बढ़ाई। अच्छी लिमिट बढ़ाई। इस रकम की कोई जानकारी पहले विभाग को नहीं थी कि खरीद करनी पड़ेगी।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—श्रीमन्, परिवहन विभाग के अन्तर्गत जो एक्सेस डिमांड की गई है वही इस समय इस सदन के सामने विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे १९५१-५२ तथा लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५३ ई० के २२१ वें पृष्ठ पर यह लिखा गया है—

"अनुदान में ३८,२४,४९९ रु० की वृद्धि मुख्यतः उप-शीर्षक क(छ) और ख के अन्तर्गत हुई, जो पूरा नहीं की जा सकी। चीफ मेकेनिकल इंजीनियरिंग द्वारा पूरक अनुदान की आशा में (उपशीर्षक ख) स्वीकृत धनराशि से बहुत अधिक रुपयों में फालतू पुर्जों का खरीदा जाना बहुत बड़ी अनियमितता थी। इस प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए अन्ततः कोई पूरक मांग नहीं प्राप्त की गयी।"

मान्यवर, यही नहीं कि यह कोई सामान्य अनियमितता के अन्तर्गत यह चीज आती हो बल्कि महालेखापाल ने इसे बहुत बड़ी अनियमितता कह कर अपनी रिपोर्ट दी है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक अनुमान है इस खरीद के पहले सरकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई। माननीय मंत्री महोदय कृपा करके यह बतलाने का अगर कष्ट करेंगे सदन को तो अच्छा होगा कि यह खरीददारी किस तरह से की गई और सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति कैसे ली गई। अन्ततः सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेदार है। बिला सरकार की अनुमति लिए हुए, अगर इस प्रकार का कोई स्टाक खरीदा गया तो मैं समझता हूं कि जिस अधिकारी ने इसकी खरीद की उसने यह नितान्त ही अनुचित काम किया। यह कोई अपने घर की बात नहीं है कि जब चाहा तब सरकारी आज्ञा के बिला और सदन की अनुमति के बगैर अपनी मरजी से कंसालिडेटेड फंड का रुपया या जनता का पैसा इस तरह से खर्च किया जाय। इस सम्बन्ध में कोई लिखित प्रमाण भी जब यह मसला पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया था तो उपस्थित नहीं किया गया। उसकी जो रिपोर्ट इस सदन को मिली है प्रथम रिपोर्ट उसके पृष्ठ ७ पर यह लिखा गया है कि—

"जबानी स्पष्टीकरण द्वारा वाहन विभाग ने समिति को सूचित किया कि कोरिया की लड़ाई के कारण फुटकर पुर्जे प्राप्त न होने तथा उनके मूल्यों में वृद्धि होने की बड़ी आशंका थी इसलिए उन्हें खरीदना आवश्यक प्रतीत हुआ। बहुत बड़ा स्टाक जमा करना आवश्यक था, क्योंकि विभिन्न बनावट (मेक) की गाड़ियाँ प्रयोग में लाई जा रही थीं और हर मेक की गाड़ी के लिए स्टाक जमा करना था। समिति ने जोरदार शब्दों में यह राय प्रकट की कि विधान मंडल की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले रुपया व्यय करना बहुत बड़ी अनियमितता थी।"

श्रीमन्, इस तरह से जबानी स्पष्टीकरण ही इस बारे में उपस्थित किया गया। अगर कोई इतनी बड़ी आवश्यकता थी तो उसका कारण स्पष्ट लिखा जाना चाहिए था चाहे वह कोरिया की लड़ाई के सम्बन्ध में रहा हो या चाहे जो भी आवश्यकता रही हो उस सम्बन्ध में खरीद करने के पहले इस बात का निश्चय रूप से सरकार को ज्ञान कराना था कि ऐसी आवश्यकता है और इसके बिना सरकार का नुकसान हो जायगा। तो इसी प्रकार से इतनी बड़ी रकम को खर्च करना जब कि बजट में उसकी कोई गुंजायश नहीं रखी गयी थी, जो कि सप्लीमेंटरी बजट में भी वह चीज नहीं लायी जा सकी और जब महालेखा परीक्षक ने अपने नोट में उस चीज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि इतनी बड़ी रकम का खर्चा बिना इस सदन की अनुमति के हो गया तब सरकार को जरूरत पड़ी कि इस विभाग के खर्चे के सम्बन्ध में डिमांड लायी जाय। अगर वह अप्रत्याशित होती, जिसका कोई भी अहसास न रहा हो ऐसे कोई खर्चे की आवश्यकता पड़ती तो फिर भी हम इतनी बड़ी रकम के लिए नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी डिमांड उस व्यक्ति के उस कारनामे की वजह से उपस्थित हो जिन्होंने बिना अनुमति के रुपया खर्च किया।

मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्यों को तो इस बात का अधिकार है ही कि इसको स्वीकार करें या न करें और मैं यह नहीं समझता कि अगर यह अस्वीकार हो जायगी तो गवर्नमेंट के प्रति कोई नो-कांफिडेंस हो जायगा। सन् १९५१-५२ में यह रुपया खर्च किया गया। मैं तो समझता हूं कि इस तरह से अगर गलत तरीके पर रुपया खर्च कर दिया जाय तो उसके लिए फिर सरकारी कर्मचारी जो जिम्मेदार हो उसे उचित दंड क्या दिया गया यह भी न बताया जाय, तो हमारे सामने बड़ी विकट समस्या हो जाती है कि हम इस एक्सेस डिमांड का समर्थन करें या न करें।

मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्सेस डिमांड का समर्थन करने में अपने को बड़ी कठिनाई में पा रहा हूं और जो स्टाक भी खरीदा गया, वह उस समय के लिए आवश्यक भी नहीं था, जैसा कि महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भविष्य के लिए उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब यह पता नहीं कि कितना स्टाक पड़ा हुआ है? वह इस्तेमाल में आया है या नहीं? क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी कर्मचारी बहुत समय पर जो स्टाक जमा कर लेते हैं वह मोर्चा खाता रहता है, सड़ जाता है और बरबाद हो जाता है और कई मदों में देखा गया है कि ऐसे स्टाक वगैरा थोड़ी कीमत में नीलाम कर दिये जाते हैं। या तो बरबाद कर दिये जाते हैं या उनको राइट-आफ कर दिया जाता है। तो यह स्टाक जो खरीदा गया इसका समुचित समाधान सदन को होना चाहिये कि वह कितना इस्तेमाल हुआ, कब हुआ और किस काम में कब उसकी आवश्यकता पड़ी, या नहीं पड़ी। तो इस तरीके से यह खर्चा हुआ, और जो खरीद हुई वह डायरेक्ट कर ली गयी बिला परचेज विभाग के द्वारा। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार स्वीकृत के योग्य भी है और इसके लिए माननीय मंत्री महोदय विशेष रूप से सदन के सदस्यों का समाधान करने की कृपा करें और तब हम सोचें कि इस एक्सेस डिमांड को स्वीकार किया जाय या न किया जाय।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जो अनुदान इस वक्त मांगा जा रहा है मैं उसकी खिलाफत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अनुदान पेश करते समय अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि यह समझा गया कि चूंकि कोरिया की लड़ाई शुरू हो गयी है, इसलिए सामान नहीं मिलेंगे। और इसी के कारण इतने रुपये का सामान मंगा कर खरीद लिया गया। श्रीमन्, यह तो मैं समझता हूं कि एक बहाने बाजी है क्योंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो इतनी बड़ी रेलवे चलाती है उसको जरूरत नहीं थी, उसका वैदेशिक विभाग इतना निकम्मा था कि उसने यह नहीं समझा कि कोरिया की लड़ाई सामने है समान नहीं मिलेगा, इसलिये सामान का ज्यादा से ज्यादा स्टाक कर लो, लेकिन हमारा परिवहन विभाग इतना काबिल है कि उसने यह अन्दाजा लगा लिया कि कोरिया की लड़ाई सामने है, इसलिये स्टाक खरीद लो। श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट भेज दिया जाय ताकि काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो, क्योंकि इसको मालूम रहता है कि कब लड़ाई होगी और कब नहीं होगी और कब सामान मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। यह डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ मिल कर तब तो देश का बड़ा कल्याण करेगा।

मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि हमारे तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेन्ट्स हैं जिसमें सामान खरीदे जाते हैं। खाली वहीं नहीं हैं बहुत से बिजलीघर हैं, बहुत से उद्योग-धंधे चलते हैं जिनको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है। वहां जरूरत नहीं पड़ी, खाली यहीं क्यों जरूरत पड़ी और मैंने तो यहां तक सुना है कि ऊपर से लिखकर गया कि सामान न खरीदो फिर भी खरीद लिया गया। इसका एक ही कारण हो सकता है कि जो सामान खरीदने में अफसरों को कमीशन मिलता है उसके लालच में यह सारा रुपया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

बरबाद किया गया है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर काफी छानबीन होनी चाहिये। मैं यो कहता हूं कि हमारे एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि भाई यह गलती हुई लेकिन जब खर्च हो गया तो मान लेना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह गलत तरीके से खर्च किया गया और इसके लिये वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने खर्च किया है और हमको अपने खजाने से यह रुपया न देकर उनसे ही यह रुपया वसूल करना चाहिये, जिन्होंने गलत तरीके से वसूल किया है। क्यों विधान सभा इसे पास करे, क्यों इसे खजाने से दिया जाय, क्यों जनता का रुपया कुछ लोग अपने मनमाने तरीके से खर्च करें।

आज सरकार कहती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये रुपया चाहिये। उसके लिये नये-नये टैक्स लगाये जा रहे हैं, बिक्री कर बढ़ाया जा रहा है, गल्ला, नमक और अन्य जीवन की जरूरी चीजों तक पर टैक्स लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार बजट लाकर पेश करती है कि फलां चीज में इतना रुपया खर्च किया गया है इतना रुपया दो। अगर यह रुपया खर्च न किया जाता और इतना फिजूल का खर्चा न हो तो हमें रुपये की जरूरत ही न पड़ती। जिस तरह से जनता का पैसा बरबाद हो रहा है इसको रोकने की कोशिश करें। इतना ही नहीं, मैं तो बताऊं कि जो इनके स्टोर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो कितने गबन हो रहे हैं। मोमती के किनारे अभी कुछ ही दिन हुये टायर पकड़े गये जो चोरी से चले जा रहे थे। इस तरह की सारी चीजें होती हैं और फिर बाद में माननीय मंत्री जी जब सारे कुकर्म हो जाते हैं और पांच साल के बाद जब आडीटर जेनरल की रिपोर्ट लगती है तब एक्सेस डिमांड को लेकर पहुंच जाते हैं कि इतना खर्च हो गया है अब इसे पास कर दो। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस वक्त जरूरत आ गई थी और इसलिये हमको उसके लिये खर्च करना पड़ा। हम वैसे तो विरोध करते हैं लेकिन ऐसी जरूरत हो गई हो तो रुपया ले लीजिये लेकिन खामखा के लिये इस तरह की बात ठीक नहीं है। हमारा परिवहन विभाग का जो इंजीनियरिंग विभाग है उसको इन बातों को देख लेना चाहिये कि साल भर में कितने पुरजों की जरूरत पड़ेगी। क्या उसको अक्ल नहीं कि साल भर में कितने स्पेयर पार्टस लगेंगे, कौन-कौन सामान लगेगा। यह तो उनको पहले ही से एस्टीमेट कर लेना चाहिये था। एस्टीमेट करके उतने का ग्रांट विधान सभा से मंजूर कराना चाहिये, लेकिन इस तरह से खर्च कर दिया और इतने रुपये का फिजूल सामान खरीद लिया जाय और उसके बाद यह कहा जाय कि कोरिया से लड़ाई चल रही थी। फिर इस साल भी कह दीजिये कि कोई लड़ाई चल रही है और इस साल भी दो चार करोड़ का सामान खरीद करवा लीजिये। आप जानते ही हैं कि रूस और अमेरिका में टसिल चल रही है बस दो चार करोड़ का सामान खरीद लीजिये, क्योंकि अगर वह लड़ाई चलेगी तो लम्बी चलेगी। आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। यह कोई दलील नहीं हो सकती। यह जो कुछ भी किया गया बिल्कुल गलत किया गया। यह जनता के रुपये का दुरुपयोग है और अगर सरकार इस तरह से करती है तो यह सरकार भी उसके लिये जिम्मेदार है। सरकार क्यों नहीं अपने कर्मचारियों से पूछती है कि इस तरह का काम क्यों किया। मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि जिन लोगों ने इतने का सामान खरीदा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी। आप अपने अफसरों को जो इस तरह के काम करते हैं उनके ऊपर रोक लगाइये।

मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों की बात क्या कहूं, अभी नवम्बर या दिसम्बर की बात है। दो असिस्टेंट कमिश्नर फतेहपुर तहसील में दावत खाने गये। उसके बाद रात को ९ बजे रोडवेज की गाड़ी सिर्फ इन दो अफसरों को लेकर लखनऊ आयी और दलील यह दी कि उसका रजिस्ट्रेशन कराना था। अगर रजिस्ट्रेशन कराना था तो यात्रियों को लेकर वह गाड़ी क्यों नहीं आयी। रात को लाने की क्या जरूरत थी।

इसमें जो पेट्रोल का दुरुपयोग हुआ उसके बारे में क्या किया गया ? सरकार अपने गलत काम करने वाले कर्मचारियों को जब डिफेंड करती है तो हमको परेशानी होती है। जो गलत काम करते हैं उनको सरकार सजा दे और जो अच्छा काम करते हैं उनको तरक्की मिलनी चाहिये। यहां तो जो गलत काम करे चोरी वगैरह करे उसी को तरक्की मिलती है। ईमानदार आदमियों को बहुत कम तरक्की यह सरकार देती है। हम इस डिमान्ड को कतई पास करने के लिये तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यह विधान सभा जो सवा ३८ लाख की ग्रांट मंत्री महोदय ने मांगी है उसको अस्वीकार करे और यह साफ-साफ कह दे कि यह रुपया उन लोगों से वसूल किया जाय जो इसके लिये जिम्मेदार हैं और इसकी इन्क्वायरी करायी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस डिमांड का घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि विधान सभा इसको नामंजूर करे।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्सेस डिमांड हमारे सामने है वह एक बड़ी गहन समस्या है। इस प्रकार से ३८ लाख से भी अधिक रुपये का और उस परिस्थिति में जब उस अधिकारी को उतने अधिक रुपये की पर्चेजज करने की पावर न हो सामान खरीद लेना बहुत ही एतराज के लायक है। अभी माननीय नवलकिशोर जी ने अपने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूं और मुझे विश्वास है कि अगर सरकारी दल के इने गिने लोग इस प्रकार से अपने विचार प्रकट करें तो जो गलत नीति पर सरकार चल रही है और अधिकारी लोग जो यह समझ कर रुपये का दुरुपयोग कर रहे हैं कि हम चाहे कुछ करें सरकार उसको सैंक्शन जरूर करेगी, इसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने यह साफ कहा कि जिस समय यह पर्चेज की गयी उस समय शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग को १५ लाख रुपये तक की पर्चेजेज करने का अधिकार था और सन् १९५२ में उसे २७ लाख कर दिया गया, सन् १९५३ में ३५ लाख और सन् १९५४ में जब इस गवर्नमेंट ने देखा कि पर्चेजेज ६० लाख से भी ऊपर हो गयीं तो अपना अंतिम निर्णय दिया कि ६५ लाख रुपये तक की पर्चेजेज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या मैकेनिकल इंजीनियर कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह पर्चेज किया गया उस समय मैकेनिकल इंजीनियर को ५ लाख रुपये के पर्चेज करने का अधिकार था लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ३८ लाख का पर्चेज कर लिया और क्यों गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आदि जो संबंधित अधिकारी थे वह क्यों सोते रहे या पता नहीं उनके हृदय में भी कोरिया की लड़ाई होती रही या क्या करते रहे। कोरिया की लड़ाई का जो मामला पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के सामने रखा गया था उसमें जबानी बतलाया गया है कि इसलिये यह अतिरिक्त व्यय हो गया कि उस समय कोरिया का युद्ध चल रहा था और इसी आशा से यह पर्चेज कर लिया गया कि ऐसा न हो कि यह प्राप्त न हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर और सदन को भी सुनकर आश्चर्य होगा कि जिसने यह पर्चेज किया वह अपना कमीशन लेकर इस विभाग से इस्तीफा देकर कहीं और चले गये जहां उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। अगर देखा जाय और मेरा विश्वास है कि इसकी जांच होनी चाहिये और एक इंक्वायरी कमेटी बिठायी जाय तो उसका यही निर्णय निकलेगा कि इसमें गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं बल्कि मुख्य उद्देश्य कमीशन प्राप्त करने का रहा होगा अब यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें केवल मिकैनिकल इंजीनियर ही जिम्मेदार है या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तथा अन्य दूसरे अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं या और भी लोग हैं और उन्होंने किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कि स्टाक खरीदा गया है, बल्कि यह स्टाक कानपुर में भी मौजूद नहीं होगा और कितने ही अच्छे-अच्छे पार्ट्स गायब कर दिये गये। वह आने भी नहीं पाये कि पता नहीं वह कहां से कहां हो गये और इस समय जो हैं भी वह काम में नहीं लाये

[श्री जोरावर वर्मा]

जा सकते हैं और बहुत से बेकार हो गये हैं, क्योंकि बहुत सी गाड़ियों के डिजाइन भी तब्दील कर दिये गये हैं। इतनी बड़ी रकम का घपला कर दिया गया। एक कागज १९५१ से चला कि इस अधिकारी को कितना पर्चेज करने का अधिकार दिया जाय और १९५२-५३ तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और १९५४ में यह निर्णय हुआ कि इस अधिकारी को इतने रुपये का अधिकार दिया जाय। इससे अन्दाजा लगता है कि गवर्नमेंट इस प्रकार से अधिकारियों को प्रोत्साहन देती है कि वे मनमाना चाहे जो कुछ भी करते आयें।

यह ठीक है कि बिना विश्वास के सरकार का काम नहीं चलता है, लेकिन प्रजातंत्र प्रणाली के लिये कम से कम यह अहतियात रखना पड़ेगा कि यह अपनी लिमिट के बाहर न जायं और इस प्रकार से लिमिट के बाहर न जायं कि जितनी इनको पावर है उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर दें। एक दो प्रतिशत यदि अपनी लिमिट से बाहर चले जायं तो उसको क्षम्य कहा जा सकता है लेकिन जिस अधिकारी को ५ लाख या १५ लाख रुपये तक के पर्चेज करने का अधिकार है और वह ३८ लाख रुपये का पर्चेज कर ले तो यह बड़े आश्चर्य और खतरे की बात है। दो, तीन साल तक यह घपला चलता रहा और विभागीय जितने अधिकारी हैं सब सोते रहे और कोई ऐक्शन नहीं लिया गया और कोरिया की लड़ाई का बहाना लेकर पब्लिक मनी को इस प्रकार वेस्ट किया जाय तो यह बड़े दुख की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी कागज या फाइल नहीं दिखायी गयी है जिससे यह अंदाज हो सके कि सचमुच में कोरिया की लड़ाई के कारण ही यह पर्चेज किया गया। यह सब जबानी जमाखर्च है। सरकार के अधिकारियों का यह रवैया हो गया है कि कोई गबन करे या रुपये का दुरुपयोग करे तो उनका जवाब यही मिलता है कि उक्त अधिकारी पाकिस्तान चले गये या किसी दूसरी जगह सर्विस में चले गये। तब ऐसा ही नतीजा सामने आता है और जैसा कि कहा गया है और मेरा भी निश्चित मत है कि यह रुपया सदन स्वीकार न करे और अगर करे तो यह निश्चित हो जाय कि यह रकम उन अधिकारियों से वसूल की जायगी जिन्होंने इतनी बड़ी रकम का दुरुपयोग किया है क्यों कि प्रजातंत्र प्रणाली का शासन हमारे प्रदेश में और देश में है और वह उसके बचपन की अवस्था है। उसमें अगर इस प्रकार की बड़ी-बड़ी गल्तियां होंगी तो वह आगे के लिये उदाहरण बन जायंगी और जहां तक मेरी जानकारी है, उस हिसाब से उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिन्होंने इस प्रकार से इतनी बड़ी रकम का दुरुपयोग किया है और जिस के लिये महालेखापाल का मत माननीय गेंदासिंह जी ने बताया कि उन्होंने कहा है कि यह एक बड़ा भारी अपराध है, एक ग्रास इर्रेगुलेरिटी है और इसके लिये जो कार्यवाही की जाय कम है। लेकिन अभी तक मेरी समझ में सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मेरा तो निश्चित मत है कि अगर इस सम्बन्ध में कोई कमेटी बैठायी जाय तो यह जो पर्चेजेज की गई है उसमें आधे से अधिक पार्टस बेकार सिद्ध होंगे और वह गवर्नमेंट के रद्दीखाने में पड़े होंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जब कि गरीबों को रोटी भी नहीं मिलती और जो आधा पेट मिलती है उसमें से भी छीन ली जाती है, उस समय अधिकारियों को इस प्रकार के अधिकार दे दिये जाते हैं। तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है और इसके ऊपर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर जनहित के नाम पर इतनी बड़ी गलतियां होना और उनके लिये अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न होना, जनतांत्रिक प्रणाली का लक्षण नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इस प्रकार रुपया खर्च करने के बाद यह बहाना बनाती है कि हम टैक्स इसलिये लगाते हैं कि हमको डेवलपमेंट और जनहित के कामों को करने के लिये रुपये की आवश्यकता है। मेरा मत है कि इस प्रकार के घपले रोके जायं, इस प्रकार की फिजूल खर्ची रोकी जाय और अगर ऐसा हो जाय तो सरकार को बहुत हद तक नये टैक्स लगाने की आवश्यक न पड़ेगी। तो मैं

माननीय नवलकिशोर जी के सुझाव का कि इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठायी जाय, समर्थन करता हूं। हालांकि इस पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी निर्णय कर चुकी है। और आशा करता हूं कि सदन तभी इस डिमांड को स्वीकार करेगा जबकि सदन में इस बात की स्वीकृति हो जाय कि जिन लोगों ने इस प्रकार का इतना बड़ा अपराध किया है, रकम का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसलिये जो माननीय गेंदासिंह जी का प्रस्ताव है कि हम तब तक इसको स्वीकृत नहीं देंगे मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने परिवहन विभाग का जो ३८ लाख २४ हजार के करीब का अनुदान प्रस्तुत किया गया है वह एक ऐसी परिस्थिति में है कि उसमें कम से कम अपने सदन के माननीय सदस्यों से यह तो कहना ही पड़ता है कि इसको तो आप मान लें, किन्तु इसके साथ-साथ यह कहने को भी हम मजबूर हैं कि एक्सेस जो खर्च हुआ और जिस प्रकार खर्च हुआ वह अपने स्थान पर एक महत्व का प्रश्न तो है ही, लेकिन इस से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने यह सब जानते हुये भी उस विभाग के अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की या नहीं की गयी या विचार भी कर रही है खिलाफ कार्यवाही करने का या नहीं। श्रीमन्, एक तरह से यह कहा जा सकता है कि यह एक अफसर की दूरन्देशी थी कि उसने इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अगर कोरिया लड़ाई के कारण सामान आना बन्द हो गया तो हमारा काम सुचारू रूप से चलता रहे और हमारी गाड़ी न रुके और वह चलती रहे। किन्तु मुझे ठीक से पता नहीं है कुछ ऐसा मेरा अनुमान है शायद उस सरकारी कर्मचारी ने सरकार से इसकी आज्ञा भी नहीं ली कि कोरिया की लड़ाई के कारण उसको जो आशंका थी कि शायद सामान नहीं मिल सके तो सरकार से इजाजत ले लेता यदि यह सत्य है कि सरकारी अफसर ने सरकार से और अपने डिपार्टमेंट से इसकी आज्ञा नहीं ली और न उसने सूचित किया है तो मैं समझता हूं कि इस पर जो इन्क्वायरी कमेटी की मांग है वह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। आज हमारा प्रदेश कुछ ऐसी परिस्थिति में है जबकि कि इस प्रकार का अनुदान और जिन कारणों से यह अधिक खर्च हुआ है इस प्रकार का प्रश्न कुछ और ही महत्व रखता है।

आज का हमारे प्रदेश का वातावरण जो है उसको हम और आप सब जानते हैं। इस वातावरण में जबकि हम रोज इस बात को कहते हैं चिल्ला-चिल्ला कर कहते हैं कि हमें प्रदेश को उठाने की जरूरत है जबकि हमारे प्रदेश में डेवलपमेंट होने हैं, अगर गरीब जनता को ऊपर उठाना है, तथा इस प्रदेश के मजदूरों की हालत को सुधारना है, किसानों की हालत को सुधारना है तो हमें डेवलपमेन्ट के कारण कुछ न कुछ टैक्स देते रहना ही पड़ेगा, किन्तु श्रीमन्, जैसे कि मैंने एक और मौके पर निवेदन किया था कि यह ठीक है कि हम प्रदेश के हरएक बच्चे को उठाना चाहते हैं और उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सब को इस बात के लिये तैयार रहना चाहिये कि वह टैक्स दे, किन्तु श्रीमन्, हमारी आर्गूमेन्ट में कोई फोर्स नहीं रहता यदि हम उनके सामने ऐसे नमूने पेश करें। इससे जनता का अधिकार हो जाता है कि वह हमसे पूछे और कहे और सरकार से पूछे कि अच्छा टैक्स का जहां तक सवाल है उसका भार उठाने के लिये हम तैयार हैं, क्योंकि देश को इसकी जरूरत है, परन्तु सरकार जरा अपनी तरफ भी देखे। उसको भी तो यह देखना चाहिये कि यह ३८ लाख रुपया किस तरह से फिजूल खर्च हुआ है। मालूम नहीं वह सामान जो आया है वह इस्तेमाल हुआ है या नहीं। अगर वह सामान है तो इस्तेमाल हो सकता है लेकिन जिस प्रकार से यह कार्य किया गया है उसी प्रकार से सदन को यह जानकारी दी जाय कि सरकार की अवहेलना करके यह ३८ लाख का सामान मंगाया गया है तो इस बात को देखते हुये मैं समझता हूं कि जनता के हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह हमसे पूछे कि जब एक डिपार्टमेंट में ऐसी बात है तो आपके तो अनेक डिपार्टमेंट हैं उनकी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

क्या स्थिति होगी। उन पर आप विचार करते हैं या नहीं। आज यह चीज सदन के सामने आयी है और कल जनता के सामने पहुंचेगी।

मैं यह समझता हूं कि इस अनुदान को मानते हुये भी इस पर हमें जरूर जोर देना चाहिये और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात का वह जरा भी प्रयास न करे और न महसूस करे कि किसी डिपार्टमेंट के हेड के खिलाफ अगर कुछ किया जायगा तो विभाग की बदनामी होगी या उसकी प्रेस्टिज फाल होगी तो ऐक्शन न लिया जाय। इन बातों से हमारी सरकार की या सरकार के किसी विभाग की प्रेस्टिज बढ़ती नहीं है। इन बातों को सरकारी कर्मचारियों की बुरी हरकतों को अगर आप दबाते हैं तो इससे प्रेस्टिज जरा भी बढ़ती नहीं है, बल्कि उलटा असर यह होता है कि प्रेस्टिज गिरती है। मैं अपने मित्रों की उस आवाज का समर्थन करता हूं जिन्होंने इस अनुदान के सम्बन्ध में यह अनुरोध किया है कि इस पर इन्क्वायरी कमेटी अवश्य बिठायी जाय।

*श्री रामसेवक यादव—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान मेरे सामने प्रस्तुत है उसके लिये मैं माननीय मौर्य जी और माननीय जोरावर जी वर्मा की आवाज में आवाज मिलाते हुये सदन से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मांग को रिजेक्ट कर दे। क्यों? इसलिये कि आज हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जमहूरियत की परम्परा अपनायी गयी है और अभी यह जमहूरियत, जैसा कि मंत्री जी बाहर भाषणों में कहते हैं आजादी का एक बच्चा है जो पाला जा रहा है। जब आप उस जमहूरियत को अपना रहे हैं तो आप इस तरह की परम्परा अख्तियार कर रहे हैं कि ३८ लाख रुपये की एक्सेस ग्रान्ट आज इस सदन से मंजूर कराना चाहते हैं जिसका खर्चा अधिकारियों ने बगैर सरकार की मंजूरी के कर दिये यह बड़े शर्म की बात है और हमारा ख्याल है कि इससे प्रजातंत्र पनपेगा नहीं बल्कि उसकी हत्या होगी।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि अब इस खर्चे को मान ही लेना चाहिये। मानने और न मानने का तो इस सदन को पूरा अधिकार है, सदन इस माने में बिलकुल स्वतंत्र है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी हो सकती है, कि अगर हम इस चीज को मान लें तो सरकार की आदत ही बिगड़ जायगी। हम यह नहीं कह सकते कि आज जो परिस्थिति आयी है वह आयन्दा नहीं आयगी। अभी लंच से पहले यह सुनायी पड़ा था कि इससे पहले भी एक्सेस ग्रान्ट का मसला उठाया गया था। अब इस एक्सेस ग्रान्ट को जो ३८ लाख रुपये की है, उसको कैसे खर्च किया गया, इसके बारे में माननीय उपमंत्री महोदय ने कोई दलील ठिकाने की नहीं दी। उन्होंने केवल दो चार शब्द इस्तेमाल किये कोरिया की लड़ाई और सेंट्रल वर्कशाप। मैं उनकी तारीफ करता हूं। उनकी समझ बूझ की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इतने आगे की बात सोची। लेकिन इस ३८ लाख में कोरिया की लड़ाई ही नहीं आगे आने वाले सालों के खर्चे भी पूरे हो सकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रदेश की सरकार के अन्य विभाग में भी इसी प्रकार की खरीद-फरोख्त होती है पी० डब्ल्यू० डी० और अन्य विभागों में खरीद फरोख्त हुई है लेकिन किसी ने भी इस प्रकार की अधिक खरीद-फरोख्त नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, कैबिनेट की ज्वाइन्ट रेसपांसिबिलिटी होती है। जब कोरिया के युद्ध की संभावना थी और उसका असर पड़ने वाला था तो इस मंत्रिमंडल को सोचना था कि अन्य जगहों में भी खरीद-फरोख्त होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं थी केवल कारण बताने के लिये ही यह सब कहा गया है। हर बात का जवाब तो होता ही है और अन्त में कुछ न कुछ कारण तो दे ही दिया जाता है। इससे यह तो साफ मालूम होता है कि इस महकमे में धांधली चल रही है, अधिकारियों का बोलबाला है और मंत्री महोदय को यह भी मानना चाहिये कि उनका इस विभाग पर कोई कन्ट्रोल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है यही कारण है कि सरकार के उच्च अधिकारी जिस तरह चाहते हैं पैसा खर्च करते हैं, उन्हीं का बोलबाला है और इसमें कोई न कोई पक्षपात का प्रश्न जरूर है। अगर कोई कमेटी बठायी जायगी तो उनको यह अवश्य मालूम होगा। मंत्री महोदय अपनी तरफ से साफ हैं, उनको इस खर्च के बारे में पता नहीं था। लेकिन इसकी सफाई तभी होगी जब हम इस बात का पता लगायेंगे कि इसमें कितना खर्चा हुआ, क्या चीजें खरीदी गयीं, क्या उसके खरीदने से कोई लाभ हुआ? अगर लाभ हुआ तो कितना हुआ। यानी कोरिया युद्ध की संभावना से जो नुकसान होता, उसको कितना बचाया। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि यह सट्टेबाजी सरकार का काम नहीं है, यह तो दूसरे ही लोग किया करते हैं। इसलिये इस तरह की जो दलील दी जाती है वह काफी नहीं है। इस महकमे में पक्षपात और नैपोटिज्म का बोलबाला है। बाराबंकी की जो सड़क गणेशपुर जाती है वह बहुत ही फर्स्ट क्लास सड़क है। माननीय हुकुम सिंह जी मोटर से उधर जाते ही रहते हैं, वह सीमेंट रोड है। लेकिन उस पर रोडवेज नहीं चलती। क्यों इसलिये कि उस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक उच्च अफसर की निजी बसेज चलती हैं। यह मैंने एक मिसाल बतायी कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार से जो यह खरीद-फरोख्त हुयी है वह किसी उच्च अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये किया गया होगा। इसके २ ही नतीजे निकलते हैं, या तो उच्च अधिकारियों के साथ, जिन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया है सरकार की भी साजिश है और अगर नहीं है तो सरकार निकम्मी अवश्य है कि जिस को पता नहीं कि किस तरह से इतना रुपया खर्च हुआ और जिस का कोई ठीक हिसाब किताब नहीं है। यह तो सवा ३८ लाख की एक मिसाल सन् १९५१-५२ की हमारे सामने आ गयी और मैं समझता हूं कि इसी तरह के खर्च और दूसरे विभागों में भी होते होंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि मुल्क गरीब है, हम को गरीबी कम करना है और इसी हालत में अपने विकास के कामों को आगे बढ़ाना है और उन्नति के कार्य करने हैं और उसके बाद दूसरी तरफ सरकार के रहते हुये ऐसी फिजूल खर्ची कि सवा ३८ लाख की रकम इस तरह से बरबाद की जाय, यह मिसाल और आंकड़े तो किसी तरह से सदन के सामने आ गये वर्ना न मालूम कितने ऐसे फजूल के खर्च किये जाते होंगे। इसलिये मैं इस अनुदान का सख्त विरोध करता हूं और मैं ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि यह मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है बल्कि यह सदन के मान और अपमान का भी प्रश्न है। वैसे लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव का अधिकार नहीं होना चाहिये लेकिन जो रवैया यहां का हम देख रहे हैं उसका लाजमी नतीजा यह होना चाहिये कि एग्जिक्यूटिव लेजिस्लेचर के हाथ में होवे। अगर इस सदन के माननीय सदस्य अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस देश में और इस प्रदेश में प्रजातंत्र फले और फूले तो उनका और हमारा मिलाजुला कर्त्तव्य होना चाहिये कि एक स्वर से हम सब इस अनुदान की मुखालिफत करें और इस को रिजेक्ट करें और इस के सारे आंकड़े और हिसाब-किताब एक कमेटी के सामने पेश हों और उस की इन्क्वायरी की जाय कि सरकारी अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया है। आशा है कि मंत्री महोदय इस को वापस लेंगे।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने श्री मदनमोहन उपाध्याय का नाम पुकारा)

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब तो मैं माननीय सदस्य को मौका दे चुका हूं, उसके बाद आप का प्रस्ताव लिया जायगा।

†**श्री मदनमोहन उपाध्याय**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं पहले इस विषय पर न बोल सका और मैं समझता हूं कि इस विषय पर अगर मैं कुछ पहले खड़े हो कर बोलता तो शायद इतनी बहस का मौका इस सदन में लोगों को न होता। उपाध्यक्ष महोदय,

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

जब काम्पट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स के समय इस सदन के सामने रखी तो उसमें उन्होंने यह बताया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने ३८ लाख २४ हजार कुछ रुपया, जितना रुपया लेजिस्लेचर से उन्हें मंजूर था उससे ज्यादा खर्च किया। यह सब मसला पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने रखा गया था और मुझे इस सदन को यह बताने में खुशी होती है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस प्रश्न पर काफी गौर किया था और वह करीब ४ रोज तक बराबर इस मसले पर इन्क्वायरी वगैरा करती रही और ट्रांसपोर्ट विभाग के सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वगैरा के सब के बयानात इस मामले में लिये गये, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख इस बात का है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की सारी रिपोर्ट और उसके रिजोलूशन जिनको कि सदन के सदस्यों के सामने बराबर रखा जाता है, हमारे इस सदन के माननीय सदस्य उनको पढ़ने की जरा भी कृपा नहीं करते, अगर वे उसको पढ़ लेते तो मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव इस प्रदेश में हैं वह अपनी फाइनेंशियल इर्रेगुलेटरीज को अब तक जरूर कम करने लगती अभी तो वह समझते हैं कि सदन के सदस्य इन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वे समझते हैं कि अगर आज कोई इर्रेगुलेटरीज हुई तो ४–५ साल बाद उसकी अनुमति सदन से मिल ही जायगी। आपकी इजाजत से जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का इस सम्बन्ध में रिजोल्यूशन है और जो डेलीबरेशन्स हैं वह अंग्रेजी में पढ़कर सुनाये देता हूं उस के बाद उस का तजुर्बा में कर दूंगा।

"There was an excess of Rs.38,24,499 in the final grant of Rs.3,18,65,200. It was stated that the excess in the grant was mainly contributed by excess under sub-head B.—Works and this was due to purchase of spare parts by the Chief Mechanical Engineer in anticipation of Government sanction, over the sanctioned limit to build up adequate stocks with a view to meeting the increasing demand of the roadways. In the oral explanation the transport department informed the Committee that there was a serious apprehension that spare parts may not be available and the price may go very high on account of the Korean War and it appeared necessary to purchase the spare parts. A huge stock pile was necessary as several makes of vehicles were in use and stock had to be built for each make. The Committee were storngly of the view that it was grossly irregular to have spent money without obtaining the prior sanction of the legislature and they hoped that there would be no repetition of this gross irregularity and that no unauthorised expenditure will be incurred by the department in future. The Committee once again recommended that the question of delegating specific financial powers to the officers of the roadways should be considered by Government at the earliest."

यह अंग्रेजी का रेजोल्यूशन, उपाध्यक्ष महोदय, पास हुआ। इसका हिन्दी में तर्जुमा कर देता हूं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य ऐसा चाहेंगे। "समिति ने यह विचार प्रकट किया कि विधान मंडल की स्वीकृति प्राप्त किये बिना रुपया खर्च करके एक बहुत बड़ी अनियमितता की गई है और यह आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी भारी अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं की जायगी और यह कि विभाग द्वारा कोई अनधिकार व्यय नहीं किया जायगा। समिति ने एक बार फिर यह सिफारिश की है कि रोडवेज के अधिकारियों को कुछ विशिष्ट वित्तीय अधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार को यथासंभव शीघ्र विचार करना चाहिये।" उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पास करने के बाद ही सरकार इस बात के लिये मजबूर थी कि जो एक्सेस उन्होंने खर्च कर दिया था उसकी मंजूरी इस सदन से लेती और उन्होंने आज इस रेजोल्यूशन के मुताबिक इस हाउ

के अन्दर अपनी एक्सेस ग्रान्ट की मांग की। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं अपने उप-मंत्री का भाषण सुन रहा था मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह से उन्होंने एक्सेस ग्रांट के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने हवाला दिया, मैं कहूंगा कि वह बिल-कुल गलत है। उनका एक इस्टेट्स है। वह एक मिनिस्टर हैं। उनकी जबान से जो बात निकलें वह बिलकुल सत्य होनी चाहियें। मैं तो यह भी कहूंगा कि वह अगर गलत बातें इस हाउस के अन्दर कहते है तो वे इस हाउस के सामन अन्याय करते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—क्या गलत बातें कहीं ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—वह जानना चाहते है कि उन्होंने क्या गलत बातें कहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह मामला पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आया—वैसे यह हो सकता है कि इस सदन में कोई इधर बैठता हो और कोई उधर बैठता हो, लेकिन एकाउन्ट्स के मामले में जब सदन एक बार रुपया मंजूर कर लेता है और वह रुपया ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं इसमें कोई फाइनेंशियल इर्रेगुलरीटीज हैं या नहीं इसमें हमारे आपस में कोई मतभेद नहीं होता। मुझे इस बात की खुशी है। माननीय नवल किशोर जी ने इस बात का समर्थन किया और तमाम लोगों ने इस बात का समर्थन किया इसलिये नहीं कि विरोधी पक्ष के लोग कह रहे हैं, बल्कि इस लिये कि सदन की मर्यादा रखने के लिये हमारी डेमोक्रेसी को पनपने के लिये और हमारे उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर का फाइनेंसेज पर कितना कंट्रोल हो सकता है और कितना कंट्रोल रहना चाहिये उनको कायम रखने के लिये हमारे सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस ग्रांट का विरोध किया। इसकी मुझे बड़ी भारी खुशी हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपने कैसे ऐसी बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जब ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर साहब का बयान कमेटी के सामने हुआ और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब ने पहले पहल अपनी इस गल्ती को स्वीकार किया और कहा कि हमसे यह गल्ती हो गयी है। बड़ी फाइनेंशल इर्रेगुलैरिटी है। मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। ट्रांस-पोर्ट सेक्रेटरी ने कहा—"मान लीजिये कि मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय की एक फाइल को कुछ दिन तक चलता नहीं करता तो प्रशासन की दृष्टि से यह मेरा कुसूर है जिसके लिए पर्याप्त सजा पाने का मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। परन्तु लेखा सम्बन्धी नियमितता मुझ से नहीं हुई है। बल्कि यह एक अन्य व्यक्ति ने की है।" हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से जब यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गलती मुझसे नहीं हुई है फाइनेंशल इर्रेगुलैरिटी की।

दूसरी बात यह कि जब यह मांग खर्च करने की की गयी और मेरे पास कागज आये तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास एप्रूवल के लिये भेजा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर साहब से भी यह पूछा गया कि कैसे खर्च हुआ तो ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर साहब कहते है "हमने चीफ मैकेनिकल इंजीनियर को लिख दिया था कि स्टाक की निर्धारित सीमा के बाहर खरीददारी न की जाय। हमने यह बात अगस्त १९५१ को लिखी थी।" ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब यह बात कहते है कि उन्होंने भी जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर थे उनको यह हिदायत कर दी थी कि आप एक पैसे का माल नहीं खरीद सकते हैं १९५१ के अगस्त में। और बावजूद इस हिदायत के वह ३८ लाख रुपये के स्पेर पार्ट्स खरीद लेते हैं और माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि कोरिया की लड़ाई चलती थी इसलिये खरीददारी कर ली गई। उपाध्यक्ष महोदय, चार साल तक यह फाइल चलती रही। लड़ाई का क्या सवाल ? क्या सरकार चार साल तक यह फैसला नहीं कर सकती थी कि यह सैंक्शन उनको दे देना चाहिये। १९५१ के अगस्त में यह बात चलती है और १९५४ में इस बात का सरकार फैसला करती है कि भाई क्या अब किया जाय। सारा माल खरीद लिया गया है। हिन्दुस्तान में आ गया है। तो सिवा इसके कि अब कोई चारा नहीं है कि इसको अब सैंक्शन कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी या तो सदन का मजाक करते हैं या उन्होंने इस किताब को पढ़ने की कोशिश नहीं की।

श्री चतुर्भुज शर्मा--आप कह लें तब बाद में मेरा जबाव होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं तो आपके सामने सारी बातें रख रहा हूं उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि अगर कोई गलती हो गयी है स्वीकार करनी चाहिये। हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस चीज पर गौर किया और उनकी बातों पर जांच की कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की कहां गलती थी, ट्रांस्पोर्ट सेक्रेटरी साहब की कहां गलती थी, मैकेनिकल चीफ इंजीनियर साहब की कहां गलती थी और आखिर में कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें सारी गलती इंजीनियर की है और कमेटी यह भी चाहती थी कि उस इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए रिकमंडे करे। लेकिन बदकिस्मती थी कि वह अफसर हमारे प्रदेश के बाहर चला गया, वह शायद नौकरी छोड़ कर बाहर चला गया इस लिए कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो चीजें बताना चाहता था कि हमारी कमेटी के सारे सदस्यों ने, हमारे महाराजकुमार बालेन्दुशाह, जिन्होंने उसमें काफी दिलचस्पी ली थी, कमेटी में, माननीय रामस्वरूप गुप्त और माननीय केशव गुप्त, जितने हमारी कमेटी के माननीय सदस्य थे उन सब ने काफी इस बात की छानबीन करनी चाही कि आखिर यह मामला हाउस के सामने अवश्य आयेगा तो हमसे सदन जरूर कहेगा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस मामले पर क्या व्यवस्था की है और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इसी हाउस की एक कमेटी है और उस दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे बीच में कहा कि पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी का जो फैसला होगा वह हाउस का फैसला माना जायगा। और उसको किसी बात पर यदि कोई माननीय सदस्य संतुष्ट न हो तो उस पर वह हाउस के अन्दर डिबेट मांग सकते हैं। इसलिए जो हमारी कमेटी ने फैसला किया है वह हाउस का फैसला है और चूंकि यह एक्सेस ग्रांट हाउस के सामने रखी गयी, इसलिए हमको इस बात का मौका मिला है कि हम इस पर बहस करें। मैं बहैसियत चेयरमैन पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के और इस हाउस के मेम्बर की हैसियत से सारी चीजें जो इस सिलसिले में हमारी कमेटी के सामने आयी उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। आखिर में हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी थे उनसे इस मामले पर सारी बातें हुई तो उन्होंने एक सझाव दिया कि मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फाइनेंस से गलती हुई। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हैड आपके सामने हाजिर हुआ उसने हमसे माफी मांगी और कहा कि हमने लेजिस्लेचर की सैंक्शन के बगैर खर्चा कर दिया जिसके लिए हमें माफ कर दिया जाय। जहां तक फाइनेंस का ताल्लुक है, सन् ५१ से यह चीज शुरू हुई। अगर सेक्शन रेकार्डेड नहीं होता तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव हैड के खिलाफ ऐक्शन लिया जाता। जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन नहीं दी तो क्यों खरीदा गया? लेकिन अब गवर्नमेंट ने सेक्शन कर दिया है तो इस तरीके से उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिये आप ऐसा कह सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिये और यह सब गलती हो गयी।

माननीय मंत्री जी अगर इस बात को सदन के सामने कहते कि इनक्वायरी हो चुकी है, हमारी इसमें गलती है, वह अफसर आज हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर हम कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, आगे से हिदायत दे रहे हैं कि वह इस तरह से रुपया खर्च न करें, अगर यह कह देते तो हम उसको समझ सकते थे। माननीय मंत्री जी इतनी बड़ी फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी अपने डिपार्टमेंट से कर के इस हाउस की बेइज्जती करना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने अपनी डिमांड रखी, लेकिन हमने ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं समझी, पर यह मामला एक ऐसा था जिसमें यही सदन नहीं, प्रदेश के सारे लोग यह कहना चाहते थे और जब यह एप्रोप्रिएशन अखबारों में छपा कि यह गलत तरीके से ३८ लाख रुपये का खर्चा किया गया है, इसकी

काफी चर्चा हुई। अगर वह सदन की राय नहीं जानेंगे तो वह कोसेंगे और कहेंगे कि यह लेजिस्लेचर कुछ कार्य नहीं कर रहा है।

मैं बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता हूं। केस बिलकुल साफ है। मैं यह भी उपाध्यक्ष महोदय, बतलाना चाहता हूं कि इन आफिसर को सिर्फ १०,००० रुपये के स्पेयर पार्ट्स खरीदने का अख्तियार था। हमारे एकाउटेंट जनरल जिन्होंने उसमें शरीक होकर हमारे इस मामले की जांच करने के लिए हमारी मदद की, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। महालेखापाल ने कहा कि एक अनियमितता स्वीकार कर ली गयी है। एक और अनियमितता भी हुई है चीफ मैकेनिकल इंजीनियर को केवल १०,००० रु० तक की खरीदारियां करने का अधिकार प्राप्त था इससे अधिक रुपयों की खरीदारियों के सम्बन्ध में उसके लिए सरकार और परिवहन कमिश्नर का आदेश प्राप्त करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यद्यपि परिवहन कमिश्नर ने चीफ मैकेनिकल इंजीनियर को खरीदारियां न करने के लिये कई बार कहा, फिर भी चीफ इंजीनियर खरीदारियां करते ही रहे। परिवहन विभाग यह स्वीकार करता है कि इस अधिकारी ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। अब वे सरकार की नौकरी में नहीं रह गये हैं"। तो जब सब मानते हैं और हर डिपार्टमेंट मानता है कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गयी, यही नहीं यह तो हर साल के एकाउन्ट्स में आ रहा है और भी परचेज किए हुए हैं और बराबर एक्सेस ग्रांट आ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पब्लिक एकाउट्स कमेटी के रेजोल्यूशन पर जो हाउस का रेजोल्यूशन है हमारे माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की? हमारे विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की। उनके लिए भी यही कहेंगे कि क्योंकि वह नौकरी पर से चले गये इसलिए उस मसले पर कोई विचार नहीं हो सकता, हम उनसे यह भी जानना चाहते हैं और वह शायद इस सदन के सब माननीय सदस्यों को मालूम भी न हो कि आखिर वह ३८ लाख रुपया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जिसको कहते हैं कि हम खर्च कर गये, तो गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं देती फिर भी खर्च कर लिया गया इस चीज को हाउस जानना चाहता होगा कि आखिर वह रुपया कहां से मिल गया और उसने खरीद कैसे लिया? उसको मैं बताना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे मेकेनिकल इंजीनियर को जैसे कि रोडवेज के जनरल मैनेजर को, पी० डब्ल्यू० डी० के एग्जिक्यूटिव इंजिनियर्स को इस बात का अधिकार है कि वह जितने रुपये का चेक चाहें ट्रेजरी से ड्रा कर सकते हैं और वह इसलिए कि मान लीजिये अगर रोडवेज के जनरल मैनेजर को कहीं १०० गाड़ियां भेजने की जरूरत पड़े और पैट्रोल की जरूरत पड़ती है और उसको सिर्फ यह अधिकार दे दिया जाय कि वह १० हजार रुपया खर्च कर सकता है और रुपये की जरूरत पड़ जाय उससे ज्यादा खर्च करने की तो क्या करेगा? गवर्नमेंट को लिखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जायगा और इस तरह से काफी देर लग सकती है इसलिये उसको यह अधिकार दे दिया गया है कि वह जितना रुपया चाहे ट्रेजरी से ड्रा कर सकता है। अब तो यह देखने की बात है कि अगर यह अधिकार दे दिया गया है कि जितना रुपया चाहे ड्रा कर सकता है तो फिर उस पर रोक लगाने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। उसको अधिकार था कि १० हजार रुपये से अधिक की चीज एक दफा नहीं खरीद सकता था स्पेयर पार्टस् मोटर के। इतनी हिदायत होते हुए भी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के रहते हुए वह फिर भी ३८ लाख रुपया मोटर के स्पेयर पार्टस् खरीदने में खर्च करते हैं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने यह सुझाव रखा था कि उन पर किसी तरह की रोक थाम होनी चाहिये कि वह जरूरत से ज्यादा या जितना उन्हें ड्रा करने का अधिकार दे दिया जाय उससे ज्यादा वह ड्रा भी नहीं कर सकते ट्रेजरी से। यह हिदायत थी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के लिये। अगर माननीय मंत्री जी बतावें कि इस पर क्या कार्यवाही उन्होंने की तब भी हम समझ सकें कि जो रुपया हमसे वह मांगते हैं उसे दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब वैसे तो बहुत लम्बी-चौड़ी बहस हुई, मामला बिलकुल साफ हो गया, जैसा कि हमारे माननीय नवलकिशोर और सुरेश प्रकाश

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जी ने इस बात को मांग की थी कि इनके ऊपर इन्क्वायरी बैठे, मैं कहता हूं कि ऐकाउन्टेंट जनरल हमारे साथ थे, मेम्बर्स थे डिपार्टमेंट की जितनी ज्यादा खोजबीन हमने की उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यह तो हम नहीं बता सकते कि किसने इसमें कमीशन खाया, क्योंकि जिम्मेदारी की बात है यह कह देना कि फलाने ने कमीशन खाया, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो इरेंगुलेरिटी हुई है हमारे सामने है और मुझे दुख इस बात का है कि माननीय बेचन राम गुप्त जी ने ऐसी बात कहीं। हमारी पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर हैं। वह जब कहते हैं कि यह जो रुपया खर्च हुआ यह तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं, इससे मुझे दुख होता है, उनको कम से कम ऐसा न कहना चाहिये। पार्लियामेंट में ऐक्सेस ग्रांट मन्जूर हुई। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि जहां ऐक्सेज न हों। पार्लियामेंट ने उसकी सेंक्शन दी, लेकिन पार्लियामेंट ने डिसऐप्रूव जरूर किया। यह बड़ी भारी इरेंगुलेरिटी है। कोई लेजिस्लेचर जो समझती है कि फाइनेंसेज पर हमारा कंट्रोल है वह कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि बिला उसकी इजाजत के ऐक्जीक्यूटिव इस तरह से रुपया खर्च कर सके। मैं समझता हूं इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि इस तरह की इरेंगुलैरिटीज फाइनेंसेज में की जायं। और माननीय बेचन राम गुप्त जी अपने शब्दों को वापस ले लेंगे, क्योंकि वह जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

एक सदस्य--वे पहली ग्रांट के सम्बन्ध में बोले थे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, चाहे पहली में बोले, चाहे दूसरी में बोले, अपने हकों को नहीं छोड़ देना चाहिये। हम सब अपोजीशन के लिहाज से इन का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि तरीका गलत है जिस तरह से खर्च किया गया और मैं समझता हूं और माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे हाउस का भी एक ट्रेडीशन कायम होना चाहिये हम सेंक्शन देते हैं कि खर्च कीजिये लेकिन खर्च इस शर्त के साथ कि हम इसको डिसएप्रूव करते हैं, इस ऐक्सेस ग्रांट के तरीके को। उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर किसी डिपार्टमेंट में गलत तरीके से रूपया खर्च किया जाता है, अगर उनसे कहा जाय कि तुम यह क्या कर रहे हो, अपने बजट से बाहर जा रहे हो तो डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि अरे उपाध्याय जी आप क्या कह रहे हैं, २, ४ साल के बाद बात आयेगी उस वक्त आप होंगे या कोई और होगा। जो उस वक्त होगा वह अपने आप जबाव दे लेगा। ऐकाउन्ट्स की ऐसी बातें हैं कि आज जो गड़बड़ होगी तो वह ४ साल के बाद बात सामने आयेगी। तो कोई न कोई तरीका इस बात का निकालना पड़ेगा, कोई चेक अवश्य रखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सेपरेशन आफ आडिट फ्रौम ऐकाउन्ट्स एक दो डिपार्टमेंट्स के अन्दर टेस्ट कर रहे हैं और उसकी यूटिलिटी की बात हमारे पास अगर रूपया हुआ तो और डिपार्टमेंटस में भी आडिट और एकाउन्ट्स को सेपरेट कर देंगे। मैं मानता हूं कि हमारे पास आज रूपया नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि सिद्धान्त को उन्होंने स्वीकार कर लिया है जो कोई डिपार्टमेंट हमसे एक्सेस ग्रांट के लिये मांग करे हाउस के अन्दर उसके पास सारी रीजनिंग्स, सारे आरगूमेन्ट्स होने चाहिये क्योंकि साधारण बजट से भी यह स्पेशल डिमांड होती है।

मुझे तो ताज्जुब हुआ कि जिस तरह से माननीय उप-मंत्री जी खड़े हुये और पेश करके बैठ गये। वह क्या समझते थे कि हाउस में उनकी जबान से निकल गया और हम स्वीकार कर लेंगे। लेजिस्लेचर में समझदार लोग बैठते हैं और यदि कम से कम विरोध नहीं तो राय तो व्यक्त कर ही सकते हैं।

मैं आशा करूंगा कि यह मेरी वार्निंग सिर्फ इसी डिपार्टमेंट के लिये नहीं है बल्कि सारे डिपार्टमेंटस के लिये है कि यदि वे एक्सेस खर्च करेंगे तो उन्हे यह ख्याल करना पड़ेगा कि

उसके लिये उनके पास आर्गूमेन्ट्स होने चाहिये ऐसे सरकमस्टांसेज उसके पीछे होने चाहिये जिससे लेजिस्लेचर समझकर कह सके कि हां यह वाकया है और इसको मंजूर जरूर करना चाहिये । लेकिन अगर यूंही ले आयेंगे और मंजूर करते रहे और सारे डिपार्टमेंट्स के कंट्रोल पर छोड़ देंगे तो जो उनकी मर्जी आयेगी करेंगे । मैं समझता हूं कि इससे फायनेंस डिपार्टमेंट को भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी जो कंट्रोल रखना चाहती है कि हमारा लेजिस्लेचर इसमें अलर्ट है और वह इस बात की ओर ध्यान देती है । अपने डिपार्टमेंटों को आप हिदायत ईश्यू कर सकते हैं कि न ज्यादा सेविंग करिये और न ऐक्सेस । यह कांस्टीट्यूशनल इर्रेगुलेरिटी है और इस ग्रांट को पास करते वक्त हमें कुछ सोच समझ कर इसको पास करना चाहिये । मुझे आशा है कि हमारे सदन के सदस्य इसको सोच समझ कर ही पास करेंगे । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इसके लिये एक रिजोल्यूशन भी पास किया है, वह हाउस का रिजोल्यूशन हो जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम गवर्नमेंट का है । माननीय मंत्री जी बतलावे कि क्या कर रहे हैं । जो इंक्वायरी कमेटी की मांग इस सदन के अन्दर अब की गई है मैं समझता हूं कि अब इसका कोई आवश्यकता भी नहीं है फिजूल उसमें समय लगेगा । यह बात स्पष्ट हो चुकी है और माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार करना चाहिये । जो बात हो साफ होनी चाहिये गलत बात करके हमसे कुछ आप मंजूर कराना चाहें तो हम इसके लिये तैयार नहीं हैं ।

इन शब्दों के साथ मैंने काफी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य खूब सोच समझ कर अपनी इस पर राय देंगे ।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न हमारे सामने यह नहीं है कि कितना एक्सेस हुआ । मंत्री महोदय ने अपने भाषण के दौरान में इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि जो परिवहन विभाग के सम्बन्ध में अनुदान इस सदन द्वारा स्वीकृत हुआ है उसका केवल मात्र २ अंश ही एक्सेस हुआ है । साथ ही साथ मंत्री महोदय ने मैं समझता हूं कि गलत रुख अख्तियार किया ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो २ कहा था वह दूसरे आइटम के बारे में था । वह जो ८८ हजार ६५० रुपये का था । यह दूसरा आइटम है ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--तो वह कुल २ से ज्यादा हो जायगा और यह तो आपकी बहस के खिलाफ जाता है । जो बात ध्यान देने की है वह यह है कि इस प्रकार जो सरकार खर्च करती है सदन द्वारा किस प्रकार पार्लियामेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं किस प्रकार उसको रोकथाम कर सकते हैं । इसको कार्यान्वित करने के लिये सदन में समितियां बनी हैं, एस्टीमेट्स कमेटी, फायनेंस कमेटी है और उसी प्रकार पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है जो कि एक प्रकार से पोस्ट मार्टम करती है । मदन मोहन जी ने स्पष्ट रूप से यह बतला दिया कि यह मामला पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आया था और उसका मुझे भी एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है और मैं यह विश्वास दिला सकता हूं मंत्री महोदय को कि निष्पक्ष रूप से पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सब सदस्यों ने केवल मात्र यह जानने की कोशिश की कि यह हुआ कैसे और इतनी घोर फिनेन्शल इर्रेगुलेरिटी जो हुई वह सरकार के सामने जल्दी क्यों नहीं आ सकी ।

मदन मोहन जी ने जो वर्णन किया है मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उसका वह हल्के तरह से विरोध न करें । जितनी होशियारी और गम्भीरता के साथ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इन वाकयात की जांच की, जितनी फाइल्स मंगायीं, जितने सरकारी अफसरान की जांच की, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को अभी उस सम्बन्ध में उतनी जांच करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ । तो इस सम्बन्ध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि सफाई देने की वह कोशिश न करें। गलती हो गयी है। उस समय के जो होम सेक्रेटरी महोदय थे उनको जब समिति ने बुलाया तो उन्होंने केवल मात्र यही कहा कि गलती हो गयी है, समिति के सामने पूरे वाकयात हैं, जो वह उचित समझे वह कार्यवाही करे। उस समय जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय थे उनके भी केवल मात्र यही वचन थे। जो कुछ जानकारी हमने उनसे प्राप्त करने की कोशिश की वह उन्होंने पूरी पूरी दी किन्तु कोई सफाई नहीं दी। साथ ही साथ उन्होंने कोरिया का वर्णन किया। किन्तु जब समिति के सदस्यों ने उस सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रकट की तो बाद में उनका भी वही रुख रहा और उन्होंने यह बात स्वीकार की कि बिला किसी दबाव के कि गलती हो गयी है, अब गलती को दूर करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि सदन की एक्सेस ग्रांट की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

मैं मंत्री महोदय से इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि अब जो उनका अन्तिम भाषण हो उसमें अधिक डिटेल्स में न जाकर और तर्क वितर्क का प्रयोग न करके सदन का मान और इस सदन की एक मुख्य समिति का मान वह अपने हृदय में रखें और उसका किसी भी प्रकार से अपमान न होने पाये। यह निश्चित हो चुका है कि जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है वह पूर्णतया इस सदन का एक अंश है, यह नहीं कि इस सदन की एक समिति है जो कि अपनी रिपोर्ट इस सदन के सामने भेजे और यदि वह रिपोर्ट सदन स्वीकार करे तब वह स्वीकृत समझी जाय। यह प्रणाली नहीं है इस समिति के सम्बन्ध में जो प्रणाली निश्चित हुई है वह यह है कि जो भी निर्णय पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी करे वह पूर्णतया माना जायगा कि इस सदन का निर्णय हुआ। इसीलिये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन में कोई बहस नहीं होती, क्योंकि यह मान लिया गया है कि जो कुछ उस समिति का निर्णय हो वह इस सदन का निर्णय है। इसको स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है और आज का जो हमारा अन्तिम निर्णय हो वह यह न हो कि हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का जो विचार रहा है उसके विरुद्ध हो। मुझसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के रेजोल्यूशन को पढ़ा है और मैं समझता हूं कि चूंकि यह एक्सेस खर्च हो चुका है इसलिये इसको स्वीकार करने के अलावा हमारे सामने और कोई आल्टरनेटिव नहीं है। जिन व्यक्ति के ऊपर कुछ जिम्मेदारी ठहराई जा सकती थी वह हैं नहीं और यदि होते भी तो इतनी बड़ी रकम उनसे वसूल क्या ही हो पाती। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इस एक्सेस खर्चे के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति देते हुये सदन को यह ध्यान में रखना चाहिये कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो कुछ फैसला किया उसका भी सम्मान किस प्रकार कर सके। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। पृष्ठ ६९६ में . . . एक्सेस ग्रांट के सम्बन्ध में इस प्रकार का विषय ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में आया था और इस सम्बन्ध में एक्सेज ग्रान्ट को पास करते हुये यानी पास तो हुआ लेकिन स्वीकृति देते समय यह रिजोल्यूशन पास हुआ था यानी :

> "When a certain amount of expenditure for a particular service has been determined upon by Parliament it is the bounden duty of the department which have that service under its charge and control to take care that expenditure does not exceed the amount placed at its disposal for that purpose."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि इसको ध्यान में रखते हुये और विचार करते हुये कि हाउस आफ कामन्स में जहां इस प्रकार की पार्टी गवर्नमेंट चलती है और एक्सेज ग्रांट उस समय स्वीकृत हुई थी मैं समझता हूं कि यह सदन के लिये

शोभनीय बात होगी यदि इस अतिरिक्त अनुदान के लिये स्वीकृति देते समय हम उसी रूप का रिजोल्यूशन पारित करें और मैं यह प्रस्ताव रखता हूं और यदि इसमें मंत्री महोदय कोई अदला बदली करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर यह अत्यन्त आवश्यक बात है और सदन का यह कर्तव्य है कि वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के विचार को एंडोर्स करे। इसलिये इस तरह के रिजोल्यूशन के पारित होने की अत्यन्त आवश्यकता है। हमारा यह प्रस्ताव है कि "यह भवन इस अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति देते हुये अपना यह असन्तोष प्रकट करता है कि जब किसी विभाग के पूरक तथा अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति भवन से प्राप्त हो जाय तो उसके बाद सरकार का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि किसी विभाग का खर्चा स्वीकृत मद से अधिक न हो।"

अध्यक्ष महोदय, यह सिद्धान्त मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और माननीय परिवहन मंत्री जी भी इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं कि जहां तक हो सके ऐक्सेज ग्रांट को उपयोग में नहीं लाना चाहिये। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यदि मंत्री जी कोई भाषा में परिवर्तन करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और जो वह उचित समझें परिवर्तन कर दिया जाय इन शब्दों के साथ खेद प्रकट करते हुए कि इस प्रकार की ऐक्सेज ग्रांट्स सदन में भविष्य में न आयें। इस वाकये से न केवल मात्र सदन के अधिकार की अवहेलना नहीं हुई है किन्तु इसकी हमने जांच की है कि हमारे मिकेनिकल इंजीनियर ने जो पर्चेज की है उसकी अनुमति ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की प्राप्त नहीं हुई थी और सरकार की तो किसी रूप में प्राप्त नहीं हुई। पर्चेज एक दिन में नहीं हुई बल्कि दो ढाई साल में हुई और इस बीच में मिकेनिकल इंजीनियर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में काफी चिट्ठी पत्री हुई और टी० सी० ने रोका लेकिन इसके बावजूद पर्चेज हुई है। इसकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती है और देना में समझता हूं कि सदन और सदन की एक समिति का अपमान करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं सुझाव रखता हूं और आशा करता हूं कि वह स्वीकार किया जायगा।

श्री केशव पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--क्लोजर नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का दिन इसके लिये रखा गया था और मैं समझता हूं कि वाद विवाद इस वक्त समाप्त होने ही जा रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी जागरूकता से इस प्रश्न पर विचार किया है किन्तु मुझे थोड़ी सा दुःख है कि माननीय सदस्यों ने जहां पर जागरूकता दिखाई वहां ऐक्सेज ग्रांट पर विचार करने में वे थोड़ी सी ऐक्सेज कर गये। बालेन्दुशाह जी मुझे क्षमा करें कि मुझे कुछ वाकेआत इसलिये सदन के सामने रखने पड़ेंगे कि पूरे पूरे वाकेआत सदन के सामने आ जायं।

मैंने शुरू-शुरू में अपनी इस मांग को पेश करते हुए कुछ बात कही थी। उस समय मैंने यह कह दिया था, और मंजूर किया था कि इसमें कुछ इर्रेगुलेरिटी (अनियमितता) हो गई है और यही नहीं बल्कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो हिदायत थी उसके अनुसार हमने कार्यवाही की है। हिदायतें हमने विभाग को दे दी हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं आती। यह मैंने पहले पहल कहा था और माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र भी किया था कि प्रस्ताव पेश करते हुए प्रस्तावक महोदय ने इर्रेगुलेरिटी मान ली है तो यह प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार माननीय उपाध्याय जी ने इस पर इतना जोर दिया, तो वह चीज मैंने कही थी और उस पर ऐक्शन लिया है। उस पर हमने हिदायत जारी कर दी है कि इस तरह की इर्रेगुलेरिटी न हो।

श्री मोहन लाल गौतम—उस अफसर को कोई सजा भी दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं अभी सब बतला देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इर्रेगुलेरिटी हुई ऐसा मैंने सदन के सामने कहा और इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन हमें इसको देखना पड़ेगा कि जिस अफसर ने इसमें काम किया उसके लिये परिस्थितियां सरकम्सटांसेज थे या नहीं थे कि वह ऐसा काम करे। इसमें कोई शक नहीं कि उसने रूल्स और रेगुलेशन्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने जो काम किया.....

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। यह मानी हुई बात है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी सदन का एक सेनानिमस रूप है और अगर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी कोई निर्णय किसी बात पर जांच करने के बाद कर लेती है, तो क्या, भले ही वह माननीय मंत्री भी क्यों न हों, क्या उनके लिये उचित होगा कि उसकी जो सिपारिसें हैं उनको वह इस प्रकार खोल कर और उसके विरुद्ध कोई निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष—मैंने सुना नहीं, उन्होंने क्या कहा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं यह कह रहा था कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो निर्णय दिया है उस पर हमने उसके अनुसार कार्यवाही की है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं कि जिनको सदन के सामने आना चाहिये, जो शायद पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने भी न आये हों, उनको उस आदमी के, जिस पर वह समझते हैं कि यह जुर्म आयद होता है, सरकम्सटांसेज में सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो इस कथन में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, यहां एक जनरल मोटर्स है जहां से हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काफी पर्चेज खरीददारी करता है, वह एक बड़ा पर्चेजर उस कम्पनी का है। तो उस जनरल मोटर्स ने २८ फरवरी, १९५१ को एक लेटर लिखा हमारे ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को कि ऐसी सिचुऐशन परिस्थिति पैदा हो रही है इंटर नेशनल कि शायद आगे हम स्पेयर पार्ट्स न दे सकेंगे, तो आप एक साल की एडवांस हम से पर्चेज कर लें वर्ना उस समय हम आपको पर्चेजेज की सुविधा नहीं दे सकेंगे। तो यह जनरल मोटर्स का एक लेटर २८-२-५१ को हमारे ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को आया और यह बात भी सही थी कि उसने यह बात अपना बिजनेस बढ़ाने के लिये नहीं लिखी थी, सिचुऐशन भी ऐसी थी और जो बाद में वाकयात हुए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो ऐक्शन उसने लिया वह बुद्धिमानी के साथ लिया गया था। हो सकता है कि उस पर्चेजेज में ज्यादा कुछ सतर्कता न बरती गई हो नियमों की बाबत, लेकिन जो नतीजा हुआ उससे यह साबित हुआ कि उसका ऐक्शन सही था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि उनको ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने मना कर दिया था। मैं यह नहीं कहता कि जो उन्होंने बयान दिया है वह सही है या नहीं, लेकिन जो वाकयात हैं, वह भी सदन के सामने आ जायं तो अच्छा है, क्योंकि माननीय उपाध्याय जी ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा

कि अगस्त ५१ में ही ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने चीफ इंजीनियर को मना कर दिया था लेकिन इन्डेन्ट अप्रैल सन् १९५१ में ही करीब-करीब सब हो गया था और पर्चेजेज भी अप्रैल, सन् १९५१ में हो गयी थीं तो फिर किस तरह से कहा जा सकता है कि उस आदमी को ऊपर से मना किया गया।

मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें इर्रेगुलेरिटी की लेकिन वह अप्रैल, ५१ में इन्डेन्ट होता है और २ मार्च, ५१ को सैंक्शन के लिये गवर्नमेंट को लिखा गया यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखा गया कि जो हमारी लिमिट १५ लाख पर्चेज की है उसको अब बढ़ा दिया जाय और वह मामला गवर्नमेंट को रेफर हो गया था। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह एक जर्मन चीफ मैकेनिकल इंजीनियर थे जो हमारे यहां सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर में काम करते थे। मुझे व्यक्तिगत तो उनका तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मैंने उनके काम को उस समय नहीं देखा लेकिन जो रिपोर्ट मिली और उनको मैंने देखा उससे यह मालूम हुआ कि वर्कशाप कानपुर में उन्होंने काम बहुत अच्छी तरह से किया जब तक कि वे रहे। और उस सेंट्रल वर्कशाप को एक अच्छी मैकेनिकल लाइन पर जमाया। वह एक योग्य आदमी थे और अच्छा काम उन्होंने किया है। उनको हम दो हजार रुपया तनख्वाह देते थे लेकिन टाटा ने उनकी सर्विस को ५ हजार रुपये पर लिया। यह ऐसी बिजनेस कंसर्न है जिसकी शाख हिन्दुस्तान में है। उनकी योग्यता के विषय में कोई शक नहीं किया जा सकता। अब यह जो परचेज हुई वह किस हालत में हुई उसको मैंने आपने सामने रखा। मैंने अपने पहले भाषण में ही इस बात को मान लिया है कि इर्रेगुलेरिटी हुई। इसलिये मैंने यह अर्ज किया कि माननीय सदस्यों के विचारों में जो एक्सेस है वह एक्सेस, अधिकता निकल जाय और सही वाकयात सदन के सामने आ जायं।

मैं आपसे यह भी अर्ज करता हूं कि १९५२-५३ में स्पेयर पार्ट्स की बिक्री से वर्कशाप जो वह रीजन्स है में सप्लाई करती है उनमें जो मुनाफा दिखाया गया है वह १५ लाख रुपया दिखाया गया है जो इन स्पेयर पार्ट्स के खरीदने की वजह से हुआ। दूसरी साइड को मैं मान चुका हूं कि इर्रेगुलेरिटी हुई लेकिन जो वाकयात हैं वह यह साबित करते हैं कि शायद यह जो पर्चेज की गयी है यह सही बुद्धिमानी के साथ की गयी है और फारसाइट से की गयी है। उसमें विभाग का भला सोचा गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी रकम थी ३८ लाख की उस पर माननीय सदस्य का ध्यान होना चाहिये। वह किसी तरह से भी दुष्प्रयोग में नहीं आनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस बात से असहमत हूं कि कहीं भी अगर एक पाई का दुरुपयोग होता तो उसकी कसक हमको होनी चाहिये और मुझको भी कसक होती है और मुझे ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं वह सब इस बात को ध्यान में रखते हैं। इस रकम की बाबत मैंने अर्ज किया था कि पिछली साल ३५ लाख की लिमिट हमको टेम्पोरेरिली करनी पड़ी थी। यह लिमिट अस्थायी थी और १५ लाख से बढ़ते-बढ़ते अब चूंकि डिपार्टमेंट बढ़ता रहा है ६५ लाख हो गई है। यह जाहिर करता है कि ३८ लाख रुपये की खरीदारी का स्पेक्यूलेशन नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल प्वाइन्ट आफ व्यू से यह खरीदारी होशियारी से की गई थी। यह भी कहा गया कि प्रजातंत्र का गला घोंटा गया। और मैं मानता हूं कि उपाध्याय जी को तो ट्रांसपोर्ट विभाग का बहुत अनुभव है। इतना ही नहीं, पब्लिक सेक्टर के अलावा उनको प्राइवेट सेक्टर का भी अनुभव और ध्यान है और उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जब कोई बेईमानी या इर्रेग्यूलेरिटी वह पब्लिक सेक्टर में बतावेंगे, यद्यपि प्राईवेट

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

सेक्टर में तो उनकी बात आथैन्टिक मानी हो जायगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर में भी उनकी बात पर पूरा-पूरा गोर किया जायगा। यह इसलिये मैं कह रहा हूं कि मुझसे कई माननीय सदस्यों ने विशेषकर मौर्य जी ने यह कहा था कि किस तारीख को यह खरीदा गया और कितना फायदा हुआ।

माननीय बालेन्दुशाह जी यह न समझें कि मैं किसी को डिफेन्ड करने के लिये यह बातें कह रहा हूं। इर्रेग्यूलेरिटी के लिये मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसका पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जिक्र किया, मैंने स्वयं किया और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत दे दी गई है कि इस प्रकार की बात आगे न हो।

माननीय उपाध्याय जी ने जैसा कहा उनकी कमेटी को गवर्नमेंट की ओर से, विभाग की ओर से और एकाउन्ट्स विभाग की ओर से पूरा-पूरा सहयोग मिला है। पूरी जांच इस मामले की हुई। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के निर्णय के अनुसार हमने कार्यवाही की है, तो फिर शिकायत की गुंजायश कहां रह जाती है? यह इर्रेग्यूलेरिटी है लेकिन जनहित में हुई है और सही हुई है इस मानी में कि उसमें घाटा नहीं हुआ। यह अवश्य है कि उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सीड किया। हमें उसकी योग्यता पर कोई शक नहीं जैसा कि बालेन्दुशाह जी ने और औरों ने भी कहा था। हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई ऐसी बात न हो जिससे वह समझ सकता कि इसके कम्पलीकेशन्स क्या हो सकते हैं। फिर वह हमारे विभाग से चला गया यद्यपि हम तो उसे रखना चाहते थे। उनको अच्छी जगह मिली और वह चले गये। तो अब बालेन्दुशाह जी के प्रस्ताव से और इनक्वायरी से क्या होगा? यह हमारे संविधान में है ही कि जितनी जरूरतें हैं उनसे अधिक खर्चा नहीं किया जायगा।

यहां पर कुछ थोड़ी सी व्यक्तिगत बातें भी कही गईं। माननीय यादव जी ने कहा कि बाराबंकी रोड पर किसी बड़े अधिकारी की ट्रांसपोर्ट विभाग की बस चलती है, इसलिये उस रोड पर सरकारी बस नहीं चलाई जा रही है। मैं माननीय यादव जी से यह प्रार्थना करूंगा कि बिना पहले विभाग के पास इस तरह की शिकायत किये हुये या उसकी जांच किये हुये या कराये हुये इस माननीय सदन में किसी खास अधिकारी के विरुद्ध ऐसी बात कह देना उचित नहीं है। अगर वह उसे साबित कर दें तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह दल विशेष की बात नहीं है, मैं ज्यादा ख्याल करता हूं उन बातों का विरोधी दल की ओर से आती हैं, और माननीय उपाध्याय जी इसे मानते होंगे, लेकिन अगर वह किसी ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी के विरुद्ध ऐसी बात साबित कर देंगे कि नियम के विरुद्ध उनकी बस चल रही है तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देने के लिये तैयार हैं। लेकिन बिना विभाग को रेफ़र किये या सरकार को रेफ़र किये यहां सदन में कहना और गवर्नमेंट को भी दोषी ठहराना, इससे अधिक बेबुनियादी बात कोई नहीं हो सकती। कोई भी माननीय सदस्य जो अपने को जिम्मेदार कह सकता है वह ऐसा चार्ज सदन के सामने नहीं लगा सकता है। तो जो डेकोरम वह मुझे कह रहे हैं वह स्वयं रखें। किसी साहेब ने और एक सज्जन के लिये व्यक्तिगत बात कही थी जो मैं समझता हूं कि यहां नहीं आनी चाहिये थी। मैं यह नहीं कहता कि विभाग में सारे रूल्स व रेग्यूलेशन्स माने जाते हैं। यह नया विभाग है और इसका फैलाव हो रहा है, जनता की इसने सेवा की है। बजट स्पीच के समय मैंने कहा था कि हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग सारी स्टेट्स के मुकाबले में यह विभाग सस्ता और अच्छा है और जनता की अधिक सेवा कर रहा है। अधिक फायदा जनता का कर रहा है। मैंने आंकड़े भी बतलाये थे जिनको अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

यहां पर यह बात भी आई कि यह पर्चेजेज कोरिया वार की वजह से किये गये तो क्या कोरिया वार की सूचना केवल ट्रांसपोर्ट विभाग को ही थी, दूसरे विभागों को या केन्द्र को क्यों नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आता कि वह माननीय सदस्य इस गवर्नमेंट के सब विभागों की या केन्द्र की सब विभागों की फाइलें कैसे देख आये हैं कि वहां ऐसी कोई परचेज खरीददारी बिल्कुल नहीं हुई या उन्हें लड़ाई की बातें मालूम नहीं थी। उन्होंने इस तरह का स्वीपिङ्ग रिमार्क कर दिया। आप जानते हैं कि सबसे कम रुपया ३ करोड़ और कुछ का इस विभाग का बजट था। वह बढ़ता गया और करोड़ों के बजट में यह कोई अधिक खरीदारी नहीं थी। इस विभाग ने इस सतर्कता में कि पब्लिक को आगे चल कर तकलीफ न हो यदि कुछ अधिक खर्चा कर दिया तो उसके लिये वह बधाई का पात्र होना चाहिये।

मैं जानता हूं कि माननीय उपाध्याय जी बड़े लायक और सुलझे हुये आदमी हैं और प्रैक्टिकल दिमाग के हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब वह अपने बैलेन्स में थोड़ा सा झुक गये। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी माननीय सदस्य के या दूसरे सदन के अपमान की बात कभी सोच ही नहीं सकता हूं। लेकिन पिक्चर की दूसरी साइड भी है। उसको अब माननीय सदन के सामने रख देना अपना कर्तव्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ. आशा करता हूं कि सदन इस अनुदान को मंजूर करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अप्रैल के महीने में खर्च किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उस इंजीनियर ने ठीक काम किया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चार साल तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने फिर उसकी मंजूरी क्यों नहीं दी। १९५१ में यह हुआ और ५४ में इसकी फाइनल सैंक्शन दी गयी। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि यह सैंक्शन क्यों देर से हुई।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि मार्च २, ५१ को ही इसके लिये लिख दिया गया था। यह रिजर्व के लिमिट बढ़ाने की बात थी अतः फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी लिमिट को बढ़वाना था। जब तक वहां से सैंक्शन न मिलती तब तक उसको मंजूर नहीं किया जा सकता था। ५४ में फाइनेंस डिपार्टमेंट से वह सैंक्शन मिली, इसीलिये यह मामला ५४ तक चला।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—परिवहन विभाग के अन्तर्गत ३८,२४,४९९ रुपये की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८०

विपक्ष में—१४।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१-५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१-५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६ पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१-५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१–५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(सदन में विधेयक की प्रतियां बांटी गईं)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१–५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

मैं यह अर्ज कर दूं कि यह जो बढ़तियों की वजह से खर्च हो गया है उसको इस बिल के जरिए से कन्सालिडेटेड फंड से खर्च करने की मंजूरी मांगी गई है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१–५२ की बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३, तथा अनुसूची

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१–५२ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की १९५१–५२ की संचित निधि में से ४०,०१,८६३ रु० का दिया जाना।

२—उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियां जिनका कुल योग ४०,०१,८६३ रुपया (चालिस लाख एक हजार आठ-सौ तिरसठ रुपया) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये, जो ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त उस वर्ष के लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा काम में लायी जा सकती है।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को दिये और काम में लाये जाने का अधिकार दिया जाता है उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त हुये वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची

अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	४	५
			रु०	रु०	रु०
१६	पुलिस	..	९,१८८	..	९,१८८
१८	शिक्षा	..	१,६८,१७६	..	१,६८,१७६
३०	परिवहन विभाग	..	३८,२४,४९९	..	३८,२४,४९९
	कुल योग	..	४०,०१,८६३	..	४०,०१,८६३

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३ और अनुसूची इस विधेयक का अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१-५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६

३१ मार्च, १९५२ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके लिये अधिकृत अथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१-५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५१-५२ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य तथा संविधान के संशोधन के निमित्त सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब राज्यों के पुनस्संगठन से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचार जारी रहेगा। कल श्री जयपाल सिंह भाषण दे रहे थे, उनका भाषण जारी रहेगा।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, कब तक बहस होगी इसका कुछ अन्दाज हो जाता।

श्री अध्यक्ष—यह कल भी चलेगी। कल किस वक्त खत्म होगी यह सदन ही निर्णय करेगा।

*श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस बिल की धारा ३८, ३९ और ४१ के बारे में चर्चा कर रहा था। इस बिल की धारा में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय अपनी आज्ञा अनुसूचित जातियों—सन् ५०-५१ में इस प्रकार माडिफिकेशन कर देंगे जिससे उन जातियों में जो जातियां शामिल हो जायंगी, उनकी जो आबादी है वह अनुमान करके उनमें शामिल कर ली जायगी और उसके अनुपात से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयपाल सिंह]

उनकी असेम्बली, पार्लियामेंट में सीटों का रिजर्वेशन कर दिया जायगा। तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा ३३०, ३३२ और ३३५ के आधार पर हरिजनों के लिये असेम्बली और पार्लियामेंट और नौकरियों में रिजर्वेशन रक्खा गया है; यह इसलिये रक्खा गया है कि इस वर्ग के लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए हैं जिससे कि उनमें यह विश्वास और इनीशियेटिव पैदा हो सके जिससे कि वे संविधान में बनाये गये उन बुनियादी उसूलों से पूरी तरह से फायदा उठा सकें। इससे यह साफ जाहिर है कि उनकी आबादी का अनुपात रखने का तात्पर्य यही है कि अगर गलत आबादी हुई तो उनके जो अधिकार हैं वे नौकरी में कम हो जायंगे इसलिये जरूरी हो जाता है कि उनकी जो जन-संख्या है वह ठीक होनी चाहिये, सही होनी चाहिये जिससे संविधान में दिये हुए अधिकारों की पूर्ति हो सके और जो उनको सेफगार्ड की गारंटी की गई है वह पूरी हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिये किया गया है वह उनकी जड़ पर एक गहरा आघात पहुंचायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जिस मिशन का अहद किया है कि उनको ऊंचा उठाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करनी है अगर यह पूरा नहीं हुआ तो केवल किताबों में ही वे शब्द रह जायंगे। एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हरिजनों की मर्दुमशुमारी पर नजर डालता हूं तो हमने देखा कि ३१ की मर्दुमशुमारी में अनुसूचित जातियों की संख्या १,२८,००,००० थी, लेकिन ४१ में देखते हैं तो वह १ करोड़ १९ लाख और ५१ में नजर डालते हैं तो १ करोड़ १४ लाख रह गई। इस तरह से बराबर आबादी घटती गई। कमिश्नर महोदय ने जो सेंसस किया है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यह क्यों घटी है। इसलिये घटी है कि उनके सामने मर्दुम-शुमारी करते वक्त उन जातियों की नामावली नहीं है और किसी जाति के लिये अगर कोई खाना नहीं था तो उसको शामिल नहीं किया गया और जब इस बात के लिये ध्यान दिलाया गया कि उनके लिये अधिकार सुरक्षित हैं तो सेंसस कमिश्नर ने कहा क्योंकि उनको बहुत देर में इस बात की नोटिस मिली, वे पूरी तरह से उस गल्ती को दूर नहीं कर सके हैं। इसलिये वह गलती रहना स्वाभाविक ही था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गल्ती इसलिये हुई कि जो पटवारी या स्कूल के मास्टर थे उन लोगों ने इसको किया और बड़ी जाति के लोग या जमींदार थे उनको चौपाल में बैठकर दूसरों के कहने पर उन्होंने मर्दुमशुमारी की। और इसलिये भी कि चूंकि उनकी बस्तियां गंदी हैं, और उनको एक तरह से गुलाम समझा जाता है, और वहां जाना एक पाप समझा जाता है इसलिए भी नहीं गये हैं। यही दो एक कारण नहीं हैं जिनकी वजह से उनकी आबादी कम लिखी गयी है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां इन जातियों के कुछ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार सुरक्षित किये गये हैं वहां ऊंची जाति के लोग भी यह महसूस करने लगे हैं और उन्हें भय हो गया है कि उनके अधिकारों में से जो अभी तक उनको प्राप्त थे उनको मिलेंगे इसलिए भी यह मर्दुमशुमारी ठीक नहीं की गयी है। दूसरी यह भी घटना हुई है कि कुछ लोग जो अपने को आर्य कहते हैं या हिन्दू सभा के लोग थे वह कहते थे कि सभी को हिन्दू या आर्य लिखाना चाहिए। और इस बात को सेंसस रिपोर्ट में सेंसस कमिश्नर ने भी बताया है कि कहीं-कहीं पर उन लोगों ने अपने को आर्य लिखाया है। और इसलिए उनका इन जातियों में शुमार नहीं हो सका है इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से हरिजन जातियों का शुमार ठीक तरीके से, सही तरीके से नहीं किया गया तो संविधान में दिये गये उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है? इसलिये सही तरीके से उस आबादी को आंका जाना चाहिये। जब कि मैं यह देखता हूं कि नान-हरिजन जातियां हैं उनकी आबादी कम से कम ३३.६८....

श्री अध्यक्ष-- मैं समझता हूं कि यह जो आप बातें कह रहे हैं उस सम्बन्ध में विधेयक की पुस्तिका पृष्ठ ७ जो है उसमें यह दिया हुआ है--

"It will not be practicable to fix in the Bill itself the numbers of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of each State and Union territory in the House of the People and in the State Legislative Assembly. This task has to be done by the Delimitation Commission, but before it can do so, the existing Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders made by the President under articles 341 and 342 and proposed to be amended by a separate Bill will have to be adapted and modified with reference to the reorganisation of States."

इससे यह मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार लोक सभा में एक अलग बिल लावेगी।

मैं समझता हूं कि उस विधेयक के सिलसिले में यह चर्चा कुछ तो हो सकती है। परन्तु आपके सामने जो राज्यों के पुनस्संगठन के सम्बन्ध में विषय है, कि किस तरह से प्रान्त बनें उस सम्बन्ध में अधिकतर बात कहिए और आने वाले दूसरे विधेयक के विषय का थोड़ा सा रेफरेंस कर दें। लेकिन एक उसी बात पर आप अपना भाषण सीमित न रखें।

श्री जयपाल सिंह---अध्यक्ष महोदय, जो यह धारा ३८, ३९ और ५१ इस बिल की हैं उनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि उनकी आबादी को आंक करके सीट निर्धारित की जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि जो इस तरीके की गलती पिछली दफा हो गयी है वह आइन्दा न होने पाये।

श्री अध्यक्ष-- उसके लिये विधेयक आयेगा, उसमें वे अगर गलती होगी तो दुरुस्त करेंगे।

श्री जयपाल सिंह-- आपके जरिये मैं उपनेता सदन से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार को और राष्ट्रपति महोदय को हमारी ओर से जो यह दृष्टिकोण है और बात है उसको वहां पहुंचा दें जिससे कि हमारे जो अधिकार इस तरीके से कम हो जाते हैं आबादी कम शुमार होने की वजह से उसकी पूर्ति हो सके। मैं यह निवेदन करना भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि कुछ ऐसी उपजातियां हैं जो हरिजनों की उपजातियां कहलाती हैं वह उपजातियां मौजूदा परिस्थिति में भी उपजातियां हैं लेकिन उनकी उपजातियां होने के कारण उनका मर्दुमशुमारी में गलती से ब्योरा नहीं आ सका है। मैं आपकी इजाजत से यह बता देना चाहता हूं कि उसके बाद मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। वह यह है कि कोरवा की उपजाति करुआ है वह छूट गयी है। इसी तरह से चमार जाति है उसमें रविदासी, रैदास, अहरवार, मात, जैसवार, नोना चमार, ढेंड चमार, आदि छूट गये हैं। उनको मर्दुमशुमारी में शामिल नहीं किया गया है। इसलिये भी जरूरी हो जाता है कि जब वह उस जाति के हैं तो क्यों न उनको उस जाति में शामिल किया जाय और उनके अधिकार सुरक्षित न हों? मेहतर खाकरोब भंगी, चुहड़ा, जमादार यह वाल्मीकि जाति की उपजातियां हैं वह भी छूट गई हैं। इसी तरह से बेरिया, बरहिया यह भी छूट गई हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि उनको काउन्ट किया जाय। इसी तरह से अहेरिया अरख, ढोलिया, भोकसा, चिकवा या चिक, बाजीगर, मदारी, संगतराश ..

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सब चीजें जो हैं वह मौके की होती हैं। इतनी डिटेल में अभी कोई जाने वाला नहीं है।

श्री जयपाल सिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो इस तरह की जातियों की उपजातियां हैं उनकी संख्या कम हो गई है और उनको शामिल होना चाहिये और जो अधिकार उनको संविधान से मिले हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिये। तभी हम अपने राजनीतिक अधिकारों को, जो संविधान ने सुरक्षित किये हैं उनको प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो हमारे लिये एक मजाक सा बन जायगा कि संविधान में कुछ है और उसके विपरीत किया जाय। इसलिये मैं चाहूंगा आपके द्वारा कि सरकार इस बात को केन्द्रीय सरकार से कहे कि सन् १९३१ से जो कमी इन जातियों में हो गई है उसको पूरा किया जाय और जिस वक्त उसका अन्दाज लगा लिया जाय और वह भी १९३१ की मर्दुमशुमारी से लगा कर १ करोड़ ६७ लाख होती है और उसी के आधार पर हरिजनों के लिये असेम्बली और पार्लियामेंट में सीटें होनी चाहिये।

***महाराजकुमार बालेन्दुशाह** (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री तेजप्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूं। मित्र श्रीचन्द्र के संशोधन के अन्तिम भाग का समर्थन करता हूं और साथ ही सत्यसिंह राणा के संशोधन का और उसमें जो भाव प्रस्तुत हैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम जो मित्र तेजप्रताप सिंह का संशोधन है उसके सम्बन्ध में ही अधिकांश वक्ताओं ने भाषण और विचार प्रकट किये और मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में अधिक कहना अब आवश्यक नहीं है। विशेषकर जब यह ध्यान में रखा जाय कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस संशोधन के जो भाव हैं और विचार हैं, उनका समर्थन करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहूंगा कि यदि किसी के लिये या किसी व्यक्ति के लिये यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि आया वहां के लोग क्या चाहते हैं बुन्देलखंड और बघेलखंड के, उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं या नहीं? किन्तु यह सब के लिये स्पष्ट हो गया है कि वहां के काफी लोग यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आयें और इसी विचार को और बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि जिन व्यक्तियों के हाथ में अन्तिम निर्णय है उनको अन्तिम निर्णय लेने के पहले यह उचित होगा कि वहां की जनता की, और जनता से मैं माफी चाहूंगा कि इस अवसर पर मेरा मतलब जनता के प्रतिनिधियों से नहीं, और माननीय मुख्य मंत्री ने जो तर्क भी दिया था उसमें मैं सहमत नहीं हूं। और न होते हुए अपनी जानकारी और-और मित्रों की जानकारी के बल पर कह सकता हूं कि वहां की जन-संख्या बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होने के लिये उत्सुक हैं और केवलमात्र चन्द व्यक्तियों के प्री-कन्सीव्ड आइडिया को सुनकर यह समझ लेना कि वहां कोई यह नहीं चाहता कि उनको उत्तर प्रदेश में न सम्मिलित किया जाय, यह अन्याय करना होगा। इसलिये हमारे जो तीन व्यक्ति जिनके हाथ में अन्तिम निर्णय है यदि वह इस विचार के न हों कि सही रूप से तस्वीर क्या है तो मैं समझता हूं कि उनको किसी न किसी रूप से जनता की राय लेना आवश्यक है। और अभी नहीं तो कम से कम बाउन्ड्री के सम्बन्ध में जब कि थोड़े बहुत ऐडजस्टमेंट के लिये गुंजायश होगी तो कम से कम उस समय में भी वहां की जनता की जो इच्छा हो वह ले ली जाय और उसके अनुसार अन्तिम निर्णय किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि मेरे साथी सत्यसिंह राणा का संशोधन है उसके सम्बन्ध में इस भवन में केवल-मात्र एक ही दो व्यक्तियों ने कुछ अपने विचार प्रकट किये।

अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि श्री सत्यसिंह राणा के संशोधन के रहने से वह एक भूल करते हैं कि एक अमीर प्रान्त और प्रदेश को छोड़ कर एक गरीब प्रान्त और प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ वह मिलना चाहते हैं, यह सही है। मैं जानता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि सत्यसिंह राणा भी यह जानते हैं कि एक बड़ा अनोखा सुझाव उन्होंने रखा है। यह उनको मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश की अमीर सरकार पहाड़ी इलाकों की भली भांति देखभाल नहीं कर पा रही है और हमारा यह विचार है कि चाहे जितना भी मंत्री महोदय और उनकी सरकार कोशिश करें, फिर भी इस लाप-साइडेड प्रदेश में पहाड़ों का भाग्य कभी उतने हद तक नहीं जाग सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को मानते हुये यह कहना पड़ता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से जब हिमांचल प्रदेश अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा है तो फिर हमारे वहां जाने के लिए क्या आकर्षण है। मैं समझता हूं कि आकर्षण बहुत कम है और चूंकि इतना कम आकर्षण होने के बावजूद भी यहां पर समय-समय पर यह विचार और आशा और मांग सरकार के सामने पेश की जा रही है कि हमारे यहां लोग और जनता और उनके प्रतिनिधि असंतुष्ट हैं मैं समझता हूं ऐसा विचार और मांग की तह में जो कारण है उन पर अभी तक सरकार की ओर से उचित जांच नहीं हुई। मैंने शुरू में ही कह दिया इस प्रकार के विषयों पर प्रतिनिधियों का विचार उचित नहीं।

मैं किसी स्वार्थ के दृष्टिकोण से यह मांग कर सकता हूं कि हमको हिमांचल प्रदेश में मिला लिया जाय, उसी प्रकार कोई और सदस्य सदन के उसी प्रकार के स्वार्थ के दृष्टिकोण से उसका विरोध कर सकते हैं। जिस प्रकार मैंने विन्ध्य प्रदेश के सम्बन्ध में यह सुझाव रखा कि ऐसा एक महत्वपूर्ण कदम उठाने से वहां की जनता की वास्तविक मांग और इच्छा की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, उसी प्रकार मैं आज भी मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि जिन कारणों से यह मांग वहां की जनता के प्रतिनिधि उनके सन्मुख बार-बार रख रहे हैं, यदि मंत्री महोदय उस मांग की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, या भविष्य में भी उन मांगों की पूर्ति का आश्वासन नहीं दे सकते हैं तो उनका यह फर्ज और कर्तव्य है कि वह हमारी मांगों की जांच करें कि वहां की जनता की इस सम्बन्ध में इच्छा क्या है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी भी प्रकार से अनग्रेटफुल प्रतीत होना नहीं चाहता। हमारे जिले और पहाड़ों में बहुत हो रहा है, किन्तु मैं यह कहूंगा कि जो कुछ हो रहा है वह एक सरकार का जो फर्ज है, उस फर्ज की अदायगी हो रही है। यह कहना कि एक पिछड़ा इलाका, जो कि माना हुआ पिछड़ा इलाका है, उसमें, उस माने हुए आपके पिछड़े इलाके में कोई विशेष कार्य किया गया, कोई विशेष धन या विशेष उन्नति के कार्य सरकार ने हाथ में लिये हों, मैं समझता हूं यह नहीं हुए हैं और यदि हुए हों तो जितने पिछड़े हम हैं उसकी पूर्ति के दृष्टिकोण से और उसकी पूर्ति की इच्छा से अभी नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि यह सत्यसिंह राणा का जो संशोधन है उसकी शब्दावली जो भी हो और उसमें जो अन्तिम इच्छा प्रकट की गयी है वह जो भी हो, किन्तु उसका मुख्य तत्व यह है कि हम और हमारे इलाके के लोग सरकार के प्रति विश्वास रखते हुए उनकी लाचारी को महसूस करते हैं कि उनको राजनैतिक दृष्टिकोण से काम करना है। मैं यह नहीं कहता कि माननीय मुख्य मंत्री का दृष्टिकोण गलत है, परन्तु राज्य शासन जिस प्रकार से चलता है वह यह है कि "बेनिफिट टु दि ग्रेटेस्ट नम्बर", सबसे कम खर्च में अधिक से अधिक उन्नति हो। ये जो सिद्धान्त हैं वे बहुत उचित और उत्तम हैं और इनके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जब कि यह सिद्धान्त हमारे लिये लागू किये जाते हैं। जो वास्टली गापुलेटेड इलाके हैं जहां कि उन्नति का काम करने के लिये बहुत पूंजी खर्च होती है और अध्यक्ष महोदय, इन बातों की यदि तुलना की जाय तो मंत्री महोदय चाहे कितना ही निष्पक्ष होकर निर्णय दें तो वे भी इसी आंकड़े पर आयेंगे कि इतने रुपये

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

लगाकर इतने लोगों को फायदा होगा और इसमें हम हमेशा पीछे छूट जायंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सत्यसिंह राणा ने जो इस सम्बन्ध में सुझाव रखे हैं वह एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप सा है किन्तु मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी या तो उस सुझाव को स्वीकार करें या कोई और उपाय निकालें जिससे हमको यह विश्वास हो जाय कि सरकार की जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि है वह स्वतः हमारी कमजोरी है और हमारे जो पिछड़े होने का हल है हमारी दृष्टि उस पर पड़ती रहेगी।

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में श्रीचन्द्र जी के सुझाव का जो अन्तिम भाग है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। पंजाब में सुझाव रखा गया है कि भाषा के आधार पर रीजनल कौंसिल्स बनायी जायं मैं समझता हूं कि यह आधार गलत है। हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये उस सम्बन्ध में इतना ही कह कर मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश के सुप्रबन्ध के लिये जैसा श्रीचन्द जी कहते हैं यदि उसका कुछ हिस्सा बढ़ जाय तो भी जाग्रफिकली और टोपोग्राफिकल बेसिस पर रीजनल कौंसिल बनाना आवश्यक है। केवल वही न बनाई जावें बल्कि एक हद तक काम उसको डेलिगेट किया जाय।

संविधान में भारी संशोधन लाये जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक सुझाव रखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव और उत्तम कदम होगा और जो उनके विचार हैं कि अधिकारों का प्रोग्रेसिव डेलीगेशन होता रहेगा और हर काम का डिमोक्रेटाइजेशन होता रहेगा तो अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ आश्वासन दें कि भविष्य में हर एक इलाके को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार मिलता रहेगा तो उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर और लखनऊ की सरकार के मातहत रहते हुये भी वहां के लोगों को इस बात का अवसर मिलेगा कि वे सेल्फ डिटरमिनेशन कर सकेंगे कि उनकी उन्नति के लिये जो कार्य हों वे कर सकेंगे जो वहां के इक्जीक्यूटिव आफिसर्स होंगे यदि उनमें कुछ गल्तियां भी हों तो उनकी आवाज शीघ्रातिशीघ्र उन तक पहुंच सकें और वे लोग आपस में कुछ उपाय अपना निकाल सकें। मैं समझता हूं कि यह अत्यावश्यक है और यदि माननीय मंत्री जी अब इसमें देरी करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। जहां तक रीजनल कौंसिल का संबंध है उस बिल में, मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं कि इससे कोई विशेष लाभ होगा इसकी आशा नहीं की जा सकती। हमारे यहां जो प्रणाली बनी है कि सब से ऊपर तो पार्लियामेंट है और उसके नीचे हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके बीच में एक और बाडी सेट अप करने से मैं समझता हूं कोई भी लाभ नहीं होगा। आज भी हमारे मुख्य मंत्री और अन्य प्रदेशों के मुख्य मंत्री भी, मैं समझता हूं कि कम से कम हर महीने में कार्य करने के सम्बन्ध में उनको दिल्ली जाना होता है या वे बुलाये जाते हैं। जो कार्य जोनल कौंसिल करेगी वह हमारे मुख्यमंत्री केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श से कर सकते हैं। और इस सम्बन्ध में एक और इर्रेगुलैरिटी है जो मेरी समझ में आती है। वह यह है कि अगर जोनल कौंसिल बने तो इसका क्या तुक है कि उत्तर प्रदेश जिसकी तीन तरफ सरहद है, यानी वास्तविक रूप से तो उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ है, पूर्व में बिहार के साथ है और पश्चिम में पंजाब के साथ है, तो इन सब के साथ न हो करके केवल मध्य प्रदेश के साथ रखा गया है। अगर इन सबके लिये जोनल कौंसिल होती और उसमें उत्तर प्रदेश भी होता तब तो मेरी समझ में यह बात कुछ आ सकती थी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में पूर्णतया सहमत हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इस विचार को यदि छोड़ ही दिया जाय तो उचित होगा।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राज्य सीमा आयोग की पहली रिपोर्ट भी पढ़ कर और यह जो दूसरी प्रकाशित हुई है उसको भी

पढ़ कर मैं यह निस्संकोच कह सकता हूं कि इस प्रदेश के साथ राज्य सीमा आयोग ने बहुत ज्यादा इन्साफ नहीं किया है। श्रीमन्, जब मैं यह कहता हूं उस समय मैं यह भी जानता हूं कि हमारे कुछ साथी जो इस सदन में हैं और बहुत से लोग जो कि इस सदन से बाहर हैं संभवतः मेरा और उनका मतैक्य न हो पायेगा। किन्तु मैं समझता हूं और यह यथार्थ सत्य भी है कि यदि उस समय जब कि सीमा आयोग निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहा था हमारे देश का वातावरण और फिजां और वह विश्वास जो कि पिछले दिनों में बदले हैं शासन के सम्बन्ध में और शासकीय यूनिटों के सम्बन्ध में यदि वह वातावरण और फिजां उस समय भी होती तो सम्भवतः उत्तर प्रदेश के साथ न्याय अवश्य हो सकता था। किन्तु, श्रीमन्, मुझे दुख है कि जिस समय राज्य सीमा आयोग बना उस समय उत्तर प्रदेश को बहुत शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। उत्तर प्रदेश को साम्राज्यवादी मनोवृति का कहा जा रहा था। उस समय यह भी कहा जा रहा था इसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम उसमें कुछ भी हिस्सा मिलाने की कल्पना नहीं कर सकते और एक अभियोगी की भांति हम लोग, उत्तर प्रदेश के नागरिक और प्रतिनिधि अपनी सफाई नहीं दे सके, अपनी बात नहीं कह सके और जो जो अभियोग और आरोप हम पर लगाये गये उनको हमने धैर्य और शांति के साथ सुना।

दूसरी दुर्भाग्य पूर्ण घटना यह हुई कि जहां पर हम यह कहते थे कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कुछ आसपास के भागों को मिलाने की आवश्यकता है वहां पर हमारे इस प्रदेश के कुछ साथियों का यह मत था कि कुछ हिस्सा इस प्रदेश से अलग हो जाना चाहिये। तो हमारी स्थिति इस प्रकार की हो गयी जैसे कि एक सेना रक्षात्मक युद्ध करती है। इस वजह से बहुत सी वे बातें जो कि आज की फिजां और वातावरण में मनवाई जा सकती थीं उस समय हम उनको मुंह से भी नहीं निकाल सकते थे और अगर निकालते तो वह हमारी धृष्टता समझी जाती। किन्तु हमें प्रसन्नता है कि इस प्रदेश का जो विश्वास और अनुभव था—और यह प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश रहा है—इसमें बहुत से चतुर राजनीतिज्ञ हुये हैं, उनके अनुभव हुये हैं, उन्होंने शासन किया है और चतुराई से शासन किया है, उनका जो विश्वास था अनुभवों के आधार पर आज हमारी केन्द्रीय सरकार के नेताओं को भी उसी विश्वास पर आना पड़ा। यह कि भारतवर्ष में हम ऐसी इकाइयां पैदा करें जो शासकीय दृष्टि से सुदृढ़ हों राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ हों। कोई हर्ज नहीं अगर सूबे बड़े हो जायं। कोई हर्ज नहीं अगर प्रदेश बड़े हो जायं। अगर उनका शासन ठीक है और उनका आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक ढांचा ठीक है तो बड़े प्रदेश बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह बात पहले नहीं थी। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि यह विश्वास उनके हृदय में घर करता जा रहा है। श्रीमन्, जैसा कि मैंने अर्ज किया था यदि उस समय ऐसी फिजां होती, ऐसा वातावरण होता जैसा कि आज है जब कि दो तीन सूबों को मिलाने की कोशिश की जा रही है, दो तीन प्रदेशों को मिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है और कई सूबे इस समय बहुत बड़े बने हुये हैं, तो उस समय हमारे साथ न्याय किया जाता। लेकिन उस समय यह बात नहीं हुई।

श्रीमन्, मैं बघेलखंड डिवीजन की बात खास तौर से कहना चाहता हूं। उस समय यह आशा नहीं थी लेकिन जिस समय राज्य सीमा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और हमारे प्रदेश में यह फिजां और वातावरण पैदा हुआ और हमारे उच्च नेताओं को यह विश्वास पैदा हो गया कि बड़ी यूनिट्स होनी चाहिये तो मेरी यह धारणा और विश्वास हो चला था कि संम्भवतः बुन्देलखंड और बघेलखंड के साथ जो अन्याय किया गया है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ तथा बघेलखंड की जनता के साथ अन्याय किया गया है उसको अब दूर कर दिया जायगा। लेकिन मुझे दुख है कि दूसरे प्रदेशों के साथ न्याय किये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है वहां की जनता को

श्रीमन्, संभवतः इस सदन को मालूम होगा कि एक समय माताटीला के निर्माण के संबंध में, मध्य भारत और विन्ध्य प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के लिये वारंट ईश्यू कर दिये थे और वह इस बिना पर कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियर और कार्यकर्त्ता और कर्मचारियों को अधिकार नहीं है कि वह उनकी जमीन पर जाकर बांध बनाने के लिये खुदाई करें या और दूसरे काम करें। यह एक बिडंबना है, श्रीमन्, यह एक बहुत अवांछनीय बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जब समाज का, देश का निर्माण हो रहा हो, हम एक नये भारतवर्ष की कल्पना कर रहे हों, उसका स्वप्न देख रहे हों, उस समय निर्माण के काम में इस प्रकार की अड़चनें हमारे सामने आयें और हम उस अड़चन को हटाने में अपनी शक्ति और समय का अपव्यय और दुरुपयोग करें। श्रीमन्, वह स्थिति सुधरी और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रदेश के नेताओं के हस्तक्षेप के कारण, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनकी उदारता और राजनीतिज्ञता के कारण वह स्थिति सम्हली। इसी प्रकार से विन्ध्य प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की लारियों को और लारियों पर बैठने वालों को कई बार ऐसा मौका आया कि गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और वह इसलिये कि उनको कोई हक नहीं था कि विन्ध्य प्रदेश की सड़क पर वह चलें। श्रीमन्, झांसी से मऊरानीपुर ४० मील है और दोनों उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन उनके बीच का एक ५, ६ मील का टुकड़ा विन्ध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां के सैकड़ों, हजारों आदमियों का आवागमन वहीं से होता है और वह उसमें से जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके आये हैं कि जब जेलखाने में उन लोगों को डाल दिया गया, गाड़ी के ड्राइवर को डाल दिया गया, क्लीनर को डाल दिया गया, उसमें बैठने वालों को डाल दिया और हफ्तों और महीनों वहां यह जिच रही है। श्रीमन्, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह जो संगठन हुआ है वह अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। यह केवल आर्टिफिशियल संगठन है जो न राजनैतिक दृष्टि से और न सामाजिक दृष्टि से ही ठीक कहा जा सकता है। इस संगठन को समाप्त हो जाना चाहिये था उसी समय जब कि भारतवर्ष को आजादी मिली थी। उस समय यह संगठन तब्दील हो जाना चाहिये था। इस संगठन में नया जीवन और प्रेरणा पड़नी चाहिये थी उस समय। लेकिन श्रीमन्, उस समय यह नहीं हुआ और इसके लिये मुझे दुख है और इसलिये मैं कहता हूं कि इस बात के बावजूद कि हमने एक प्रयास किया राज्यों की सीमाओं को बदलने का, लेकिन यह प्रयास, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, मैं समझता हूं, अधूरा रहा। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के चार जिलों की जनता दतिया, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ की जनता उत्तर प्रदेश में आना चाहती है और श्रीमन्, जब मैं यह बात कहता हूं तो उस जिम्मेदारी से कहता हूं जो उस पद से जिस पर मैं आज हूं, जुड़ी हुई है। जब मैं यह बात कहता हूं कि वहां की जनता आना चाहती है तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। यह मुमकिन हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जिनका सम्भवतः कुछ स्वार्थ हो मध्यभारत में शरण लेने की बात करते हों किन्तु वह कारण एक सार्वजनिक कारण नहीं है, राजनैतिक कारण नहीं है। वह कुछ संकुचित व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वह यह कह रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में उन जिलों को लाने का प्रयास किया जाय।

पिछले दिनों झांसी में एक कांफ्रेंस हुई थी जिसमें बुन्देलखंड के उन जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहां पर यह निश्चय किया गया और उन प्रतिनिधियों के सामने निश्चय किया गया कि बुन्देलखंड के उन चार जिलों को उत्तर प्रदेश में मिला देना चाहिये। आज भी विन्ध्य प्रदेश की असेम्बली के डिप्टी स्पीकर साहब ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं आपसे यह कहूं और यह निवेदन करूं कि दतिया को उत्तर प्रदेश में आना आवश्यक है। अगर यह सन्देह है कि जनता कुछ दूसरी बात कहेगी तो मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं और पं० जवाहर लाल जी कि हमारे राष्ट्रनायक हैं उनसे कहना

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

चाहता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में आवश्यकता होगी तो प्लेबिसाइट लेने की जनता की आवाज जानने की कोशिश करेंगे ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, और प्रार्थना करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के चार जिलों की जनता की राय जान लेना चाहिये । मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन चार जिलों की जनता की राय यह होगी कि वे उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)--जनाबवाला, मेरे दोस्त श्री श्रीचन्द्र जी की एक तजवीज इस हाउस के सामने पेश हो चुकी है । मैंने भी एक संशोधन उसमें दिया था जनाबवाला ने यह फार्माया कि फार्मली मुझे मूव करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती लेकिन मैं अपने ख्यालात इस हाउस के सामने उस अमेंडमेंट के मुताल्लिक रख सकता हूं । पेश्तर इसके कि मैं दलील पेश करूं मैं अपने रेज्योल्यूशन और अपने अमेंडमेंट को क्यों चाहता हूं उसके फर्क को हाउस के सामने बतलाना चाहता हूं कि मेरे और श्रीचन्द्र साहब के रेज्योलूशन में क्या फर्क है । श्रीचन्द्र साहब ने बतलाया कि डेवलपमेंट को अमराज के लिये यह जरूरी है कि कम से कम खर्च और ज्यादा से ज्यादा काम और जल्द से जल्द हो सके । उसके बाद उन्होंने यह कहा कि कुछ इलाके हमसे अलग हैं उनको भी शामिल किया जाय । इसमें मुझे खुशी है कि विन्ध्य प्रदेश भी शामिल है । इसमें शामिल करने के लिये वह इस कदर तजवीज रखना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस हिस्से को भी उसमें रखा । मैं भी जहां तक इस तजवीज का ताल्लुक है पूरी तरह से उनके साथ हूं । मैं तो यह चाहता हूं कि यही नहीं कि विन्ध्य प्रदेश उसमें शामिल हो, बल्कि आस-पास के वह इलाके जो कि कलचरली और इकानामिकली हमारा जुज बन सकते हैं वह भी हमारा जुज बनें ।

मुझे इसकी खुशी हुई कि वही दलील हमने पिछली मर्तबा जब इस हाउस के के सामने यह मौका आया तब पेश की गयी थी और उस वक्त उन दलायल पर गौर नहीं किया गया बल्कि यह कहा गया कि शायद वह हालो है । कुछ लोगों ने कहा कि हम देश भक्त नहीं हैं और दुनिया के हालात को समझते नहीं हैं और जो दलील उस वक्त वजनी समझी जा सकती थी उनके लिये कहा गया कि इसमें कोई वजन नहीं है । लेकिन वही दलील आज पेश की जा रही है और बहुत जोर के साथ पेश की जा रही है और उस इलाके को यहां शामिल करने के लिये बहुत माकूल और सही दलील बतलायी जाती है मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक श्रीचन्द्र साहेब की तजवीज का ताल्लुक है मैं उसके साथ पूरा सहमत हूं लेकिन एक बात के अलावा । श्रीचन्द्र जी ने रीजनल कमेटीज की बात को उसके साथ मिला दिया है उन्होंने कहा कि ये ये इलाके शामिल किये जावेंगे और उसके बाद ३ रीजनल कमेटी बना दी जावें । मुझे खुशी है कि विन्ध्य प्रदेश या जिनके बारे में कहा गया वे आ जावें । तो अच्छा हो लेकिन रीजनल कमेटीज का दारोमदार उन पर नहीं होना चाहिये । वे इलाके आते हैं, या नहीं रीजनल कमेटीज बननी चाहिये । मैंने इलास्टीसिटी अपनी तजवीज में रखी है । मैंने रखा है कि २ या २ से अधिक रीजनल कमेटीज जरूरत के मुताबिक बननी चाहिये । ज्यादा इलाके शामिल होते हैं तो ज्यादा कमेटियां बनें । श्रीचन्द्र साहेब इलाकों का शामिल होना जरूरी समझते हैं, मैं उसे जरूरी नहीं समझता, रीजनल कमेटीज बनने के लिये ।

मुझे खुशी है वे तमाम दलायल जो पहले हमने दिये थे, मेरे दोस्तों ने उनका जिक्र किया और माना है । मसलन्, यह कि पंजाब से हमारा हिस्टारिकल सम्बन्ध है, वही दलील मेरे बहुत से दोस्तों ने विन्ध्य प्रदेश के लिये दी । उन्होंने बतलाया कि इलाहाबाद से और आस-पास के अजला से उनका संबंध है हिस्टारिकल और शोसल, इसलिये उनको उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहिये । यही दलील हमारी थी पंजाब के लिये । उसके बाद

एक दलील जो कि हमारे बुजुर्ग चीफ मिनिस्टर साहेब ने दी कि जब उन्होंने रीजनल कौन्सिल का जिक्र किया, पंजाब से हमारा एफीनीटी आफ इन्टरेस्ट की वजह से उसे हमारे साथ रीजनल कौन्सिल में मिलाया जाय । मैं मुत्तफिक हूं इससे और वही दलील मेरे दोस्तों ने और मैंने पहले दी थी और मुझे खुशी है कि आज चीफ मिनिस्टर साहेब उसे ठीक समझते हैं। बहरहाल, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। यह रीजनल कमेटीज का प्रपोजल बड़ा ही इन्नोसैन्ट प्रोपोजल है और इससे हमारी तजवीज का सैटिस्फैक्शन होता है । पहले यूनिलिन्गुअल स्टेट्स पर जोर दिया जा रहा था जब हमने अपनी दलायल रखी थीं । एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग बाद में आते थे । अब प्लानिंग पहले है, एडमिनिस्ट्रेशन बाद में और लैन्गुएज को अगर छोड़ नहीं दिया गया है तो उस पर जोर बहुत कम कर दिया गया है । तो वह चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि अगर उसके कुछ घाव इस स्टेट के जिस्म में हो चुके हैं तो उन्हें भर जाना चाहिये । रीजनल कमेटीज से हमारी जरूरियात पूरी हो सकेंगी और अपनी जरूरियात को बतलाने का मौका मिलेगा और अपने रीजनल को डेवलप करने का उससे अच्छा मौका हो नहीं सकता है ।

पहाड़ के लोगों का जो यह कहते हैं कि उन्हें हिमांचल प्रदेश से मिला दिया जाय, उनका भी सैटिस्फैक्शन हो जाता है और वह बात खत्म हो जाती है। उनका यह खयाल था कि शायद उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हो सके, वेस्टर्न अजला का तब उनका डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो सकता, उस खूबी से नहीं हो सकता जिस खूबी से वे उसको चाहते हैं और इस तरह से उनकी शिकायत भी दूर हो जायगी। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके शोल्डर्स बहुत ब्राड हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके व्यूज नैरो नहीं होंगे और आगे स्टेट को एक रखने के लिये वे ऐसे इन्नोसेन्ट प्रपोजल को जरूर मंजूर कर लेंगे जिससे नफा ही नफा है और नुकसान कोई नहीं है। इस प्रपोजल को मंजूर करने में कोई वजह नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है और उसमें कोई चीज नुकसानदेह नहीं है । आज हम एक ही स्टेट में मिल जुल कर, अलग अलग तरीके सोच सकते हैं और अलग अलग इन्तजाम कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी अपनी, जरूरियात के मुताबिक ।

श्री अध्यक्ष---क्या आप अभी और बोलेंगे ?

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---मैं पांच मिनट और बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन उसके लिये तो सदन की बैठक का टाइम बढ़ाना पड़ेगा।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---तो मैं खत्म किये देता हूं । मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से और अपने लायक दोस्त गुप्त जी से अपील कर रहा हूं कि आगे और पीछे जो भी कुछ हुआ हो चाहे, उसमें किसी का कसूर हो या किसी के मुताल्लिक कुछ गलतफहमी हो, आपस में जिसकी वजह से कुछ कशमकश रही हो, लेकिन आगे अब वह नैरो व्यू न लें और आगे के लिये ऐसा करें कि जिससे फिर डिवीजन की कोई मांग न हो सके या किसी शिकायत का मौका न पैदा हो सके । मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी चीज पर गौर फरमाया जायगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१० अप्रैल, १९५६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर)

गाजीपुर जिले में गत तीन वर्षों में टाउन एरियाओं को दिये गये अनुदान सम्बन्धी विवरण :

वर्ष	टाउन एरिया का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान				
		जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिये	कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में		अधिनियम आदि के अन्तर्गत वसूल किये गये जुर्मानों के सम्बन्ध में	
		रुपये	रु०	आ०	रु०	आ०
१९५२-५३	मोहम्मदाबाद ..	..	२,१४१	८	४३०	०
	बहादुरगंज ..	..	४१४	०	..	
	जमनिया ..	..	१,५७४	७	४८	०
	संदपुर ..	..	१,६१४	०	१४६	०
१९५३-५४	मोहम्मदाबाद ..	..	१,७४०	०	८७४	०
	बहादुरगंज ..	..	६०	०	४२	०
	जमनिया ..	..	१,१३४	१४	२१४	०
	संदपुर ..	..	१,०६८	०	४३	०
१९५४-५५	मोहम्मदाबाद ..	..	..		४२७	०
	बहादुरगंज ..	..	..		७	०
	जमनिया ..	..	..		९५	०
	संदपुर ..	२०,१०० रुपये नल-कूप के लिये। ८०० रु० बच्चों के खेल के मैदान के सामान के लिये।	..		१२	०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८ पर)

वर्ष	टाउन एरिया का नाम	मांगे गये धन की राशि	धन मांगने का प्रयोजन
		रुपये	
१९५२-५३	सैदपुर	१६,००० ऋण १३,४४५ अनुदान	गलियों को पक्का कराने के लिये ।
१९५३-५४	..	..	
१९५४-५५	मोहम्मदाबाद	९,६५७ अनुदान	
	बहादुरगंज	७,८९५ ,,	
	जमनिया	११,८३४ ,,	

विधान सभा पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर की तालिका

जिलों के नाम	जिलों का कुल खर्च जो सन् १९५४ में सड़कों की मरम्मत तथा पक्का कराने में हुआ (रुपयों में)	खर्च जो सड़कों की मरम्मत पर हुआ है १९५४ (रुपयों में)	सड़कों को पक्की कराने का व्यय १९५४ (रुपयों में)	स्तम्भ ५ में दिए हुए व्यय का विवरण यहां सड़कों के नाम दीजिये	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
१—बाराबंकी	२,३७,१९०	२,३७,१९०	..	..	
२—फैजाबाद	३,९३,८१८	३,५९,१४०	३४,६७८	देवकाली जेल सड़क १३,००० तथा गोसाईं-गंज रनीवां आश्रम सड़क २१,६७८।	
३—खीरी	१४,१०,४१६	४,०४,३७७	१०,०८,०३९	१—लखीमपुर ईसानगर २—लखीमपुर–निघासन मंगली पुरवा निघासन तक। ३—शाहजहांपुर गोला मोहमदी तक। ४—पलिया तिरकुलिया	
४—देवरिया ..	११,०८,२१८	४,३१,११०	६,७७,१०८	१—सिसवा हाटा रोड। २—देवरिया-भीकमपुर रोड। ३—सलेमपुर तुरतीपुर। ४—सी० सी० ट्रैक्स ५—कुशीनगर रोमी मार रोड ६—कच्ची सड़कों का निर्माण ७—कप्तानगंज तमकोही रोड ८—गौरी बजार रुद्रपुर रोड	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिलों के नाम	जिलों का कुल खर्च जो सन् १९५४ में सड़कों की मरम्मत तथा पक्का कराने में हुआ (रुपयों में)	खर्च जो सड़कों की मरम्मत पर हुआ है १९५४ (रुपयों में)	सड़कों को पक्की कराने का व्यय १९५४ (रुपयों में)	स्तम्भ ५ में दिये हुए व्यय का विवरण यहां सड़कों के नाम दीजिये	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
				९—सिविल स्टेशन रोड। १०—देवरिया सलीमपुर रोड। ११—पडरौना कसिया १२—देवरिया कसिया १३—पेंटिंग मील २७, ३१ गोरखपुर कसिया।	
५—गोरखपुर..	१५,३५,५३१	७,४९,६२५	७,८५,९०६	१—गोरखपुर फरेंदा रोड। २—छोटी गंडक पुल ३—सिसवा निचलौल टूटीवारी। ४—सी० सी० ट्रैक्स ५—कच्ची सड़क का निर्माण ६—महाराजगंज निचलौल। ७—फरेंदा नौतनवां ८—पेंटिंग माइल १२, १५ गोरखपुर कसिया रोड ९—मील १५९, १६५ इलाहाबाद गोरखपुर रोड १०—पेंटिंग मील १५२, १६१ लखनऊ गोरखपुर रोड।	
६—आजमगढ़	६,०३,१५१	५,६१,९७९	४१,१७२	१—मधुवन बिलथरा मार्ग के निर्माण हेतु ३१,६८६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिलों के नाम	जिलों का कुल खर्च जो सन् १९५४ में सड़कों की मरम्मत तथा पक्का कराने में हुआ (रुपयों में)	खर्च जो सड़कों की मरम्मत पर हुआ है १९५४ (रुपयों में)	सड़कों को पक्की कराने का व्यय (१९५४) (रुपयों में)	स्तम्भ ५ में दिये हुए व्यय का विवरण यहां सड़कों के नाम दीजिये	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
				२—आजमगढ़ जिला के ओ० डी० आर० ह्यूम को और बी० पाइप आर० मार्ग के निर्माण हेतु ४१। इस कार्य से दूसरे कार्य पर तबादला किया गया।	
				३—मऊ कसिमाबाद मार्ग का निर्माण कार्य ९५२७	
				४१,१७२ रुपये	
७—बलिया ..	३,९८,१५५	३,५४,९६३	४३,१९२	१—बलिया सिकन्दरपुर का पुनर्निर्माण २६,३९० रु०	
				२—सिकन्दरपुर बिल्थरा मार्ग का निर्माण १,७६३ रु०	
				३—बिल्थरा मधुवन सड़क का निर्माण १५,०५९ रु०	
				४३,१९२ रुपये	
८—झांसी ..	८,९७,४८४	६,३१,८९९	२,६५,५८५	१—नगर पालिका झांसी की सीमा में स्थित बड़ा गांव दरवाजा दतिया दरवाजा तथा लक्ष्मी दरवाजा की सड़कों का सुधार-कार्य २२,९८३ रु०	स्तम्भ ४ में जिले की प्रान्तीय सड़कें, जिले की स्थानीय सड़कें, कच्ची सड़कों तथा राष्ट्रीय मार्ग (नेशनल हाई वेज) की

जिलों के नाम	जिलों का कुल खर्च जो सन् १९५४ में सड़कों की मरम्मत तथा पक्का कराने में हुआ (रुपयों में)	खर्च जो सड़कों की मरम्मत पर हुआ है १९५४ (रुपयों में)	सड़कों को पक्की कराने का व्यय १९५४ (रुपयों में)	स्तम्भ ५ में दिये हुए व्यय का विवरण यहां सड़कों के नाम दीजिये	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
				२—एरिच मऊ वमौरी सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य २०,३६६ रुपये। ३—मोठ वघेरा गुसराय सड़क का ऊंचा तथा पक्का करना २,२२,२३६ रु०	मरम्मत में किया हुआ व्यय दिया गया है।
१—जालौन ..	६,५१,४२३	३,३१,५६१	३,१९,८६२	२,६५,५८५ रुपये १—कोंच नदी गांव सड़क का ऊंचा तथा पक्का करना = २—उरई औरइया सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य = ३—जालौन वागरा सड़क का पुन. निर्माण कार्य = ४—हमीरपुर कालपी सड़क का निर्माण कार्य (ऊंचा तथा पक्का करना) = ५—उरई, औरइया सड़क के हद रुख कुठाद भाग का निर्माण कार्य =	रु० ४,३४३ ६४,९९१ ६,०००० ७९,७०० ४०,७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिलों के नाम	जिलों का कुल खर्च जो सन् १९५४ में सड़कों की मरम्मत तथा पक्का कराने में हुआ (रुपयों में)	खर्च जो सड़कों की मरम्मत पर हुआ है १९५४ (रुपयों में)	सड़कों को पक्की कराने का व्यय १९५४ (रुपयों में)	स्तम्भ ५ में दिये हुए व्यय का विवरण वहां सड़कों के नाम दीजिये	रिमार्क
१	२	३	४	५	६
				६—उरई राठ सड़क का ऊंचा तथा पक्का करना ७०,०३२	
				जोड़ .. ३,१९,८६२	
१०—देहरादून ..	४,९०,८४३	३,७४,७०२	१,१६,१४१	देहरादून सहस्त्रधारा मार्ग रु०	
११—गोंडा ..	९,२५,९१७	४,५९,३४०	४,६६,५७७	१—सी० सी० मील २९ वें ३१ बाराबंकी सड़क = ८२,४५२ २—पेंटिंग मील ३१ उतरौला-बहराइच बलरामपुर .. = ११,०६० ३—रीकान्सट्रक्शन लोडकन सड़क गोंडा .. = ३४,९०२ ४—सी० सी० ट्रेक गोंडा १,५९,१२१ ५—कान्सट्रक्शन ३ पाइल ब्रिज = २१५ ६—बलरामपुर तुलसीपुर सड़क = १,७८,५१५ ७—नवाबगंज उतरौला सड़क और गोंडा उतरौला सड़क—मेटलिंग करनेलगंज परसपुर सड़क = ३१२	
				जोड़ .. ४,६६,५७७	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिलों के नाम	जिलों का कुल खर्च जो सन् १९५४ में सड़कों की मरम्मत तथा पक्का कराने में हुआ (रुपयों में)	खर्च जो सड़कों की मरम्मत पर हुआ १९५४ (रुपयों में)	सड़कों को पक्का कराने का व्यय १९५४ (रुपयों में)	स्तम्भ ५ में दिये हुए व्यय का विवरण यहां सड़कों के नाम दीजिये	रिमार्क
१	२	३	४	५	७
					रु०
१२—बहराइच. .	७,९६,४६६	४,०४,३२८	३,९२,१३८	१—रीकन्सट्रक्शन लोकल सड़क बहराइच. .	४४,४९९
				२—इम्प्रूवमेंट रीकन्सट्रक्शन बहराइच निघोरिया सड़क	४,७४८
				३—कान्सट्रक्शन बहराइच सड़क	१,२७,०४२
				४—बहराइच नानपारा सड़क	१,७८,५१५
				५—कान्सट्रक्शन पाइल ब्रिज झिनगहाघाट	५,३६५
				६—कान्सट्रक्शन लीडिंग दरगाह रोड	८,९०७
				७—सी० सी० ट्रैक बहराइच. .	२३,०६२
				जोड़ . .	३,९२,१३८
१३—बस्ती . .	१४,९५,९१६	६,७८,७९०	८,१७,१२६	१—रीकान्सट्रक्शन लोकल रोड से बस्ती	८०,७७०
				२—रीकांसट्रक्शन बासी नौगढ़ रोड . .	९१,९७८
				३—नौगढ़ सोहरतगढ़ रोड . .	७७,२२३
				४—सी० सी० ट्रैक बस्ती . .	३,९८,८८५
				५—मार्डीनजेशन मील नं०	१,३५,१४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा